लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित सं[illegible]

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[सोलहवां सत्र
Sixteenth Session]

Preservation Unit
6-7-92
Fumigated
On 1.1.84
Parliament Library

[खंड 61 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. LXI contains Nos. 11—20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee.

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 20 शुक्रवार 30 नवम्बर, 1966/9 अग्रहायण, 1888 (शक)
No. 20, Friday, November, 30, 1966/Agrahayan 9, 1888 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर **Oral Answers to Questions**

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	S.Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
571.	आसाम के मामलों में बाहरी हस्तक्षेप	Foreign Interference in Assam Affairs		2546
572.	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति	Voluntary Retirement		2551
573.	आम चुनावों के दौरान कानून और व्यवस्था	Law and Order during General Elections		2552
575.	तांबा निकालने के लिये धातु कार्मिक उपकरण	Metallurgical Equipment for mining of copper		2555
576.	कर्मचारियों के मासिक वेतन के साथ बोनस का मिलाया जाना	Merger of Bonus with monthly Pay of Workers		2556
577.	विद्यार्थियों के लिये अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा	Compulsory National Service for students		2558
578.	अखिल भारतीय न्यायिक सेवा	All India Judicial Service		2560

नियम 40 के अन्तर्गत प्रश्न **Questions under Rule 40**

1.	लोक लेखा समिति का 60 वां प्रतिवेदन	Sixteenth Report of Public Accounts Committee (1966-67)	2562
2.	लोक लेखा समिति का 60 वां प्रतिवेदन	Sixteenth Report of Public Accounts Committee (1966-67)	2562

प्रश्नों के लिखित उत्तर **Written Answers to Questions**

तारांकित प्रश्न संख्या **Starred Questions Nos.**

574.	भाषा सम्बन्धी घृणा फैलाने का पाकिस्तान का षड़यन्त्र	Pak. Plot to spread Linguistic Hatred	2567
579.	कर्मचारियों के लिये अनुशासन संहिता	Code af Discipline for Workers	2568
580.	मुसलमानों की कठिनाइयां	Grievances of Muslims.	2568

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक हैं कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	S.Q. No.	Subject	पृष्ठ/Page
581.	उर्वरक कारखानों में अमरीकी पूंजी विनियोजन	American Investment in Fertilizers		2569
582.	मद्रास उर्वरक परियोजना के लिये अमरीकी सहयोग	US Collaboration for Madras Fertilizer Project		2569
583.	दवाइयों का आयात	Import of Medicines		2570
583—क	कलकत्ता गोदी श्रमिकों की हड़ताल	Strike by Calcutta Dock Workers		2570
584.	बेरोजगारी इंजीनियरिंग स्नातक	Unemployed Engineering Graduates		2571
585.	गुजरात तेल शोधन कारखाना	Gujrat Refinery		2571
586.	खासी और जैन्तिया पहाड़ियों में विद्रोह	Rebellion in Khasi and Jaintia Hills		2572
587.	केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों तथा अधिकारियों के टेलीफोन बिलों की बकाया राशि	Arrears of Telephone Bills of Central Ministers and Officers		2572
588.	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गुजरात राज्य को गैस की सप्लाई	Supply of Gas by the O & N. G. C. to the Gujarat State		2572
589.	भारत और पाकिस्तान के बीच टेलीफोन और टेलीग्राफ सम्पर्क	Indo-Pakistan Telephone and Telegraph Link		2573
590.	कावेरी नदी के डैल्टा में तेल की खोज	Oil Exploration in Canvery Delta		2573
591.	गुजरात तेल शोधन कारखाना	Gujrat Refinery		2574
592.	सचिवालय में प्रतिनियुक्त की कालावधि	Tenure of Deputation to Secretariat		2574
593.	केन्द्रीय सरकार के अस्थायी कर्मचारी	Temporary Central Government Employees		2575
594.	बोइलेवगंज डाकघर आगरा में गबन	Embazzlement at Boileaugani P. O. Agra		2575
595.	बरौनी हल्दिया पाइप लाइन	Barauni Haldia Pipeline		2575
596.	गैर सरकारी सेवाओं में सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति पर रोक	Ban an employment of Government servants in private services		2576
598.	इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज	Electronic Telephone Exchange		2577

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	U.S.Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
599.	देश में रोजगार की स्थिति	Employment Situation in the country		2578
599.-क	बस्तर के अनुसूचित क्षेत्रों के आदिवासी	Adivasis in the Scheduled Areas of Bastar		2578
600.	नेफा का भावी प्रशासी ढांचा	Future set up of NEFA		2579
अतारांकित प्रश्न संख्या		**Unstarred Question Nos.**		
2605.	स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू सम्बन्धी गोष्ठी	Symposinm on Jawaharlal Nehru		2579
2608.	बागलकोट सीमेंट कम्पनी, बीजापुर	Bagalkot Cement Co. Bijapur		2580
2609.	नक्शों और मानचित्रावलियों का जब्त किया जाना	Proscription of Maps and Atlases		2580
2610.	मानचित्रों तथा मानचित्रावलियों का प्रकाशन	Publication of Maps and Atlases		2580
2611.	राज्य सरकारों द्वारा संसद सदस्यों को जानकारी का दिया जाना	Supply of information to Members by State Governments		2581
2612.	बस्तर में राष्ट्रीय प्रयोगशाला	National Laboratory in Bastar		2581
2613.	प्रादेशिक सैटलमैंट कमिश्नर, बम्बई के कार्यालय में धोखा देही	Fraud in the Office of Regional Settlement Commissioner, Bombay		2581
2614.	सरकारी कर्मचारियों के सेवा काल का बढ़ाया जाना	Extension for Government Employee		2582
2615.	हिन्दी परीक्षायें पास करने के लिये प्रोत्साहन	Incentives for passing Hindi Examinations		2582
2616.	भारतीय पहलवानों का दल	Indian Wrestlers Team		2583
2617.	इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अनिर्णीत मामले	Cases pending in Allahabad High Court		2583
2618.	वीरभूम डिवीजन में डाकखाने	Post Offices in Birbhum Division		2584
2619.	वीरभूम डिवीजन में डाकखाने	Post Offices in Birbhum Division		2584
2620.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पदों का आरक्षण	Reservations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes		2584
2622.	राजकीय रहस्य अधिनियम के अन्तर्गत गिरफतारी	Arrest under Official Secrets Act		2585
2623.	रीजनल कालेज आफ एजूकेशन, अजमेर	Regional College of Education, Ajmer		2586

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	U.S.Q. Nos.	Subject	पृष्ठ Pages
2624.	तकनीकी शिक्षा के लिये धन की व्यवस्था करने के लिये उद्योगों पर शुल्क	Levy on Industry for Financing Technical Education		2586
2625.	केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड	Central Advisory Board of Education		2587
2626.	गांवों में खेल कूद के लिये राजस्थान को वित्तीय सहायता	Financial aid to Rajasthan for Village Sports		2587
5627.	तकनी की संस्थाओं के लिये अमरीका से ऋण	US loan for Technical Insitutes		2587
2628.	स्टैनलैस स्टील का उत्पादन	Manufacture of Stainless steel		2588
2629.	हिन्दी में पत्रव्यवहार	Correspondence in Hindi		2588
2630.	सचेतकों का सम्मेलन	Whip's Conferences		2588
2631.	दिल्ली में गुंडे	Bad Characters in Delhi		2589
2632.	वास्तुकला की उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम	Advance Courses in Architecture		2589
2633.	वर्मा से स्वदेश लौटे लोगों को भूमि आदि का दिया जाना	Allotment of land etc. to Repatriates from Burma		2590
2634.	कोचीन तेल शोधन कारखाने के लिये भण्डार सुविधायें	Storage facilities for Cochin Refinery		2591
2635.	प्रयुक्त चिकनाने वाले तेल को पुनः साफ करना	Reclamation of used Lubricating Oils		2591
2636.	अलप्पी में तेल के भण्डार	Oil Deposits Alleppey		2591
2637.	विद्रोही नागा	Naga Hostiles		2592
2638.	राष्ट्रीय अनुशासन योजना के शिक्षक	N. D. S. Instructors		2592
2639.	चमड़ा उद्योगों के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for Leather Industry		2593
2640.	कर्मचारी संघों को मान्यता	Recognition of Employees Unions		2593
2641.	उलुबेडिया (पश्चिम बंगाल) के निकट कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल	E. S. I. Hospital near Ulberia (West Bengal)		2593
2442.	बाल भवन और राष्ट्रीय बाल संग्रहालय	Bal Bhavan and National Children's Museum		2594
2643.	आपातकाल	Emergency		2594

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	U.S.Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
2644.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भ्रष्टाचार	Corruption in Public Undertakings		2595
2645.	कलकत्ता में टेरेटा बाजार में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज	Automatic Telephone Exchange in Teretta Bazar, Calcutta		2596
2646.	विदेशियों को देश से बाहर निकालना	Deportation of Foreigners		2596
2647.	डाक तथा तार विभाग में नैमित्तिक श्रमिक	Casual Labour in P & T Department		2596
2648.	दिल्ली जेल में साधुओं के व्यवहार	Treatment of Sadhus in Delhi Jail		2597
2649.	सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध रिश्वत के मामले	Graft Cases against Government Employees		2597
2650.	मुर्शिदाबाद के महल का अर्जित किया जाना	Acquisitian of Murshidabad Palace		2598
2651.	भारतीय टैनिस खिलाड़ी	Indian Tennis Players		
2652.	खम्भात के निकट कथना में तेल के कुएं से भाप का निकलना	Steam Flow from Oil Well at Kathna near Cambay		2599
2653.	पंजाब और हरियाना में ग्राम पंचायतों के लिये टेलीफोन की सुविधायें	Telephone Facilities for village Panchayats in Punjab and Haryana		2599
2654.	पंजाब और हरियाना में टेलीफोन तथा तार की सुविधाएं	Telephone and Telegraph Facilities in in Punjab and Haryana		2600
2655.	सीधी टेलीफोन व्यवस्था	Direct Telephone Service		2600
2656.	वामपंथी साम्यवादियों तथा विद्रोही मिज़ो लोगों द्वारा राष्ट्र विरोधी कार्य वाहियां	Anti-national Activities of Left Communists and Rebel Mizos		2600
2657.	मंगलौर उर्वरक कारखाना	Mangalore Fertilizer Factory		2601
2658.	आयातित पुस्तकें खरीदने के लिये अनुदान	Grants for purchase of Imported Books		2602
2659.	विश्वविद्यालय सेवा द्वारा पुस्तकों का संभरण	Supply of Books by World University Service		2602
2660.	भारतीय प्रशासनिक सेवा के व्यक्ति का विद्रोही मिजो लोगों के साथ शामिल होना	I. A. S. Joining the Rebel Mizos		2603
2661.	हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल	Hunger Strike by Employees of Hindustan Lever Ltd.		2603

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	U.S.Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
2662.	राजौरी क्षेत्र में पाकिस्तानियों द्वारा भूख हड़ताल	Murder and Adduction by Pakistanis in Rajouri Area		2603
2663.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में पद	Posts in University Grants Commission		2604
2664.	दिल्ली के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी	Senior Police Officials of Delhi		2604
2665.	भारत में विदेशी धर्म प्रचारक	Foreign Missionaries in India		2605
2666.	अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के इन्टरव्यू में प्राप्त अंक	Marks at Interviews for Scheduled Castes Candidates		2605
2667.	अन्दमान द्वीप समूह में लोगों का बसाया जाना	Settlement of People in Andamans		2606
2668.	शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित गोष्ठियां	Seminars organised by Education Ministry		2606
2669.	शिक्षा मंत्रालय में स्टाफ कारें	Staff Cars in Education Ministry		2696
2670.	बर्मा से स्वदेश लौटे भारतीय लोगों का पुनर्वास	Rehabilitation of Repatriates from Burma		2607
2671.	बर्मा का स्वदेश लौटे लोगों का पुनर्वास ऋण	Prosecution of Government Employees		2608
2672.	सरकारी कर्मचारियों पर अभियोग चलाना	Rehabilitation Loan to Repatriates from Burma		2607
2673.	पूना का भूतपूर्व परिवहन प्रबन्धक	Former Transport Manager, Poona		2608
2674.	स्वर्गीय डा० चम्पकरनम् पिल्ले का स्मरणोत्सव मनाना	Commemorating the Late Dr. Champakaraman Pillai		2608
2675.	तकनीकी व व्यक्तियों में बेरोजगारी	Unemployment of Technical persons		2609
2676.	अरब की सराय, नई दिल्ली का रोजगार दफतर	Employment Exchange; Arab ke Sarai		2609
2677.	बेरोजगार शिक्षित व्यक्तियों का सर्वेक्षण	Survey of Unemployed Educated Persons		2610
2678.	उच्च माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में एकरूपता	Unformity in Higher Secondary Education		
2679.	लक्ष्मी रतन काटन मिल्स, कानपुर में भविष्य निधि अंशदान	Provident Fund Contributions in Lakshmiratan Cotton Mills, Kanpur		2610
2680.	पाइराइट्स एण्ड कैमिकल्स डवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड	Pyrites and Chemicals Development Company Ltd.		2611

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	U.S.Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
2681.	माना शिखर अभियान	Mana Peak Expedition		2611
2682.	मुद्रण उद्योग में कुशल कर्मचारियों की कमी	Shortage of skilled Workers in Printing Industry		2612
2683.	त्रिपुरा सरकार द्वारा जारी किये गये प्रैस वक्तव्य	Press Statements by Tripura Government		2612
2684.	भारतीय भाषाओं के लिये रोमन लिपि का प्रयोग	Use of Roman Script for Indian Languages		
2685.	भारत सुरक्षा नियम	Defence of India Rules		2613
2686.	छात्रों में विदेशी एजेंट	Foreign Agents among students		2614
2687.	भारतीय तेल निगम के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि	Increase in Emoluments of Staff of Indian Oil Corporation		2614
2688.	नये विश्वविद्यालय	New Universities		2515
2689.	त्रिशूली के लिये अभियान दल	Expedition to Trisuli		2516
2690	कालेज आफ आर्टस, दिल्ली के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें ।	Complaint against staff of College of Arts, Delhi		2615
2691.	पटना के निकट पाकिस्तानी ट्रांसमिटर	Pak Transmitter near Patna		2616
2692.	दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में ईसाई धर्म का प्रचार	Propagation of Christianity in Delhi Municipal Corporation Schools		2616
2693.	उखरूल में नागाओं द्वारा हमला	Nagas' Attack on Ukhrul		2616
2694.	लड़कियों की शिक्षा	Girls' Education		2617
2695.	गोरखपुर में उर्वक कारखाना	Fertilizer Factory, Gorakhpur		2317
2696.	गोरखपुर के उर्वक कारखाने के कर्मचारी	Personnel for Fertilizer Factory, Gorakhpur		2618
2697.	अधिक सम्पन्न छात्रों द्वारा अधिक फीस का दिया जाना	Payment of Higher Fees by More Affluent Students		2618
2698.	डाक्टरों तथा इंजिनियरों के लिये सैनिक सेवा	Military Service for Doctors and Engineers		2618
2699.	हिन्दी की शिक्षा	Teaching of Hindi		2619
2700	प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन	Administrative Reforms Commission Report		2619
2701.	उर्दू भाषा को विशेष दर्जा देना	Special Status for Urdu Language		2620
2702.	राष्ट्रीय विकास दल, त्रिपुरा	Rashtriya Vikas Dal, Tripura		2620
2703.	त्रिपुरा में अनुसूचित आदिम जातीय कर्मचारी	S. C. and S. T. Employees in Tripura		2620

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	U.S.Q. Nos.	Subject	पृष्ठ Pages
2704.	भारतीय राजनैतिक प्रवृतियों का सर्वेक्षण	Survey of Indian Political Practices		2621
2705.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय विधेयक	Aligarh Muslim University Bill		2621
2706.	जुलाई 1966 में अखिल भारतीय मुस्लिम से मजलि मुशवरात की बैठक	All India Muslim Mejlis-e-Mushavarat Meet in July, 1966		2621
2707,	उत्तर प्रदेश के इंजीनियरिंग तथा तकनीकी कालेज	Engineering and Technical Colleges in Uttar Pradesh		2622
2708.	तेल की खोज	Oil Exploration		2622
2709.	चतुरंगी अभियान	Chaturangi Expedition		2623
2711.	खनिकों के होस्टल	Miners' Hostels		2623
2712.	सरकारी सम्मेलनों/ बैठकों में उपस्थित होने के लिये मंत्रियों द्वारा गाड़ियों का उपयोग	Use of Vehicles by Ministers attending Official Conferences/Meetings		2624
2713.	हिन्दी सहायक	Hindi Assistants		2624
2714,	काठमांडू रक्सौल टेलीफोन और तार की व्यवस्था	Kathmandu-Raxual Telephone and Telegraph Link		2625
2715	पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हरियाणा का प्रतिनिधित्व	Representation for Haryana in Punjab University, Chandigarh		2625
2716.	उर्वरकों तथा कीटनाशक पदार्थों का वार्षिक उत्पादन	Annual Production of Fertilizers and Pesticides		2625
2717.	रास्ट्रपति द्वारा प्राप्त दया याचिकायें	Mercy Petitions received by President		2626
2718.	टेलीफोन निर्देशिकाओं का हिन्दी संस्करण	Hindi Edition of Telephone Directories		2627
2719.	भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् के सचिव की विदेश यात्रा	Visit of Secretary, Indian Council for Cultural Relations Abroad		2627
2720.	भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् का सचिव परीक्षण लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	Test Audit Report of I. C. C. R.		2627
2721.	मैसूर राज्य को शिक्षा के लिये धनराशि का नियतन	Allocation of Funds for Education to Mysore State		2628
2722.	भ्रष्टाचार निरोधक विभागीय समितियां	Department Committees to curb Corruption		2629
2723.	उड़ीसा में खानों का बन्द किया जाना	Closure of Mines in Orissa		2629

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	U.S.Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
2725.	नेफा में भूतपूर्व सैनिकों को बसाना	Settlement of Ex-Serviceman in NEFA		2629
2726.	आन्ध्र प्रदेश में इस्पात कारखाने की स्थापना संबंधी आन्दोलन के कारण डाक तथा तार विभाग को हुई हानि	Loss suffered by P & T Department in Andhra due to Steel Plant Agitation		2630
2727.	7 नवम्बर, 1966 को दिल्ली में प्रदर्शन	Demonstrations in Delhi on 7th November, 1966		2630
2728.	दिल्ली में छः व्यक्तियों को जीवित जला दिया जाना	Burning alive six persons in Delhi		2631
2729.	पश्चिमी बंगाल में विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों के वेतन क्रम	Pay Scales of University Teachers in West Bengal		2632
2730.	केरल विश्वविद्यालय में वित्तीय सकट	Financial Crisis in Kerala University		2632
2731.	केरल विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अनुदान	University Grants Commission Grant to Kerala University		2633
2732.	लोक शिकायत आयुक्त	Commissioner for Public Grievances		2633
2733.	अंडों के परिरक्षण का नया तरीका	New Technique to Preserve Eggs		2633
2734.	भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग का शताब्दी समारोह	Archaeological Survey of India Centenary Celebrations		2634
2735.	हिन्दुस्तान कल्चरल सोसाइटी इलाहाबाद	Hindustan Cultural Society, Allahabad		2634
2736.	वैज्ञानिकतथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा वाणिज्यिक उपयोग किया जाना	Commercial Exploitation by C. S. I. R.		2635
2737.	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	Audit Reports of Central Universities		2636
2738.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में धन का गबन	Misappropriation of Funds in Banaras Hindu University		2636
2739.	आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों को अन्य पदों पर लगाना	Absorption of Emergency Commission Officers		2637
2740.	दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट द्वारा ट्रंक कालों के गलत बिल तैयार किया जाना	Wrong Billing for Trunk Calls by Delhi Telephone District		2637

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	U.S.Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
2741.	मध्य प्रदेश डाक सर्किल	Madhya Pradesh Postal Circle		2638
2742.	पश्चिम बंगाल के प्रसोपा नेता के लापता हो जाने के बारे में जांच	Investigation in the matter of Disappearance of PSP Leader of West Bengal		2638
2743.	हिन्दी लागू करने वाली समिति	Hindi Implementation Committee		2639
2744.	हिन्दी सहायकों तथा अनुवादकों का सामान्य 'पूल'	General Pool of Hindi Assistants and Translators		2639
2745.	हिन्दी स्टेनोग्राफर	Hindi Stenographers		2639
2746.	नागालैंड आसाम की सीमायें	Nagaland Assam Boundaries		2640
2747.	कोचीन में तेल का खोज	Oil Prospecting at Cochin		2640
2748.	पार्लियामेंट स्ट्रीट स्थित कार्यालयों की सुरक्षा	Security of offices at Parliament Street		2640
2749.	कच्छ सीमा पर पाकिस्तानी राष्ट्रजन की गिरफतारी	Arrest of Pakistani Nationals on Kutch Border		2641
2750.	हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स मद्रास में हड़ताल	Strike at Hindustan Teleprinters, Madras		2641
2751.	तार बाबू और क्लर्क की पदालियों का एकीकरण	Unification of Cadres of Telegraphists and Clerks		2642
2752.	तार घरों में डेस्क प्वाइन्टों पर कर्मचारी लगाना	Manning of Desk Points in Telegraph Offices		2642
2753.	नई दिल्ली नगरपालिका	New Delhi Municipal Committee		2643
2755.	नई दिल्ली स्थित कस्तूरबा निकेतन में रहने वाली विधवाओं के लिए प्लाट	Plots for Widows living in Kasturba Niketan, New Delhi		2643
2756.	तूतीकोरिन में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Plant at Tuticorin		2643
2757.	नई दिल्ली में एक लड़के का अपहरण	Kidnapping of a boy in New Delhi		2644
2758.	हिन्दी संस्थाओं को अनुदान	Grants to Hindi Institutions		2644
2759.	सैटलमेंट संस्था के कर्मचारियों के अभ्यावेदन	Representations by the Employees of Settlement Organisation		2645
2760.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के इंजीनियरी कालेज	Engineering Colleges of Aligarh Muslim University and Banaras Hindu University		2645
2761.	त्रिवन्नूर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स	Tiruvannoor Spinning and Weaving Mills		2646

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	U.S.Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
2762.	गोहाटी तार घर से भेजे गये तार	Telegrams Transmitted through Gauhati Telegraph Office		2646
2763.	आजम नगर (बिहार) में उप-डाकघर	Sub-post Office at Azamnagar, Bihar		2647
2764.	निजी सचिवों तथा स्टेनोग्राफरों को अतिरिक्त वेतन	Additional Pay to Pss. and Stenos.		2648
2765.	पाकिस्तानियों द्वारा आसाम में अवैध घुसपैठ	Illegal Infiltration of Pakistanis into Assam		2648
2766.	केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा परीक्षा	Central Engineering Services Examination		2648
2767.	परिवार नियोजन का प्रचार	Family Planning Propaganda		2649
2768.	दिल्ली में मकानों के गिरने के बारे में जांच	Enquiry regarding Collapse of House in Delhi		2649
2769.	दिल्ली हिमाचल प्रदेश राज्य सिविल सर्विस	Delhi Himachal Pradesh State Civil Service		2650
2770.	गन्धक का आयात	Import of Sulphur		2650
2771.	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अधीन इंजीनियरों का विशिष्ट प्रशिक्षण	Specialised Training of Engineers under C. S. I. R.		2651
2771—क	सोन नदी परियोजना का नक्शा	Map of Sone River Project		2651
2771—ख	समाज शिक्षा केन्द्र	Socio Education Centres		2652
2771—ग	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	Consumer Price Index		2652
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance		2652
	आगामी एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों को सम्मिलित न होने देने के निश्चय का समाचार	Reported decision to withdraw participation of Indian contingent in forthcoming Asian Games		2652
	डा० कर्णी सिंह जी	Dr. Karni Singhji		2652
	श्री भक्त दर्शन	Shri Bhakat Darshan		2653
ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रश्न)		**Re. Calling Attention Notices (Querry)**		2654
सभा पटल पर रखे गये पत्र		**Papers Laid on the Table**		2655
सभा पटल की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति		**Leave of Absence from Sittings of the House**		2657

तारांकित प्रश्न संख्या विषय	U.S.Q. Nos. Subject	पृष्ठ/Pages
सदस्यों द्वारा त्यागपत्र	Resignation by Members	2658
विशेषाधिकार समिति	Committee of Privileges	2658
ग्यारहवां प्रतिवेदन	Eleventh Report	2658
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee	2660
चौंसठवां प्रतिवेदन	Sixty-fourth Report	2660
विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन के बारे में	Re. Report of Privilege Committee	2660
कुछ निर्माताओं को तांबे और जस्ते के कोटे दिये जाने के बारे में याचिका	petition Re. Copper and Zinc quotas to certain manufacturers	2661
चेकोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति तथा भारत के प्रधान मंत्री के बीच हुई वार्ता के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Talks between President of Czechoslovakia and Prime Minister of India	2661
श्री मु० क० चागला	Shri M. C. Chagla	2661
रेलवे बजट पर चर्चा के दौरान कही गई बातों पर की गई कार्यवाही के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Action taken on Points made in Railway Budget Discussion	2662
श्री० स० का० पाटिल	Shri S. K. Patil	2662
तारांकित प्रश्न सख्या 36 के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answer to S. Q. No. 36	2662
निदेश 115 के अन्तर्गत सदस्य का वक्तव्य तथा दिनांक 7-11-66 के अतरांकित प्रश्न संख्या 635 के बारे में मंत्री का उत्तर	Statement by Member under Direction 115 and Minister's Reply thereto Re. U. S. Q. No. 635 dated 7. 11. 66.	2663
पुलिस बल (अधिकारों का निबर्धन) विधेयक	Police Forces (Restriction of Rights) Bill	2664
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	
श्री शिंकरे	Shri Shinkre	2664
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	2666
श्री जोकीम आल्वा	Shri Joachim Alva	2668
श्री नम्बियार	Shri Nambiar	2669
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachhavaiya	2671
श्री श्यामलाल सर्राफ	Shri Sham Lal Saraf	2671
श्री हरि विष्णु कामत	Shri Hari Vishnu Kamath	2672
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma	2673
डा० राम मनोहर लोहिया	Dr. Ram Manohar Lohia	2674
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी	Dr. L. M. Singhvi	2674
श्री नि० चं० चटर्जी	Shri N. C. Chatterjee	2675

तारांकित प्रश्न संख्या विषय	U.S.Q. Nos. Subject	पृष्ठ/Pages
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती	Shri Jagdev Singh Siddhanti	2675
श्री यशवन्त राव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	2675
खण्ड 2 से 6 तथा 1	Clauses 2 to 6 and 1	2677
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	
गोआ, दमण और दीव (अभिमत संग्रह) विधेयक	**Goa, Daman and Diu (Opinion Poll) Bill**	2681
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	2682
श्री अल्वारेस	Shri Alvares	2685
कलकत्ता में प्राथमिक शिक्षा के बारे में आधे घन्टे की चर्चा	**Half-an-hour Discussion Re. Primary Education in Calcutta**	2687
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	2687

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 30 नवम्बर 1966/9 अग्रहायण, 1888 (शक)
Wednesday, November, 30, 1966/Agrahayana 9, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए । / Mr. Speaker in the Chair.]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

आसाम के मामलों में बाहरी हस्तक्षेप

*571. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री ह० चा० लिंग रेड्डी :
श्री पु० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री प० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री कपूरसिंह :
श्री प० ह० भील :
श्री किशन पटनायक :
श्री मधु लिमये :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान आसाम के मुख्य मंत्री के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप के कारण आसाम की समस्या अधिक जटिल होती जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये, कि उक्त बाहरी हस्तक्षेप के कारण आसाम के सरकारी प्रशासन तंत्र में कोई ढील न आने पाये, क्या कार्यवाही की है ?

गृह- कार्य मंत्रालय में (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) आसाम सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार मुख्य मंत्री ने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया है। हां राज्य विधान-सभा के पिछले अधिवेशन में मुख्य मंत्री को अनेक बार राज्य के अन्दर शत्रु के एजेंटों की विध्वंसक गतिविधियों का उल्लेख करना पड़ा

(ख) ऐसी गतिविधियों का सामना करने के लिये सभी सम्बन्धित अधिकारियों को लगातार सतर्क रहने के लिये सावधान किया गया है और जनता को भी अपीलों के जरिये सावधान किया गया है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि ये कार्यवाहियां बागानों, विदेशी मालिकों की एक अनुमति द्वारा आयोजित की जाती हैं और यदि हां, तो बागानों के विदेशी मालिकों द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : हमारी जानकारी के अनुसार इन कार्यवाहियों में बागानों के विदेशी मालिकों का हाथ होने सम्बन्धी किसी मामले की सूचना हमें नहीं मिली है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान की विभिन्न संख्या के साथ इन आदिम जातीय क्षेत्रों का सीधा संपर्क है और यदि हां, तो सरकार इस प्रकार की कार्यवाहियों को किस प्रकार समाप्त करना चाहती है ताकि इन क्षेत्रों से पाकिस्तानी संपर्क पूरी तरह समाप्त हो जाये। क्या सरकार का विचार पाकिस्तानी एजेंटों से प्रभावग्रस्त इन क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने का है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : जी हां, माननीय सदस्य की बात सही है; मिज़ो विद्रोहियों और नागा विद्रोहियों जैसे कुछ दल हैं जिनका पाकिस्तानी अधिकारियों में सम्पर्क हैं। इन कार्यवाहियों को रोकने और अपनी सीमाओं को मजबूत करने के सम्बन्ध में, ताकि ये सम्पर्क समाप्त हो जायें या कम हो जायें, इस प्रश्न का हमने कई बार उत्तर दिया है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या उसको ध्यान में रखते हुए कोई विशिष्ट कदम उठाये गये हैं और क्या इस समय वे कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री विद्या चरण शुक्ल: जी हां। पहले भी वे कदम उठाये गये हैं और अब भी उठाये जायेंगे।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या विशिष्ट कदम उठाये गये हैं ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : हमने अपने सीमा सुरक्षा बल चौकियों, निगरानी स्तम्भों और बहुत सी अन्य चीजों को बढ़ाया है ये सब पहले बताया जा चुका है।

Shri Vishwanath Pandey : The Hon. Minister just now stated that the Chief Minister of Assam has made no such statement but contrary to this what has appeared in the newspapers is this that a big number of intruders from East Pakistan have crossed into Assam and they put obstacles in the working of the Assam Government. What is the reaction of the Government to this ?

Shri Vidya Charan Shukle : Yes, such intruders from East Bengal have come into Assam and all possible steps are being taken to check their entry. Recently we had

constituted Border Security Force to check the rising infiltration. Some outposts have been constructed at Goalpara where anti-national elements were noticed and extra precautions have been taken in this regard.

श्री प्र० र० चक्रवर्ती : आसाम में पूर्वी पाकिस्तान से होने वाली निरन्तर घुसपैठ से उत्पन्न गम्भीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सारी सीमा के साथ-साथ दो मील चौड़ी पट्टी को खाली कराने के लिये क्या कारगर कदम उठाये गये हैं जैसा कि पहले एक बार वचन दिया गया था ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस प्रयोगन के लिये विभिन्न उपायों पर विचार किया गया था। उनमें से एक सीमा के साथ-साथ दो मील चौड़ी पट्टी खाली कराने का है। परन्तु इससे लोगों को होने वाले भारी कष्ट और दुःख और अन्य समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उसको क्रियान्वित नहीं किया गया है। सीमा पर कांटेदार तार लगाने का भी प्रश्न था। परन्तु आसाम सरकार के साथ और आपस में काफी विचार करने के बाद यह देखा गया कि यह इतनी प्रभावशाली नहीं होगी जितना हम चाहते हैं। सबसे अधिक कारगर उपाय सारी सीमा पर सतर्कता को बढ़ाना था जिसका की तत्काल परिणाम निकलता है। यह हमने किया है।

श्रीमती सावित्री निगम : जटिल स्थिति को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार का इरादा उनमें से कुछ क्षेत्रों में सेवानिवृत्त प्रतिरक्षा कर्मचारियों और अन्य लोगों को बसाने का है ताकि उनसे हमारे गुप्त सूचना विभाग और सुरक्षा कर्मचारियों को सहायता मिल सके।

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस प्रकार की एक योजना हमारे विचाराधीन है और कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में हमारे प्रायोगिक परियोजना को चालू किया है।

Shri Bibhuti Mishra : Are Government aware that the missionaries living in Assam. Nagaland and hilly areas are inciting the people there to have their own independent state between China and India ? These missionaries have petitioned before the U. N. O. also with this intent. Some local inhabitants of Assam are also in league with the Pakistani infiltrators. What steps Government propose to take to get rid of all these foreign elements ?

Shri Vidya Charan Shukla : There may be some such missionaries who are inciting the people there and there may be Pakistani and anti-national elements, but to say so regarding all the misssonaries there is not correct. Government have taken action against these missionaries who have indulged in such like activities. One such missionary had been ordered to leave the country. Stringent action is taken by Government against those who indulge in anti-national activities.

Shri K. N. Tiwari : Is it s fact that the Chief Minister of Assam has also intimated that the missionaries there are in league with the Political parties and those Mizo rebels and Naga rebels who are coming back from Pakistan after receiving training there and that there is possibility of the preparation of guerilla war there, if so what steps are being taken by Governmet in this regard ?

Shri Vidya Charan Shukla : Government knows that the people of the National Front are in league with the Pakistani people and, therefore, the Government have declared this organisation illegal.

श्री प्र० चं० बरुआ : यह समाचार कहां तक सत्य है कि चुनावों के सम्बन्ध में प्रयोग किये जाने के लिये कुछ धन पाकिस्तान से पहले ही आसाम में आ गया है ? यदि हां तो उसको

रोकने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमारे पास कोई जानकारी नहीं है।

श्री स० चं० सामान्त : क्या आसाम में हाल ही में कोई तलाशियां की गई थी और विदेशी शक्तियों के हस्तक्षेप सम्बन्धी कुछ कागजात पाये गये थे।

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमें अब तक केवल पाकिस्तानी हस्तक्षेप का ही पता चल पाया है।

श्री सुबोध हंसदा : क्या सरकार आसाम में धार्मिक संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे सभी धार्मिक संस्थानों को जो कि विशेष रूप से आदीम-जातीय क्षेत्रों में तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों के केन्द्र है, अपने-अपने हाथ में लेने के लिये तैयार हैं?

श्री विद्याचरण शुक्ल : सभी शिक्षा संस्थानों पर सन्देह करना न तो सम्भव ही है और न वांछनीय ही है। यदि किसी संस्थान के इस प्रयोजन के लिये इस्तेमाल किये जाने का मामला हमारी जानकारी में आता है तो हम निश्चय ही आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

Shri M. L. Dwivedi : May I know whether the Central Government is having its own sources in the border areas to apprise its of the latest developments there so that all such anti-national elements may be curbed, if not, the reasons therefor ?

Shri Vidaya Charan Shukla : We have our sources at every place.

Shri M. L. Dwivedi : Sir, the Hon. Minister says that the Government have its own sources, but earlier he said that he has no information.

Mr. Speaker : There is no information. If the sources are not able to get the information, what can be done ?

श्री दी० चं० शर्मा : क्या यह सच नहीं है कि इन सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ बढ़ती जा रही है, चीन की सांठ गांठ से पाकिस्तान में जिन व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है उन की संख्या बढ़ती जा रही हैं, और विद्रोह की भावना जोर पकड़ रही है, यदि हां, तो क्या यह सच नहीं है कि सरकार द्वारा अब तक किये गये सभी उपाय विफल रहे हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं यह नहीं कहूंगा कि हमारे उपाय कारगर सिद्ध नहीं हुए हैं। मैंने स्वयं ही कहा है कि हाल में आसाम में घुसपैठ के प्रयत्नों में वृद्धि हुई है और उनकी रोकथाम के लिये हम विशेष उपाय कर रहे हैं।

श्री कपूर सिंह : हमारे दो सुज्ञात मित्रों में से आसाम राज्य के सम्बन्ध में भारत के विरुद्ध कौन सा अधिक सक्रिय है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : पाकिस्तान।

Shri Madhu Limaye : The Hon. Minister stated that no such statement was given by the Chief Minister of Assam. but the Defence Minister and the Railway Minister Dr. Ram Subhag Singh have made several statements in this house regarding the attacks on our North Eastern border during the last few years.

Dcfence Minister had stated that the rockets of French origin had been found, investigation in regard to which is still going on and Dr. Ram Subhag Singh had stated there was foreign intervention there. What is the factarl position in this regard ?

Shri Vidya Charan Shukla : I had myself stated that agents of foreign powers are active there and that they are indulging in such like activities.

Shri Madhu Limaye ; What remedial measures are you taking. You had stated that you have no information.

Shri Vidya Charan Shukla : I have already stated about the measures that we are taking.

श्री स्वैल : श्रीमती निगम के प्रश्न के उत्तर में माननीय उपमंत्री ने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में भूतपूर्व सैनिकों को बसाने की सरकार की एक योजना है। वे कौन से क्षेत्र हैं जिनमें सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को बसाने का निश्चय किया है और क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय करते समय सरकार ने स्थानीय सीमावर्ती लोगों की सलाह और इसके लिए उनकी अनुमति ली है यह सरकार अपनी ओर से ही सब कुछ कर रही है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : स्थानीय लोगों की पूरी अनुमति से हमने उस नीति को क्रियान्वित किया है और करेंगे। आरम्भ में नेफा के कुछ क्षेत्रों में हमने इसको एक प्रायोगिक योजना आधार पर चालू किया है।

श्री स्वैल : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। इस प्रश्न का सम्बन्ध आसाम से है न कि नेफा से। उन्होंने कहा कि सरकार आसाम के कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में भूतपूर्व सैनिकों को बसाने के लिए राजी हो गई है। मैं जानना चाहता हूँ कि उन क्षेत्रों के क्या नाम हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय महिला सदस्य ने एक सामान्य प्रश्न पूछा था कि क्या हम सीमावर्ती क्षेत्रों में भूतपूर्व सैनिकों को बसाना चाहते हैं, और मैंने कहा था कि यह विचाराधीन है और हमने एक प्रायोगिक योजना आरम्भ की है।

Shri Sheo Narain : May I know seperately the number of foreign and Indian missionaries settled there as also the number of foreign and Indian planters ? What do the Government propose to do about the property of foreigners at the border ?

Shri Vidya Charan Shukla: I require notice for this.

श्री हेम बरुआ : शिलांग में पाकिस्तान के सहायक उच्चायुक्त का कार्यालय समाप्त कर दिया गया था क्योंकि यह सिद्ध हो चुका था कि आसाम राज्य में पाकिस्तानी विध्वंसकों को प्रोत्साहन देने में इसका हाथ था। इस सन्दर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारी सरकार को पता है कि कलकत्ता स्थित पाकिस्तान के उप-उच्चायुक्त का कार्यालय आसाम राज्य में पाकिस्तानी घुसपैठ को प्रोत्साहन दे रहा है और आसाम राज्य की पहाड़ी आदिम जातियों में हथियार और गोलाबारूद दे कर विद्रोह को प्रोत्साहन दे रहा है और यदि हां, तो क्या सरकार इसको पाकिस्तान द्वारा ताशकन्द करार का उल्लंघन समझती है और यदि हां, तो पाकिस्तान के रवैये को ठीक करने के लिए क्या कदम उठा रही है।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जहां तक घुसपैठ का सम्बन्ध है हम निश्चय ही यह स्वीकार करते हैं कि वे अपनी ओर कुछ लोगों को घुसपैठ के लिए प्रशिक्षण दे रहे हैं। इस हद तक उन्होंने ताशकन्द करार और उसकी भावना का उल्लंघन किया है। जहां तक इसके राजनीतिक पहलू का सम्बन्ध है हमें इसके बारे में सोचना होगा। हो सकता है उन्होंने ताशकन्द करार पर अरूढ-भाव से हस्ताक्षर किये हों, परन्तु हमारी नीति वही है जो कि विदेश मंत्री ने कई अवसरों पर स्पष्ट की है, हम ताशकन्द करार का पालन करेंगे।

श्री हेम बरुआ : ताशकन्द करार जैसे एक द्विपक्षीय करार को एकपक्षीय रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा सकता ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : श्री हेम बरुआ को अपनी राय रखने का हक है । मैं सरकार की नीति बता रहा हूं । जहां तक आसाम में घुसपैठ का सम्बन्ध है, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान लोगों में प्रशिक्षण देकर इधर धकेल रहा है और हमें देखना है कि हम इसको किस तरह मुकाबला कर सकते हैं । जैसा कि उप-मंत्री ने बताया हमने कुछ कदम उठाये हैं और उठाते रहेंगे ।

श्री हेम बरुआ : कलकत्ता स्थित उप-उच्चायुक्त के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इस प्रश्न पर विशिष्ट जानकारी देने के लिए मुझे सूचना चाहिए ।

स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति

+

***572. श्रीमती सावित्री निगम** : **श्री दी० चं० शर्मा** :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सेवाओं का स्तर और दक्षता बढ़ाने तथा अधेड़ आयु के असंतुष्ट अधिकारियों से छुटकारा पाने के लिये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति सम्बन्धी कोई योजना बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं तथा यह योजना कब क्रियान्वित की जायेगी ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) और (ख) : सदन के सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया गया है ।

विवरण

ऐसे अतिरिक्त सरकारी कर्मचारियों के लिये जिनको सेवा में क्रम से 16 वर्ष हो चुके हैं और जो स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति चाहते हैं, सेवानिवृत्ति की विशेष शर्तें मंजूर की गई हैं । ऐसे मामलों में स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति की शर्तों के बारे में वित्त-मंत्रालय द्वारा जारी किये गये आदेश की एक प्रति 28 अप्रैल, 1966 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 1408 के उत्तर में वित्त मंत्रालय के उप-मंत्री द्वारा सदन के सभा-पटल पर रख दी गई थी । जैसा कि श्री महेश्वर नायक द्वारा 15 नवम्बर, 1966 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 1519 के उत्तर में लोक सभा के सभा-पटल पर रखे गये विवरण में स्पष्ट किया गया था, "प्रशासन को मजबूत बनाने के उपाय" नामक लेख में दी गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कर्मचारी सुझावों तथा भ्रष्टाचार-निरोधक समिति (संथानम समिति) को यह सिफारिश की सरकार को ऐसे कर्मचारी को जिसने अर्हतादयी सेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिये हैं या जिसकी आयु 50 वर्ष हो चुकी है बिना कोई कारण बताये और विशेष पैन्शन का दायित्व लिये अनिवार्य सेवा निवृत्ति देने का अधिकार का प्रश्न विचाराधीन है यह प्रश्न

भी विचाराधीन है कि क्या सरकारी कर्मचारी को भी इस प्रकार की सेवा निवृत्ति अपनी इच्छानुसार दिया जाना चाहिये।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या माननीय मंत्री को यह पता है कि सेवाओं में बहुत से व्यक्ति पूर्ण रूप से निरुत्साहित और असन्तुष्ट हो जाते हैं क्योंकि वे विभागीय पदोन्नति समितियों का शिकार बन जाते हैं और प्रचलित भाई-भतीजावाद से उनके हितों को हानि पहुंचती है ? एक ओर तो वे असन्तोष फैलाते हैं और दूसरी ओर उन युवक और अच्छे अधिकारियों के मार्ग में बाधा बनते हैं जो कि अपने से वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छा कार्य कर सकते हैं। क्या सरकार इस असन्तोष को भी दूर करने और उन अधिकारियों की पदोन्नति के लिए जिनको अनुचित तरीके से उनसे कनिष्ठ अधिकारियों के पीछे रख दिया गया है, कोई समाधान सोच रही है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस प्रकार के कुछ व्यक्तिगत मामले हो सकते हैं, परन्तु इन शिकायतों के निवारण के लिए नियमित तरीके है।

श्रीमती सावित्री निगम : इस विवरण में भी वही उत्तर दिया गया है। विवरण में कहा गया है कि क्या सरकारी कर्मचारियों को भी इस प्रकार का अधिकार दिया जाना चाहिये ? प्रश्न की सूचना पिछली बार लगभग 6 मास पहले दी गई थी और वही उत्तर दिया गया था मैं जानना चाहती हूं कि इस महत्वपूर्ण निर्णय करने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह एक बहुत ही जटिल प्रश्न है और बहुत लोगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अतः बड़े विचार करने की सलाह लेने की आवश्यकता है। अतः उनमें कुछ समय लग रहा है।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या सरकार मंत्रालयों से सेवायुक्त होने वाले अकुशल व्यक्तियों को सेवा से निकाल कर देश में प्रशासन को कार्यकुशल बनाने जा रहा है, जिससे मंत्रालय पहले से अधिक सुचारू रूप से कार्य कर सकें ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का मुख्य प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमारे पास इसके लिए विशेष निरीक्षण कर्मचारी हैं।

आम चुनावों के दौरान कानून और व्यवस्था

+

***573. श्री यशपाल सिंह** :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगामी आम चुनावों के दौरान कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए पर्याप्त उपाय कर लिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री : श्री विद्याचरण शुक्ल (क) और (ख) : राज्य सरकारें तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन स्थिति के प्रति पूरी तरह सजग है और आगामी चुनावों के दौरान आवश्यकतानुसार केन्द्रीय सरकार की सहायता लेते हुए विधि तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिए

प्रबन्ध करेंगे। इन प्रबन्धों की रूपरेखा पिछले आम चुनावों में प्राप्त अनुभव तथा वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए तैयार की जायगी।

Shri Yashpal Singh : Shri C. B. Gupta, the former Chief Minister of U. P. had said that congress voters were not allowed to proceed to the polling booth in the election of Acharya Kripalani and even the police could not help them. When such a responsible person, a former Chief Minister has made this assessment, what measures are proposed to be taken by Government to avoid such incidents ?

गृह-कार्य कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : मुझे नहीं मालूम कि चुनावों में क्या हुआ क्योंकि उसके बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है। वास्तव में यह प्रश्न आगामी चुनावों में किये जाने वाले प्रबन्धों के बारे में है और हमने बताया है कि हमने पिछले चुनाव के अनुभावों का अध्ययन किया है और हम वर्तमान स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं क्योंकि जो कुछ होने की संभावना है वह वर्तमान स्थिति के परिणामस्वरूप निश्चय ही होने की संभावना है। इसलिए राज्यों सरकारों की सहायता से कुछ विस्तृत अध्ययन किये जा रहे हैं और आगामी कुछ सप्ताहों में हम स्थिति का सामना करने के लिए कोई विस्तृत योजना तैयार कर लेंगे।

Shri Yashpal Singh : Will there be a central body for it or will it be left to district authorities and what means you have got to see that these measure are not misused against the opposition parties ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : निश्चय ही एक राजनीति दल द्वारा दूसरे दल के विरूद्ध लाभ उठाने का कोई प्रश्न नहीं है। स्वाभाविक है कि इन सब मामलों में राज्य सरकारों पर निर्भर करना होगा। उन्हें जो सहायता चाहिए, हम देंगे। हमारा विचार दिसम्बर के अन्त अथवा जनवरी में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को यहां बुलाकर प्रबन्ध के ब्योरे पर विचार करने का है।

श्री रंगा : चुनाव सप्ताह अथवा वास्तविक मतदान दिवस समाप्त होने वाले पखवाड़े में पुलिस किसके नियंत्रण में काम करेगी, स्थानीय कलक्टर, डी. एस. पी. और राज्य के मंत्रालय के अधीन अथवा जो नियुक्त किये जाने वाले चुनाव अधिकारियों के अधीन ? यदि पुलिस चुनाव अधिकारियों के नियंत्रण में होगी, तो उन्हें ठीक व्यवहार न करने वाले पुलिस कर्मचारियों के विरूद्ध आवश्यक अनुशासनिक कार्यबाही करने की शक्ति होगी ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इस समय नियम और विनियम तो मेरे पास नहीं है लेकिन मतदान अधिकारी अथवा चुनाव अधिकारी के अधीन क्षेत्र में स्वाभाविक ही है सब बातों में उसके आदेश चलेंगे। उससे बाहर जिला मजिस्ट्रेट का क्षेत्राधिकार होगा।

श्री रंगा : जिला चुनाव अधिकारी और मतदान अधिकारी नियुक्त किये जाने वाले हैं। यदि बीच में आप पुलिस अधिकारियों को गड़बड़ करने दें, तो बचाव का कोई उपाय नहीं रह जायेगा।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : वास्तव में प्रश्न यह है कि व्यवस्था में विश्वास है या नहीं। चुनाव अधिकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त शक्ति के अनुसार ही काम करेंगे। मैं उन्हें अधिक शक्तियां नहीं दे सकता, जो अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त नहीं हैं।

श्री बेड़ : मन्त्री महोदय ने कहा कि मुख्य सचिवों को यहां बुलाया जायेगा क्या उनका विचार निर्वाचन आयुक्त और चुनाव अधिकारियों को विरोधी दलों के नेता को बुलाने और एक

आचार संहिता बनाने के लिये कहने का है ताकि विरोधी दलों और कांग्रेस दल के बीच कुछ समझौता हो सके ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह बहुत अच्छा सुझाव है। यदि सभी राजनीतिक दलों के नेता राज्य और जिला स्तर पर बैठकर एक आचार सहिता बना ले कि चुनावों में किस प्रकार व्यवस्था बनाये रखेंगे, तो बहुत अच्छी बात होगी और मैं इसका स्वागत करूंगा।

श्री भागवत झा आजाद : ऐसे बहुत से लोग हैं। जिन्हें चुनाव में सफल होने की आशा नहीं है। ऐसे असन्तुष्ट लोग चुनाव में कुछ समस्याओं को आगे लाकर स्थिति का अनुचित लाभ उठा सकते हैं। क्या सरकार ने राज्य सरकारों को कानून और व्यवस्था रखने के तरीकों आदि के बारे में कोई हिदायतें दी हैं ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : वास्तव में निर्वाचन आयोग के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। यह तो सार्वजनिक व्यवस्था का और आंशिक रूप से राजनीतिक प्रश्न है। इसीलिए मैंने सुझाव दिया था कि सभी राजनीतिक दलों के नेता बैठकर एक आचार संहिता बना लें।

Shri Sarjoo Pandey : The Hon. Minister stated that chief secretaries of states would be called here. It is a general practice to appoint people of ordinary standing as polling officers. Sometimes, even the deputy inspectors of schools and overseers are appointed polling officers. Will Government kindly ensure that only senior officers are appointed polling officers so that they may command confidence of the people ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : श्रीमान्, मैं यह स्वीकार नहीं करता कि कम वेतन पाने वाले किसी सरकारी कर्मचारी में ईमानदारी कम होती है। यदि हमें चुनाव के इस भारी काम को यथा संभव कम समय में पूरा करना है, तो सभी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों की सहायता लेनी होगी।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या सरकार को पिछले चुनावों के अनुभव से जानकारी है कि किसी गांव में मतदान केन्द्र पर दूसरे गांवों के लोगों को नहीं आने दिया जाता है और उस बीच जाली वोट डाले जाते हैं। यदि हां, तो बड़े पैमाने पर ऐसी धांधली को रोकने के लिये सरकार ने निर्वाचन आयोग के साथ इस स्तर पर कोई सम्पर्क स्थापित किया है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह तो निर्वाचन आयोग द्वारा सोचने की बात है। यह कानून और व्यवस्था का मामला नहीं है। मैं निर्वाचन आयुक्त के अधिकारों तथा शक्तियों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। कानून और व्यवस्था के मामले में निर्वाचन आयुक्त को इस सम्बन्ध में सहायता चाहियेगी, वह हम देंगे।

श्री हेम बरुआ : देखने में आया है कि किसी खास राजनीतिक दल के उम्मीदार कुछ सरकारी अधिकारियों की सेवाओं का उपभोग करते हैं। क्या सरकार ने इसे रोकने के लिये कुछ कदम उठाने का विचार किया है ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक अलग प्रश्न है। हम कानून और व्यवस्था के प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं।

श्रीमती सावित्री निगम : पिछले चुनावों में नियम इतनी देर से बनाये गये कि मतदान

अधिकारियों और उम्मीदवारों को उनकी पूरी जानकारी नहीं हो सकी। इस बार सरकार इन्हें कितनी जल्दी बना रही है।

अध्यक्ष महोदय इसका कानून और व्यवस्था से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री स. मो. बनर्जी : मुझे विश्वास कि मंत्री महोदय को जानकारी है कि विरोधी पक्ष के बहुत से कार्यकर्ता और राजनीतिक नेता निवारक नजरबन्दी कानून के अन्तर्गत जेलों में पड़े हैं। क्या माननीय मंत्री उन्हें चुनाव में खड़े होने देने के लिये रिहा करने के बारे में राज्यों के मुख्य सचिवों से बातचीत करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : कानून और व्यवस्था और लोगों की रिहाई भिन्न-भिन्न बातें हैं ?

तांबा निकालने के लिये धातु कार्मिक उपकरण

575. डा० कर्णीसिंह जी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने तांबा निकालने के लिये तकनीकी जानकारी प्राप्त कर ली है तथा धातु कार्मिक उपकरण बना लिए है, और

(ख) यदि नहीं, तो हमारे इंजीनियरों द्वारा इस विशेष कार्य में अध्ययन को प्रोत्साहन देने के लिये तथा इन उपकरणों को देश में बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सौन्दरम् रामचन्द्रन्) :

(क) और (ख) : कच्चा तांबा खान से निकालने के लिए आधारभूत तकनीकी जानकारी उपलब्ध है। तांबा खान से निकालने के धातुकार्मिक उपकरणों संबंधी तकनीकी जानकारी को विकसित करने के लिए बहुत थोड़ा काम लिया गया है। फिर भी देश के विश्वविद्यालयों तथा तकनीकी संस्थाओं में खनन की विभिन्न शाखाओं में अध्ययन पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं।

श्री कर्णीसिंह जी : क्या पूर्व यूरोप के देश हमारे इंजीनियरों को खनन प्रक्रियाओं और खनन उपकरणों के निर्माण में प्रशिक्षण देने को तैयार हैं और यदि हां, तो इनसे कितना लाभ उठाया गया है और इस समय उन देशों में कितने इंजीनियर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ?

श्रीमती सौन्दरम् रामचन्द्रन् : खनन के बारे में अन्य देशों से हमें सहयोग मिल रहा है और हम विद्यार्थियों को बाहर भेज रहे है। जहां तक कुछ प्रक्रियाओं का सम्बन्ध है, हम स्वयं ही उन्हें तैयार कर रहे हैं। खनन उपकरणों के बारे में तकनीकी जानकारी देश ही में माइनिंग एन्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर और हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची दे सकती हैं। इस समय प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों विद्यार्थियों की संख्या मुझे नहीं मालूम है।

श्री कर्णीसिंह जी : क्या हमारे खनन उद्योग में सहयोग करने के बारे में पूर्व यूरोप के किसी देश से कोई प्रस्ताव मिला है। यदि हां, तो ये शर्तें अमरीकी कम्पनियों द्वारा सहयोग की शर्तों की तुलना में कैसी हैं ?

श्रीमती सौन्दरम् रामचन्द्रन् : हम पूर्व यूरोप के देशों को भी विद्यार्थी भेज रहे हैं। मेरे पास तुलना करने के लिये ब्यौरा नहीं है।

श्री कृ० चं० पन्त : शिक्षा विभाग ऐसे मामलों में उत्पादन विभागों और उद्योग के बीच तालमेल किस प्रकार करता है ?

श्रीमती सौन्दरम् रामचन्द्रन् : वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के माध्यम से । हमारी राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं हैं । उद्योगों और वैज्ञानिक अनुसधान परिषद के बीच सम्पर्क है ।

कर्मचारियों के मासिक वेतन के साथ बोनस का मिलाया जाना

+

*576. **श्री स० चं० सामन्त :** **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री सुबोध हंसदा : **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री भागवत झा आजाद : **डा० म० मो० दास :**

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारियों के मासिक वेतन के साथ बोनस को मिला दिये जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार द्वारा यदि कोई कार्यवाही की गई है तो क्या ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है ।

श्री स० च० सामन्त : कर्मचारियों को दी जाने वाली बोनस की राशि उद्योगपतियों द्वारा किस प्रकार निर्धारित की जाती है और क्या सभी मामलों में समान नीति अपनाई जाती है ?

श्री शाहनवाज खां : जी, हां । एक निर्धारित प्रक्रिया है । फालतू बचने वाली राशि का 60 प्रतिशत बोनस के भुगतान के लिये नियत की जाती है ।

श्री स० च० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि कर्मचारियों को बोनस का भुगतान न किये जाने के कारण कुछ हड़तालें और तालाबन्दी हुई हैं ? यदि हां, तो क्या इस मामले में सरकार हस्तक्षेप करेगी और उद्योगपतियों से बोनस का भुगतान नहीं रोकने के लिये कहेगी ।

श्री शाहनवाज खां : जब भी कोई विवाद हो, तो विवाद को निपटाने के लिये एक विशेष प्रक्रिया है । जब भी उद्योगपति बोनस नहीं देते हैं, उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है ।

Shri M. L. Dwivedi : Many complaints are received about delay in payment, non-payment of bonus the like matters. Why does not Government try to solve such matters without opening dispute ? Why do not Government make such arrangements that industrialists may not be able to delay and the workers may get payment of bonus in time ?

Shri Shahanwaz Khan : Generally, the bonus is paid in time but, as I stated, in case of delay in payment, the matter is settled through the conciliation machinery. When there is deliberate delay, the industrialists can be prosecuted.

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या बोनस योजना सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों में लागू कर दी गई है ? यदि नहीं, तो सरकारी क्षेत्र के किस प्रकार के उपक्रमों पर बोनस योजना लागू नहीं होती ? कितने प्रतिशत कर्मचारियों पर बोनस अधिनियम लागू होगा ?

श्री शाहनवाज खां : बोनस अधिनियम में ये सब दिया हुआ है । गैर-सरकारी क्षेत्र से

प्रतियोगता करने वाले सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों को 20 प्रतिशत तक बोनस देना पड़ता है ।

Shri Bhagwat Jha Azad : Is government principally opposed to merger of bonus with pay ?

If government have decided after careful consideration that it is not possible now. What other measures are proposed to compensate the increase in prices ?

Shri Shahanwaz Khan : The bonus commission gave a thoughtful consideration to this question and we are f llowing the recommendation made by it. It is not the proper time for merger of bonus with pay.

श्री दीनेन भट्टाचार्य : जब सर्वोच्च न्यायालय ने बोनस अधिनियम की कुछ धाराओं को घोषित कर दिया था, तो माननीय मंत्री ने सभा को आश्वासन दिया था कि सरकार अवैध घोषित किये गये उपबन्धों को किसी अन्य रूप में अधिनियम में शामिल करने के लिये शीघ्र कार्यवाही करेगी । क्या इस दशा में कोई कार्यवाही की गई है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : शायद माननीय सदस्य को मालूम होगा कि स्थायी श्रम समिति में इस मामले को उठाया गया था ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : वे सहमत नहीं हुए ।

श्री जगजीवन राम : मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य अपने आपको स्थायी श्रम समिति में श्रमिकों के प्रतिनिधियों की अपेक्षा श्रमिकों का अधिक अच्छा हिमायती समझते हैं । उस समिति में सभी केन्द्रीय श्रम संगठनों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है । उन्होंने तथा मालिकों ने स्वयं एक द्वि-पक्षीय समिति स्थापित की । उन्होंने सरकार को उसमें प्रतिनिधित्व नहीं दिया । आपस में समझौता करके उन्होंने सिफारिश करने के लिये एक तारीख निर्धारित कर दी है । माननीय सदस्य और क्या चाहते हैं ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं शीघ्रता चाहता हूं ।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या सरकार चीनी कारखानों के कर्मचारियों को प्रोत्साहन-बोनस, जिसमें उत्पादन-बोनस भी शामिल हो, देना आवश्यक समझती है ?

श्री शाहनवाज खां : चीनी कारखाने तो सीजन में काम करने वाले कारखाने हैं ।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : मेरा प्रश्न था : क्या चीनी कारखानों के कर्मचारियों को प्रोत्साहन-बोनस, जिसमें उत्पादन-बोनस भी शामिल हो देने का कोई प्रस्ताव है ।

श्री शहनवाज खां : जहां तक मुझे मालूम है कि चीनी उद्योग में कोई प्रोत्साहन बोनस नहीं है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Are government aware of tendency on the part mill-owners to accumulate heavy amount of arrears by delaying payment of bonus and depositing the contributions towards provident fund ? Arrears towards provident fund contributions due from Swadeshi Mill, Indore and a Textile mill of Bhopal amounted to Rs. 3 lakhs and Rs. 7 lakhs, respectively. The biggar offender sotfree since he has given his bangalow to the Chief Minister of Madhya Pradesh free of charge, and the other person has been put behind the bars.....

Mr. Speakar : It is a question about merger of bonus. What are you leading to.....

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I allege that it has been given free of charge.

Shri Jagjivan Ram : It would be better to make this allegation outside the House.

Mr. Speaker : If allegation against individuals are to be made here by name, I should be given prior notice so that I may apprise the Minister to enable him to reply to it. You can not raise it like this.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The payment of bonus is delayed for 2-3 years. Will Government arrange for payment of bonus with the pay or within 2-3 months ?

Mr. Speaker : Payment and merger are two different questions. Here we are discussing merger only.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

कार्यवाही के वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

NOT RECORDED

Shri Bagri : Mr. Speaker, the reasons for delay should be given.

Mr. Speaker : It is not relevant.

श्री स० मो बनर्जी : क्या बोनस के इस प्रश्न पर—और कुछ धारायें हैं जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दी गई हैं—द्विपक्षीय समिति पर विचार किये जाने की संभावना है ? क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि रेलवे कर्मचारियों, प्रतिरक्षा कर्मचारियों, डाक तथा तार कर्मचारियों तथा अन्य केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों में असन्तोष बढ़ रहा है और उन्होंने बोनस अधिनियम के अन्तर्गत प्रोत्साहन अथवा किसी अन्य प्रकार के बोनस दिये जाने की मांग की है और यदि हां, तो क्या द्विपक्षीय समिति में इस प्रश्न पर भी विचार किया जायेगा ?

श्री जगजीवन राम : जी, नहीं ।

विद्यार्थियों के लिये अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा

+

***577. यशपाल सिंह :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्यार्थियों के लिये अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा लागू करने की योजना के बारे में कोई निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) (क) और (ख) : मामला विचाराधीन है ।

Shri Yashpal Singh : Is this national service different from body, building, character building by students and outstanding performance at the University ?

Shri Bhakt Darshan : It is a very important programme aimed at harressing the leisure and energy of students to constructive purpose.

Shri Yashpal Singh : Now there is large-scale unemployment. For one job there will be as many as 20 candidates. Which line will be entrusted to the students after withdrawing them from their studies and character building ?

Shri Bhakt Darshan : Sir, it will not interfere with their studies. So far as their

character-building is concerned due attention would be paid to it and attempt would be to utilise purposefully their leisure time. I think the hon. member should have no objection to it.

श्रीमती रेणुका राय : मंत्री महोदय ने उत्तर दिया कि मामला विचाराधीन है । चूंकि यह मामला अन्तरिम संसद के समय से विचाराधीन है और विद्यार्थियों की दुनियां में हुई कुछ घटनाओं से यह आवश्यक हो गया कि उनकी शक्ति को रचनात्मक कार्यों में लगाया जाये, इसलिये क्या भविष्य में भी इस मामले को विचाराधीन रखने की अपेक्षा विद्यार्थियों द्वारा अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा लागू करने के लिये तुरन्त कदम उठाये जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राजबहादुर) : हम इस कार्यक्रम को बहुत महत्व का समझते हैं क्योंकि विद्यार्थियों के समेकित व्यक्तित्व के विकास के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है । इस बारे में की गई जांच और अध्ययन से यही निष्कर्ष निकला है कि इसमें काफी व्यय होगा । हम धन उपलब्ध होने और उद्देश्य की वांछनीयता दोनों ही ध्यान में रख रहे हैं और इस कारण ही समय लग रहा है ।

Shri Prakash Vir Shastri : Have Government tried to assess the leisure time which students get after their studies that this programme of essential national service is being thought of.

Shri Bhakt Darshan : Yes, Sir, a study group under the chairman is going into the details and preparing statistics but roughly speaking a student gets 3.4 months in a year and few hours daily, when he is free.

श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या विद्यार्थियों के अध्ययन काल में खाली समय का उपयोग करने का मामला विचाराधीन है अथवा विश्वविद्यालय या हायर सेकेन्ड्री पाठ्यक्रमों से पहले भी उन्हें एक वर्ष के लिये राष्ट्रीय सेवा में लगाने का भी विचार है ?

श्री राजबहादुर : मैं कह चुका हूं कि मूल उद्देश्य विद्यार्थियों का समेकित व्यक्तित्व का विकास करना है और इसे नियमित शिक्षा पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए ।

Shri Maurya : Mr, Speaker earlier there was a social service and now there is talk of this national service, what is the difference between the two ? Will the big problems facing the country such as removal of untouchability, casteism and communalism will also be included in it ?

Shri Bhakt Darshan : National service and social service are two names for one and the same thing. There is no difference between the two and it will be a nation wide programme. All these aspects will be considered.

Shri Raj Bahadur : National service is a wide term and social service is covered under it. I includeas various departments of social services and all things would be attended to.

श्री पे० बैंकटासुब्बया : क्या विद्यार्थियों के खाली समय के लिये यह राष्ट्रीय सेवा योजना तैयार करने में भाषायी मेल-जोल और भावात्मक एकता लाने के लिये विश्वविद्यालयों के बारे में भी सोचा जा रहा है ?

श्री राज बहादुर : इस पर ध्यान दिया जा सकता है । यह तो ब्यौरे की बात है ।

Shri Jagdeve Singh Siddhanti : Defence of the country and food production are two

important works of national service. Since the college and university students get 4 to 7 months holidays, are Government thinking of utilising the services of students of agricultural colleges at the time of sowing and irrigating the fields so as to give them practical training ?

Shri Raj Bahadur : The point referred to by the hon. member is the main object of the scheme. All these are matters of detail. These may be taken into account,

Shri Bibhuti Mishra : Mahatma Gandhi had pleaded for emphasis on education. Government has failed in their attempts. Are Government now trying to introduce basic education under the name of national service ?

Shri Bhakt Darshan : Basic education is confined to primary classes but the question is about utilising the services and energy of college and university students.

श्री रवैल : माननीय मंत्री ने कहा कि वे इस कार्यक्रम को बहुत महत्व देते हैं और वे कह रहे थे कि यह अन्तरिम संसद् के काल से विचाराधीन है। योजना का महत्व निर्धारित करने का आधार क्या है, विचार करने की अवधि की लम्बाई अथवा किसी कार्य करने में सरकार की गति ? इस पर विचार करना कब तक समाप्त होगा और यह योजना कब सामने आयेगी ?

श्री राज बहादुर : माननीय सदस्य को याद होगा कि श्री सी० डी० देशमुख की अध्यक्षता में एक आयोग स्थापित किया था और उसने कुछ सिफारिशें की थी। उन सिफारिशों के अनुसार कुल 111 करोड़ रुपए का खर्चा था और उन्हें क्रियान्वित करने में यही रुकावट थी। हाल में, पुनः डा० कोठारी की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल विचार कर रहा है कि अपने वित्तीय साधनों को ध्यान में रखते हुए इसे कहां तक क्रियान्वित किया जा सकता है।

Shri Tulsidas Jadhav : There used to be a period of Ethics every week in schools and colleges, which has been discontinued now. Are Government considering to introduce it again ?

Shri Raj Bahadur : There is no co-relation between Ethics and social service.

Shri Bade : The foreign missionaries came here with foreign aid worth 50 crors and go to village and work amongst tribals whereas our services function in big villages. Have Government formulated any scheme for tribals so as to prevent their conversion by the missionaries ?

Shri Raj Bahadur : Attempt would be made to cover all possible things under social service and and all the needs of the society will be considered.

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा

\+

***578. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :**
श्री वासुदेवन् नायर : **श्री वारियर :**

क्या गृह-कार्य मंत्री अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के बारे में 27 जुलाई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 81 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय न्यायिक सेवा स्थापित करने के बारे में सरकार को राज्य सरकारों के उत्तर प्राप्त हो चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? और

(ग) यदि नहीं, तो राज्य सरकारों के उत्तर कब प्राप्त होने की सम्भावना है ?

गृहकार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : अभी तकेवल पांचराज्य सरकारों से उत्तर प्राप्त हुए हैं

(ख) और (ग) : आशा है कि दूसरी राज्य सरकारों से उत्तर तभी प्राप्त हो सकेंगे जब वे इस प्रश्न की जांच समाप्त कर लेंगी। सभी राज्य सरकारों से उत्तर प्राप्त होने के बाद ही निर्णय लिया जायगा।

Shri Vishwa Nath Pandey : What is the reaction of these five States, which have sent replies in regard to the establishment of All-India Judicial Service ?

श्री पू० शे० नास्कर : यह न्यूनाधिक एक मिश्रित प्रतिक्रिया है। उन सबकी एक राय नहीं है।

Shri Vishwa Nath Pandey : I would like to know whether Govt. of India will consult the Chief Justice of India in the matter of establishment of All-India Judicial Service ?

श्री पू० शे० नास्कर : जैसे ही सब राज्य सरकारों के उत्तर हमें मिल जायेंगे तैसे ही इस बारे में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायधिपति से परामर्श किया जायेगा।

श्री हु० चा० लिंग रेड्डी : किन-किन राज्यों ने अपनी राय भेज दी है तथा क्या उन्होंने उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से इस मामले पर सलाह ली है ?

श्री पू० शे० नास्कर : केरल, मध्यप्रदेश, मद्रास, पंजाब और राजस्थान की सरकारों ने इस सम्बन्ध में अपने उत्तर भेज दिये हैं तथा जब इन्होंने उत्तर भेजे थे तब उन्होंने सम्बन्धित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की सलाह ली है।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या मंत्री महोदय को यह मालूम है कि पहले विधि आयोग ने, जिसके अध्यक्ष भूतपूर्व महान्यायवादी श्री मोतीलाल सीतलबाई थे, यह निष्कर्ष निकाला था कि उच्च न्यायालयों में नियुक्तियां गुणों के आधार पर नहीं की जाती हैं। क्या निम्न स्तर के न्यायालयों पर भी यह निष्कर्ष अब लागू होने लगा है ?

श्री पू० शे० नास्कर : इसका सम्बन्ध मूल प्रश्न से नहीं हैं। मूल प्रश्न अखिल भारतीय न्यायिक सेवा स्थापित करने के बारे में है।

Shri Maurya : All the three organs of Govt.-executive Legislative and Judiciary should have separate independent existence. None should interfere with the working of each other. This principle has been incorporated under article 53 in our constitution. Inspite of this constitutional provision Govt have not been able so far to separate the judiciary from the executive. This is for the safeguard of judiciary and rule of law in the country. Why has this portion not been implemented so far ?

श्री पू० शे० नास्कर : यह राज्य सरकार का विषय है और अधिकतर राज्य सरकारों ने ऐसा कर लिया है।

श्री मौर्य : इस धारा को क्रियान्वित करने में सरकार के सामने क्या बाधायें आ रही हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि अधिकतर राज्य उसे क्रियान्वित कर चुके हैं।

नियम 40 के अधीन प्रश्न

Questions under Rule 40

Shri Madhu Limaye. I wish to raise a Point of Order regarding item No 2 on the Agenda Paper. Mr. Speaker, first of all I want to congratulate you for a new procedure which you have introduced. It is really a very good procedure.

Mr. Speaker: Now please put your point of order.

Shri Madhu Limaye: I want to submit that I have stated that my question was in 5 parts, but only four parts have appeared in the list. This part related to the comments given by Shri Biju Patnaik, on the report of the Public Accounts Committee which published in Hindustan Times. I think, it does not violate Rule 43, which says: "The Speaker shall decide whether a question, or a part thereof, is or is not admissible under these rules and may disallow any question or a part thereof, when in his opinion it is an abuse of the right of questioning or is calculated to obstruct or prejudically affect the procedure of the House or is in contravention of these rules." What part of this Rule has been violated by my question? In my opinion that particular part of my question is not in contravention of this rule. I, therefore, request that part may also be included in the list.

अध्यक्ष महोदय: वह उन माननीय सदस्य की विशेष जानकारी में नहीं था। दूसरे इसके चौथे भाग में सभापति की प्रतिक्रिया के बारे में पूछा गया था। यह पूछा नहीं जा सकता। इसलिये मैंने इसको स्वीकार नहीं किया था।

श्री हरि विष्णु कामत: मेरा एक और व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 40 के अधीन पूछे गये ये दोनों प्रश्न पीले कागज पर क्यों छापे गये। इन्हें हरे कागज पर ही छापा जाना चाहिये था जो एक बहुत ही सुन्दर रंग है।

अध्यक्ष महोदय: चूंकि ये प्रश्न गैर-सरकारी सदस्य से पूछे गये हैं और उनका अन्तर स्पष्ट किया जाना चाहिए।

श्री हरि विष्णु कामत: यह पीला नहीं होना चाहिये।

श्री नम्बियार: यह लाल होना चाहिये।

Shri Madhu Limaye. Should I read it.

Mr. Speaker: It need not be read.

लोक सेवा समिति का 60 वां प्रतिवेदन

1. श्री मधु लिमये: **श्री प्रिय गुप्त:**

क्या लोक सेवा समिति के सभापति यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लोक सेवा समिति (1966–67) के 60 वें प्रतिवेदन में जिस एयरवेज़ कम्पनी का कई बार उल्लेख किया गया है वह कलिंग एयरवेज़ है;

(ख) क्या इस कम्पनी से उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री बिजू पटनायक का किसी प्रकार का सम्बन्ध रहा है

(ग) वह कौन से प्रतिरक्षा मंत्री थे जिनका उल्लेख प्रतिवेदन के पैरा 3·15 में किया गया है और जिन्होंने कलिंग एयरवेज़ के साथ ठेके की अवधि बढ़ाने का विरोध किया था ; और

(घ) उस समय प्रतिरक्षा के प्रभारी कैबिनेट मंत्री कौन थे जिस समय प्रतिरक्षा मंत्रालय की विचारधारा में ऐसा "आमूल परिवर्तन हुआ जिसके कारण समझना आसान नहीं है ?

लोक-लेखा समिति के सभापति (श्री मुरारका) : (क) जी, हां।

(ख) इस सम्बन्ध में समिति को कोई जानकारी नहीं है।

(ग) प्रतिवेदन के पैरा 3·15 में किसी भी प्रतिरक्षा मंत्री का उल्लेख नहीं है -

(घ) यह प्रथा नहीं है कि लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों और विनियोग लेखा का निरीक्षण करते समय, समिति, मंत्रियों अथवा अधिकारियों के व्यक्तिगत नामों की जांच करे।

Shri Madhu Limaye Sir, I want to put some supplementaries on this question.

Mr. Speaker : It is quite a new procedure and I want to make it quite clear. It will be very difficult for me to allow supplementaries over it because if it is done, it will be a separate Question Hour. If you want you can give notice of more questions on the same subject and he will give answer in writting. But I will not allow supplementaries here in regard thereto.

Shri Madhu Limaye : All right Sir.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : परन्तु नियम 40 के अधीन।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे देख लिया है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यह आपके अधिकार में है। आपको ही इसकी अनुमति देनी है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक स्वस्थ प्रक्रिया रहेगी यदि इससे सम्बन्धित प्रश्नों को पृथक रूप से लिखकर पूछा जाय।

श्री हरि विष्णु कामत : यदि ऐसा प्रश्न सभा के अन्त में हो तो।

श्री त्यागी : कई बार प्रश्न का लिखित उत्तर स्पष्ट और संगत नहीं होता। ऐसे प्रश्न के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्राप्त करने का प्रत्येक सदस्य का अधिकार होता है।

अध्यक्ष महोदय : कोई अन्य सदस्य भी लिखकर प्रश्न पूछ सकता है। परन्तु मैं इस पर यही चर्चा करने की अनुमति देने को तैयार नहीं हूं।

श्री रंगा : अध्यक्ष महोदय, आपने एक बड़ी स्वस्थ परम्परा डाली है। परन्तु आपसे इस बारे में व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से विचार विमर्श करने का अवसर तो हम लोगों को मिलना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदय : यदि उनकी यह इच्छा है तो मैं इसे पूरा करने को तैयार हूं।

श्री रंगा : इस पर अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति न देकर भी आप हमें इस अधिकार से वंचित कर रहे हैं कि हम आपके साथ किसी विषय पर विचार-विमर्श कर सकें। दूसरे यदि आपने इस सिद्धान्त को क्रियान्वित करने की पहल की है तो आपको उसे पूर्णतया तथा अधिक अच्छे ढंग से व्यवहार लाना चाहिए। इन तीनों समितियों के सभापति विपक्ष से होने चाहिये और सत्तारूढ़

दल से नहीं, जैसा कि इंगलैंड आदि देशों में होता है। इस बात को आप से पहले के सभी अध्यक्षों ने सिद्धान्त रूप से स्वीकार किया था ।

इस प्रकार के प्रश्नों की सूचना दिये जाने, सूचना की अवधि आदि के सम्बन्ध में भी विचार किया जाना चाहिए ।

श्री त्यागी : यदि इन प्रश्नों को अतारांकित प्रश्न माना जाय तो अधिक अच्छा होगा ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : इस प्रक्रिया को कार्यरूप में लाकर आपने बहुत ही अच्छा कार्य किया है : सामान्य प्रक्रिया यह है कि जब भी प्रश्न मौखिक रूप से किये जाते हैं और उसका उत्तर सभा में दिया जाता है तो उसके बारे में पूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं । इस प्रश्न के उत्तर से, जो लोक लेखा समिति के सभापति ने दिया है, कई विचार हमारे मन में उठे हैं जिनका निराकरण होना चाहिए । आपने यह सुझाव दिया है कि दोनों सदस्य परस्पर लिखकर विचार-विनिमय कर सकते हैं, किन्तु यह मामला दो सदस्यों का मामला नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह नहीं कहा है । मैंने कहा है कि आप इस सम्बन्ध में मुझे सूचना दें । मैं ऐसे प्रश्नों के लिये समय सरकारी सम्य में से लेने के लिये बिलकुल तैयार नहीं हूं । माननीय सदस्य भी यह मानते हैं कि यह सम्भव नहीं है । साथ ही मुझे इस विषय पर सरकार से भी परामर्श करना है ।

श्रीमति रेणुका चक्रवती : एक नई प्रक्रिया का यह अवसर देने के लिये मैं आप को बधाई देतीहूं । नियम 40 में दिया गया है :

प्रश्न किसी अन्य गैर-सरकारी सदस्य को सम्बोधित किया जा सकेगा, यदि प्रश्न का विषय किसी विधेयक, संकल्प अथवा सभा के कार्य के अन्य विषय से सम्बन्धित हो, जिसके लिये वह सदस्य उत्तरदायी हों और ऐसे प्रश्नों के सम्बन्ध में यथा सम्भव उसी प्रक्रिया का, जो किसी मंत्री को सम्बोधित प्रश्नों के सम्बन्ध में प्रयुक्त की जाती है, ऐसे परिवर्तनों के साथ अनुसरण किया जायेगा जो अध्यक्ष आवश्यक समझे ।

हमें इसका सम्भवत: बहुत कम और महत्वपूर्ण प्रश्नों के सम्बन्ध में ही प्रयोग करना चाहिये परन्तु इसके साथ ही मैं आप से अनुरोध करुंगी कि आप हमें यथा सम्भव प्रक्रिया का पालन करने की अनुमति दें ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सदस्यों को बता दिया है कि इम इस पर बैठ कर चर्चा कर सकते हैं ।

श्री नम्बियार : यह तीसरी लोक सभा के लिये नहीं हैं । निर्णय चतुर्थ लोक सभा के लिये होगा ।

अध्यक्ष महोदय : यदि इस बात की आवश्यकता है तों मैं निर्णय नहीं करूंगा ।

श्री बड़े : नियम 40 के अन्तर्गत आप परिवर्तन कर सकते हैं, परन्तु ऐसी कोई रोक नहीं है कि सरकार का समय नहीं लिया जाना चाहिये । इसके विपरीत, बार बार प्रश्न पूछने की बजाये आप अनुपूरक प्रश्नों के लिये पांच या दस या पंद्रह मिनट नियत कर सकते हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : नियम 40 के अन्तर्गत प्रश्न किसी भी सदस्य को सम्बोधित किया जा सकता है, तीन समितियों के सभापतियों के अतिरिक्त किसी भी गैर-सरकारी सदस्य को सम्बोधित किया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि उस व्यक्ति को उसकी विशिष्ट जानकारी हो, जो कि सभा के समक्ष कार्य का प्रभारी हो।

श्री हरि विष्णु कामत : गैर–सरकारी विधेयक और गैर–सरकारी संकल्प इसके अंग में है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक अलग बात है। हम इस पर विचार कर सकते हैं।

श्री राधेलाल व्यास : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्न एक मंत्री या गैर-सरकारी सदस्य से पूछे जा सकते हैं। किसी भी समिति के सभापति को मंत्री के रूप में नहीं समझा जा सकता है; बावजूद इसके कि वह सभापति है उसे एक गैर सरकारी सदस्य के रूप में ही समझा जा सकता है। नियमों के अन्तर्गत किसी भी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य से प्रश्न पूछा जा सकता है। नियम में दिया गया है कि यदि किसी गैर सरकारी सदस्य से प्रश्न पूछा जाता है तो उसका क्षेत्र सीमित है। नियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रश्न गैर सरकारी सदस्य से पूछा जा सकता है, बशर्ते कि प्रश्न का विषय संकल्प या सभा के उस कार्य से सम्बन्धित अन्य ऐसे मामले से सम्बन्धित हो जिसके लिये वह सदस्य जिम्मेदार है। किसी विधेयक लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन सभा का कार्य नहीं है। सभा का कार्य केवल वही कार्य है जो कि उस दिन की कार्य सूची में रखा गया हो। (व्यवधान) इसलिये मेरा निवेदन है कि नयी प्रक्रिया, जिसको लागू किया जा रहा है, खतरे से भरी हुई है। इससे अनेक जटिल प्रश्न पैदा हो जायेंगे और प्रश्न गैर सरकारी सदस्यों को भी सम्बोधित किये जा सकते हैं, जिनकी संख्या 500 से अधिक है। अतः मेरी आप से प्रार्थना है आप कृपा करके इस पर पुनः विचार करें और इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : चूंकि आपने अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी है, मैं अपना प्रश्न पूछने से पहले आप से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

लोक लेखा समिति का 60वां प्रतिवेदन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह कहा गया है कि उस विशिष्ट कम्पनी ने जिसके मालिक श्री बीजू पटनायक हैं, करीब 32 लाख रु० लिये हैं; उसने सरकार को ठगा है, और प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है·····(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बहुत सारी बातें कहने के लिये इसका फायदा नही उठाया जाना चाहिये।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : इस प्रतिवेदन के अनुसार, यद्यपि सरकार ने·····(व्यवधान)— मैं बता नहीं रहा हूं और ब्यौरे में नहीं जा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : हम प्रतिवेदन पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : दूसरे, जैसा कि आप जानते हैं, इस सभा में और इसके बाहर एक आरोप लगाया गया था कि नेफा को भेजे जाने माल को कलकत्ता के बाजारों में बेचा गया है, जिसके बारे में जिक्र है। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार प्रतिवेदन में दिये गये इन रहस्योद्घाटन करने वाले मामलों पर कोई वक्तव्य देने जा रही है या सभा के स्थगित होने से पूर्व आप इस प्रतिवेदन पर एक छोटी चर्चा की अनुमति देंगे।

अध्यक्ष महोदय : यह मैं अभी कैसे कह सकता हूं ? प्रार्थना आने पर इस पर विचार किया जा सकता है। अब आप अपना प्रश्न पूछिये।

लोक लेखा समिति का साठवां प्रतिवेदन

2. श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :

क्या **लोक लेखा समिति के सभापति** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक लेखा समिति ने कलिंग एयरवेज़ के, जिन्होंने नेफा तथा नागालैंड में सामान पहुंचाने का सरकार से ठेका लिया था, गवाहों से पूछताछ की थी;

(ख) क्या अभिलेख में कोई ऐसी बात हैं जिससे यह पता लगे कि अन्त में यह ठेका प्रधान मंत्री, प्रतिरक्षा मंत्री तथा गृह-कार्य मंत्री की सलाह से दिया गया था;

(ग) क्या पहला ठेका समाप्त होने तथा दूसरी अवधि के लिये नवीकरण से पहले सरकार कोई लेखापरीक्षा प्रतिवेदन दिये गये थे जिनमें घोर अनियमिततायें बताई गई थीं, और क्या लोक लेखा समिति ने अभिलेख में यह देखा है कि दूसरी अवधि के लिये अन्तिम रूप से ठेका देने से पहले प्रश्न के इस पहलू की जानकारी सरकारी स्तर पर अथवा मंत्री-स्तर पर समुचित प्राधिकारियों को कभी नहीं दी गई; और

(घ) क्या लोक लेखा समिति द्वारा बताई गई धन राशि की अदायगी न करने के लिये कलिंग एयरवेज़ ने कभी कोई स्पष्टीकरण दिया था ?

लोक लेखा समिति के सभापति (श्री मुरारका) (क) जी नहीं । पुरानी परम्परा के अनुसार समिति केवल सरकारी गवाहों की परीक्षा करती है और गैर–सरकारी पक्षों को नहीं मंगाती है ।

(ख) इस सम्बन्ध में लोक लेखा समिति के 60वें प्रतिवेदन के पैरा 4 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

(ग) समिति के पास कोई जानकारी नहीं है कि क्या पहले ठेके की समाप्ति और दूसरे ठेके के नवीकरण से पूर्व सरकार को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन दिया गया था ।

यदि निर्देश असैनिक उड्डयन के महानिदेशक, जिन्हें कि कम्पनी द्वारा किये गये कदाचार और अनियमितताओं की जांच करने के लिये नियुक्त किया गया था, के प्रतिवेदन की ओर है तो लोक लेखा समिति के साठवें प्रतिवेदन के पैरा 2.45 से 2.47 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

(घ) कलिंग एयरवेज़ द्वारा लोक लेखा समिति को ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। हां, इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य का ध्यान लोक लेखा समिति के 60वें प्रतिवेदन के पैरा 3.4 से 3.18 की ओर दिलाया जाता है जिसमें कम्पनी को अधिक भुगतान किये जाने की बात कही गई है ।

Shri Madhu Limaye : Nothing has been said about the statement and no names have been sanctioned.

Mr. Speaker : He may give me in writting.

श्री हेम बरुआ : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । लोक लेखा समिति के सभापति ने भाग (ग) के उत्तर में कहा है कि सरकार से कालिंगा एयरवेज़ के बारे में कोई प्रतिवेदन नहीं

दिया गया था। क्या मैं आपका ध्यान मेरे द्वारा इस सभा में उठाई गई उस चर्चा की ओर दिला सकता हूं जिसमें कालिंगा एयरवेज़ के कार्य के बारे में लेखापरिक्षा प्रतिवेदन का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था ? यही चीज़ समिति के प्रतिवेदन में भी दी गई है कि कालिंगा एयरवेज़ ने नेफा में केवल एक तिहाई सामान गिराया और शेष को चोर बाजार में बेचा।

अध्यक्ष महोदय : आप शह कहना चाहते हैं कि जो जानकारी दी गई वह सही नहीं है।

श्री हेम बरुआ : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : मैं सभापति से इसकी जांच करने के लिये कहुंगा।

Shri Maurya : The reply given by the Chairman, P. A. C. although does not amount to a misstatement of facts, yet it is ambiguous and it creates two kinds of impressions. I, therefore, urge upon you to kindly allow supplementaries so that no wrong inferences may be drawn due to the ambiguity that is there.

Mr. Speaker : There is no point of order in it.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

भाषा सम्बन्धी घृणा फैलाने का पाकिस्तान का षडयंत्र

***574 श्री मधु लिमये :**
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पाकिस्तान के इस षडयंत्र के बारे में कोई जानकारी मिली है जिसके द्वारा वह भारत में छद्म वेष में रहने वाले क्रियाशील पाकिस्तानी नागरिकों तथा पाकिस्तान द्वारा एजेंटों के रूप में नियुक्त किये गये भारतीय नागरिकों के माध्यम से बंगला भाषी जनता और बंगाली से भिन्न भाषा-भाषी लोगों में तथा आसामी और पहाड़ी जिलों के आदिम जातीय लोगों में भाषा संबन्धी घृणा फैलाने का प्रयास कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस षडयंत्र का स्वरूप तथा इसकी कार्य-प्रणाली क्या है; और

(ग) भारत के पूर्वी क्षेत्र की अखडंता को छिन्न-भिन्न करने के पाकिस्तानी प्रयासों को विफल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) (क) से (ग) : भारतीय नागरिकों के छद्म वेष में रहने वाले पाकिस्तानियों तथा पाकिस्तान द्वारा एजेंट रूप से नियुक्त भारतीयों के बंगाली भाषी तथा अन्य भाषा-भाषियों और आसामी तथा आमास के पहाड़ी जिलों के आदिम जातीय व्यक्तियों के बीच भाषायी आधार पर घृणा फैलाने के प्रयास की संपुष्ट सूचना नहीं है। किन्तु फिर भी हमें यह ज्ञात है कि पाकिस्तान ने सरकार के विरूद्ध आदिम जातीय व्यक्तियों की सहायता की है और कर रहे हैं। व्यवस्था उत्पन्न करने के लिये भाषायी विवादों के उपयोग की चेष्टा की भी सूचना मिली है।

राष्ट्र-विरोधी तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है और देश की अखंडता को छिन्न-

भिन्न करने के किसी भी प्रयास के विरूद्ध दृढ़ता से कार्यवाही की जायगी।

कर्मचारियों के लिये अनुशासन संहिता

***579 श्री स० मो० बनर्जी :**

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक तथा तार, रेलवे और प्रतिरक्षा विभागों सहित सरकारी क्षेत्र के किसी भी उपक्रम में कर्मचारियों के लिये अनुशासन संहिता लागू नहीं की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) रेलवे तथा प्रतिरक्षा उपक्रमों पर अनुशासन संहिता अभी लागू नहीं होती है। परन्तु समवायों और निगमों के रूप में काम कर रहे सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों पर यह संहिता लागू होती है। डाक और तार विभाग में यह संहिता उन वर्कशापों और स्टोर डिपुओं पर लागू होती है जिनपर कि औद्योगिक विवाद अधिनियम लागू होता है। प्रतिरक्षा के मामले में इसके अधीन सरकारी क्षेत्रीय उपक्रमों में संहिता को लागू करने में कुछ प्रगति हुई है। रेलवे के मामले में भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा पास की गई अनुशासन संहिता में रेलवे मंत्रालय द्वारा सुझाये गये संशोधनों पर कुछ मतभेद है।

(ग) सम्बन्धि मंत्रालयों के साथ इस मामले पर लिखा पढ़ी की गई है।

मुसलमानों की कठिनाइयां

***580. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**   **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मुसलमानों की कठिनाइयों की जांच कराने के बारे में 23 सितम्बर, 1966 को उत्तर प्रदेश मजलिसे मुशवरत के प्रधान डा० ए० आई० फरीदी द्वारा लखनऊ में दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि इस संबंध में केन्द्रीय सरकार को अनेकों ज्ञापन भेजे गये हैं;

(ग) यदि हां, तो देश की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक जाति की कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या मालाबार, उत्तर प्रदेश तथा अन्य स्थानों में मुसलमानों की कठिनाइयों की जांच करने के का काम केन्द्रीय सरकार ने एक मुसलमान मंत्री को सौंपा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार ने डा० फरीदी का वक्तव्य देखा है।

(ख) मुसलमानों की शिकायतों के बारे में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ) : सभी मामलों में प्राप्त होने वाले विशेष अभ्यावेदन उचित विचार के

लिये सम्बन्धित केन्द्रिय मंत्रालयों, राज्य सरकार अथवा अन्य अधिकारियों को भेज दिये जाते हैं। प्रधान मंत्री के अनुरोध पर वर्तमान केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों तथा दिल्ली के कार्यपालक पार्षदों के साथ उर्दू भाषा के दर्जे तथा अलीगढ़ विश्वविद्यालय के मामलों पर विचार विमर्श किया। कुछ दिन हुए वे केरल भी गये थे और उस राज्य के मुसलमानों के कुछ प्रतिनिधियों ने उनके सामने एक ज्ञापन पेश किया था जिसमें उस सम्प्रदाय की कुछ शिकायतें दी गई थीं।

उर्वरक कारखानों में अमरीकी पूंजी विनियोजन

581. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री दाजी :
श्री भागवत झा आजात :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री दे० द० पुरी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 सितम्बर 1966 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में "चुनावों से पूर्व अमरीकी फर्में पूंजी लगाने को तैयार नहीं" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि भारत के राजनैतिक भविष्य की अनिश्चितता के कारण गैर-सरकारी अमरीकी पूंजी विनियोजक भारत में पूंजी लगाने और विशेषकर उर्वरकों के मूल क्षेत्र में पूंजी लगाने को तैयार नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो विदेशी पूंजी विनियोजन के वातावरण के बारे में सरकार की अपनी जानकारी तथा अनुमान इन समाचारों से कहां तक मेल खाते हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (अलगेशन) :

(क) जी हां।

(ख) उर्वरकों के क्षेत्र में विदेशी निवेश के प्रस्ताव मिल रहे हैं। सरकार के पास कोई सूचना नहीं है कि किन्हीं राजनैतिक कारणों से विदेशी निवेश में कमी हो गई है।

मद्रास उर्वरक परियोजना के लिये अमरीकी सहयोग

582. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री मती मैमूना सुल्तान :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री महेश्वर नायक :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकन इंटरनेशनल आयल कम्पनी ने, जिसने प्रस्तावित मद्रास उर्वरक परियोजना के लिये सहयोग देने के बारे में अंतिम निर्णय करने के लिये और समय मांगा है ?

(ख) क्या यह सच है कि करार की शर्तों में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि यदि 15 सितम्बर, 1966 तक डालर ऋण की व्यवस्था के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय नहीं किया गया तो करार को रद्द समझा जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो इस अवधि को किन परिस्थितियों के कारण बढ़ा दिया गया हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेशन) :

(क) और (ख) : ऋण करार को कार्यान्वित करने की तिथि को पारस्परिक सहमति से 20 दिसम्बर, 1966 तक बढ़ाया गया है ।

(ग) समय अवधि को बढ़ाना पड़ा क्योंकि इससे पहले ऋण की शर्तों को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका ।

Import of Medicines

***583 Shri Vishram Prasad :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state ;

(a) the value of medicines imported from **abroad and the amount** of foreign exchange expended in the form of royalties to foreign collaborators in Drug Industry during 1965-66;

(b) whether the indigenous medicines; and

(c) if so, whether Government propose to stop **import of medicines ?**

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan)

(a) The value of medicinal products imported during 1965 was Rs. 860 lakhs. The amounts of foreign exchange expended in the form of royalties to foreign collaborators in Drug industry during 1965-66 is not available.

(b) The quality of medicines manufactured in the country is statutorily controlled and is comparable to that of medicines produced elsewhere. The medicines and raw materials for their production that are imported, are mainly those which are not adequately produced in the country and hence the question of substitution would not arise until they are produced locally.

(c) The import policy for drugs and medicines is constantly kept under review and whenever a medicine is locally produced in adequate quantities, its import is restricted/banned.

Strike by Calcutta Dock Workers

***583—A. Shri Bade :** **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Onkar Lal Berwa : **Shri Surendra Pal Singh :**
Shri P. H. Bheel : **Shri Kapur Singh :**

Will the Minister of **Labour, Employment and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that six thousand dock workers of Calcutta Port had gone on strike in September, 1966;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the total loss caused thereby ?

The Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Jagjivan Ram):

(a) Yes.

(b) The strike was intended to press certain demands of Calcutta Dock Workers over which the Calcutta Dock Workers Union had earlier given a notice of strike.

(c) Information regarding loss in terms of money is not available. However, as a result of the strike 45,369 mandays were lost.

बेरोजगार इंजीनियरिंग स्नातक

*584. **श्री श्यामलाल सर्राफ** :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश के कुछ भागों में इंजीनियरिंग स्नातक अपने कालेज छोड़ने के पश्चात बेरोज़गार रहते हैं, जबकि कुछ अन्य भागों में स्थिति इससे बिल्कुल प्रतिकूल है;

(ख) क्या इंजीनियरिंग कालेजों में छात्रों के दाखिले का विनियमन तथा आयोजन केन्द्रीय तथा राज्यों की योजनाओं की परियोजनाओं की क्रियान्वित संबंधी वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) :

(क) निश्चयपूर्वक यह सिद्ध करने वाला कोई साक्ष्य नहीं है कि इस समय इंजीनियरिंग व्यक्तियों में कुल मिलाकर कोई बेरोज़गार है। देश के कुछ भागों में छोटे मोटे बेरोज़गारी के कुछ मामले हो सकते हैं और संकेत मिलता है कि यह बेरोज़गारी ज्यादातर व्यक्तियों आदि में इधर-उधर जाने की प्रवृति में कमी के कारण ही है।

(ख) और (ग)–इंजीनियरी तथा टेकनालोजी में डिग्री व डिप्लोमा स्तर पर तकनीकी शिक्षा की सुविधाएं, अगली आयोजनाओं के लिए जन शक्ति आयोजना के अंगस्वरूप पंचवर्षीय आयोजनाओं में बढ़ी है। और लक्ष्य अगले 10–15 वर्षों के दौरान तकनीकी कर्मचारियों की जरूरतों के अनुसार ही निर्धारित किए गए हैं।

गुजरात तेल शोधन कारखाना

*585. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात तेलशोधन कारखाना चालू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल कितना खर्च आया है;

(ग) क्या इस कारखाने की पूरी क्षमता के अनुसार वहां काम हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस कारखाने में अब तक कितनी मात्रा में शोधित माल तैयार किया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) :

(क) जी हां।

(ख) 30.22 करोड़ रुपये।

(ग) 2 मिलियन मीटरी टन की निर्धारित क्षमता के मुकाबले में यह शोधनशाला इस समय प्रतिवर्ष 1.5 मिलियन मीटरी टन की क्षमता पर कार्य कर रही है।

(घ) अक्तूबर, 1965 (अर्थात शोधनशाला की चालू होने की तारीख) से लेकर अक्तूबर, 1966 के अन्त तक 1,051,061 मीटरी टन पदार्थ बनाये गये ।

Rebellion in Khasi and Jaintia Hills

*586. **Shri Utiya** **Shri Kishen Pattnayak**
Shri Madhu Limaye

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have got a clue to the preparations for rebellion in Khasi and Jaintia Hills like the Mizo rebellion; and

(b) if so, whether Government have taken any steps to prevent it ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):

(a) According to the information received from the Government of Assam, there is no indication of preparation for a rebellion in Khasi and Jaintia Hills like the Mizo rebellion. Government is, however keeping a close watch on the situation.

(b) Does not arise.

Arrears of Telephone Bills of Central Ministers and Officers

*587. **(Shri Kishen Pattnayak :** **(Shri Madhu Limaye :**

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that arrears to the tune of Rupees Two Crores are outstanding in regard to the telephone bills of Central Ministers and Officers; and

(b) if so, the steps taken so far to realise this amount ?

The Ministers of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Jaganath Rao): (a) Against all Government subscribers (including State, Govt. and Defence) a sum of Rs 230 lakhs was outstanding on 1-6-1966 in respect of bills issued upto 30-11-65. Separate information regarding arrears of telephone bills against Central Ministers and Officers is not readily available.

(b) Special steps, such as repeated letter reminders, personal contacts and disconnection of telephones are being undertaken to secure early payment of the arrears.

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गुजरात राज्य को गैस की सप्लाई

*588. **श्री हरि विष्णु कामत । श्री जसवन्त मेहता :**

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्रीयह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात राज्य में उद्योगों द्वारा गैस की सप्लाई के लिए योजना आयोग के एक सदस्य को तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को दिये जाने वाले मूल्य सम्बन्धी विवाद में मध्यस्थता करने के लिए नियुक्त किया है ;

(ख) यदि हां, तो कब ?

(ग) क्या मध्यस्थ ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है तथा अपना पंचाट दे दिया है ;

(घ) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) :

(क) जी हां ।

(ख) 26 जनवरी, 1964 ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) कार्य अभी चल रहा है ।

Indo-Pakistan Telephone and Telegraph Link

*589. **Shri Shinkre :** **Shri Hukam Chand Kachhavaiya ;**
Shri Bade ; **Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that telephone and telegraph link between India and Pakistan has been suspended;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Jaganath Rao) : (a) No (b) and (c) Do not arise.

कावेरी नदी के डेल्टा में तेल की खोज

590. श्री मुथिया :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य में कावेरी नदी के डेल्टा में तेल की खोज के काम की नवीनतम स्थिति क्या है ?

(ख) कितने कुएं खोदे गये हैं और यह छिद्रण-कार्य किन-किन स्थानों पर किया गया ;

(ग) क्या इन छिद्रण-कार्यों के परिणाम-स्वरूप इन स्थानों पर तेल पाया गया ?

(घ) यदि हां, तो इस क्षेत्र में अनुमानतः कितना तेल मिलने की सम्भावना है ; और

(ङ) क्या इस कार्य में कोई विदेशी सहयोग भी है अथवा प्राप्त करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) :

(क) केरल क्षेत्र में व्यधन कार्य जारी है । आगामी भूकम्पीय सर्वेक्षण भी प्रगति पर है ।

(ख) इस क्षेत्र में आज तक तीन गहरे कुएं और तीन रचनात्मक कुएं व्यधित किये गये हैं ।

(ग) एक कुएं में तेल के मामूली चिन्ह पाये गये ।

(घ) इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का आंकन करना असामयिक है और आगामी खोज कार्य अभी चल रहा है।

(ङ) जी नहीं।

गुजरात तेल शोधन कारखाना

***591. श्री फिरोडिया :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अवशिष्ट तेल के न बेचे जाने के कारण गुजरात तेल शोधन कारखाना पूरी गति से काम नहीं कर सका है ?

(ख) यदि हां, तो कितना तेल बेचा जाना है और उसका मूल्य क्या है ; और

(ग) इस तेल के लिये ग्राहक ढूंढने के लिए क्या प्रयत्न किया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) :

(क) जी हां !

(ख) प्रतिवर्ष 2 मिलियन मीटरी टन कच्चे तेल को शोधित करने पर बेचने के लिए उपलब्ध अवशिष्ठ तेल का अनुमान प्रतिवर्ष 110,000 मीटरी टन लगाया गया है ; जिसका मूल्य 91 लाख रुपये से ऊपर है।

(ग) प्रतिदिन 300 मीटरी टन की दर से अवशिष्ट तेल की सप्लाई के लिए कारपोरेशन, टाटा तापीय विद्युत केन्द्र, बम्बई के साथ बातचीत में सफल हो गया है।

सचिवालय में प्रतिनियुक्ति की कालावधि

***592. श्री महावीर त्यागी :**

क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सचिवालय में वरिष्ठ पदों के लिये प्रतिनियुक्ति पर मांगे गये अखिल भारतीय सेवाओं तथा केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारियों के बारे में कोई कालावधियां निर्धारित की गई हैं ;

(ख) क्या ये कालावधियां उप-संयुक्त-अतिरिक्त सचिवों तथा सचिवों के लिए समान रूप से लागू नहीं की जा रही हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) :

(क) जी हां !

(ख) और (ग) : जी हां यथासम्भव; प्रतिनियुक्ति का नियन्त्रण करने वाले नियमों में ही, जहां कहीं जन-हित की दृष्टि से आवश्यक हो वहां सम्बन्धित अधिकारी की मूल सेवा के नियंत्रक अधिकारियों की सहमति से, सामान्य कालावधि के बढ़ाये जाने की व्यवस्था है।

केन्द्रीय सरकार के अस्थायी कर्मचारी

*593. **डा० रानेन सेन** :

क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो 10, 15 तथा 20 वर्षों से लगातार सेवा कर रहे हैं किन्तु उन्हें अभी तक स्थायी घोषित नहीं किया गया है ?

(ख) उन्हें अब तक स्थायी घोषित न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या उन कर्मचारियों की समस्या पर विचार करने का कोई प्रस्ताव है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) और (ख) : सूचना एकत्रित की जा रही है और तैयार होते ही सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

(ग) इस समय ऐसा कोई सुझाव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है ।

बोइलेवगंज डाकघर आगरा, में गबन

*594. **डा० म० मो० दास** :

क्या **संचार-मंत्री** 3 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न-संख्या 1223 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक खातेदारों ने जिनकी 30,000 रुपये से अधिक राशि का गबन आगरा के बोइलेवगंज डाकघर के पोस्टमास्टर ने कर लिया था, उस पोस्टमास्टर के विरूद्ध विभागीय कार्य-वाही की पूर्वाशा में सरकार से अपनी बचाई हुई राशि को वापस करने की अपील की है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी परेशानियों को दूर करने तथा सरकार के पास धरोहर के रूप में जमा राशि को वापस करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) :

(क) जी हां ।

(ख) जिन जमा-कर्त्ताओं के साथ धोखादेही की गई है, उनके दावों का निपटान अभी तक नहीं किया जा सका है क्योंकि विशेष पुलिस एस्टेब्लिशमेंन्ट ने, जो कि इस मामले की जांच कर रहा है, इस समय दावों का निपटान करने के विरूद्ध सलाह दी है ।

बरौनी-हल्दिया पाइप लाइन

*595. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बरौनी-हल्दिया उत्पाद पाइप लाइन के एक भाग को फिर से बिछाने पर अब एक करोड़ से काफी अधिक राशि का अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा, जिसे रोका जा सकता था ?

(ख) क्या यह भी सच है कि यह खराबी इस कारण हुई है क्योंकि भारत की खान सम्बन्धी परिस्थिति पर ध्यान नहीं दिया गया था ; और

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में किसी व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) :

(क) बरौनी-हल्दिया पाइप लाइन के एक भाग को फिर से बिछाने पर होने वाली लागत अभी परीक्षाधीन है ।

(ख) भारत की खनन सम्बन्धी परिस्थितियों पर विचार किया गया था किन्तु पाइप लाइन पर परिचालन प्रतिबन्धों और कोयले की निकासी (Coal recovery) ने लाइन को फिर से ठीक करने की आवश्यकता बना दी ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

गैर-सरकारी सेवाओं में सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति पर रोक

***596. श्री मधु लिमये : श्री किशन पटनायक :**

क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसे मामलों का पता चला है, जिनमें कुछ सरकारी कर्मचारियों ने गैर-सरकारी फर्मों में नौकरी कर ली और उन्होंने बेईमान व्यापारियों के साथ सांठ-गांठ कर ली ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी कर्मचारियों द्वारा उन हालतों में गैर-सरकारी फर्मों में नौकरी किये जाने पर, जबकि उनके विरूद्ध कदाचार के आरोप विचाराधीन हों, रोक लगाकर कुछ बेईमान व्यापारियों तथा भ्रष्ट-प्रशासकों, अधिकारियों के बीच सांठ-गांठ को रोकने के लिये सरकार का कानून बनाने, संविधान में संशोधन करने का इरादा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) से (ग) : हो सकता है कि कुछ भूतभूर्व सरकारी कर्मचारियों ने गैर-सरकारी फर्मों में रोजगार प्राप्त कर लिया हो, परन्तु सरकार की जानकारी में ऐसा कोई विशिष्ट मामला नहीं आया है जिसमें कि उन्होंने बेईमान व्यापारियों के साथ सांठ-गांठ की हो ।

2. जिन सरकारी कर्मचारियों ने गैर-सरकारी फर्मों में रोज़गार प्राप्त किया है, हो सकता है उन्होंने सरकारी नौकरी को सेवानिवृत्ति, छंटनी, हटाये जाने, बरखास्त किये जाने या त्यागपत्र दिये जाने के कारण छोड़ा हो । जहां तक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के गैर-सरकारी रोज़गार का सम्बन्ध है, इस विषय पर जारी की गई हिदायतों की एक प्रति पहले ही 16 फरवरी, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 214 के उत्तर में सभा पटल पर रख दी गई है । जहां तक बरखास्त किये गये या हटाये गये सरकारी कर्मचारियों के गैर-सरकारी रोज़गार का सम्बन्ध है, ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं हो सकता है जो कि एक नागरिक को उसके मूल अधिकार के विरूद्ध किसी बंधिक रोजगार को करने से रोक दे । यह स्थिति पहले ही 17 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2511 के उत्तर में स्पष्ट कर दी गई है । बरखास्त किये गये या हटाये गये सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया है वही बात उन सरकारी कर्मचारियों पर भी समान रूप से लागू

होती है जिनकी छंटनी कर दी गई है या जिन्होंने सरकारी सेवा से त्याग-पत्र दे दिया है ।

3. सरकारी कर्मचारियों द्वारा, जबकि वे सेना में हों और उनके विरूद्ध कदाचार के आरोप लम्बित हों, गैर-सरकारी फर्मों में नौकरी प्राप्त करने का प्रश्न इसलिये नहीं उठता है कि हिदायतें पहले से ही जारी कर दी गई हैं जिनके अन्तर्गत सिवाय सूक्ष्म प्राधिकार की स्वीकृति के गैर-सरकारी वाणिज्यिक नौकरी के लिये बातचीत करना निषिद्ध है; ऐसी स्वीकृति केवल तब ही दी जाती है जबकि इसके लिये विशेष कारण हों । यदि कदाचार के आरोप लम्बित हों तो स्वीकृति नहीं दी जायेगी; यदि ऐसा कोई सरकारी, कर्मचारी जिसके विरूद्ध कदाचार के आरोप लम्बित हों, अपना त्याग-पत्र देता है तो ऐसे त्याग-पत्र को सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जायेगा । परन्तु, यदि विभागीय कार्यवाही के परिणामस्वरूप किसी सरकारी कर्मचारी को नौकरी से बरखास्त किया जाता है या निकाला जाता है तो उसकी गैर-सरकारी नौकरी पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता जैसा कि ऊपर पैरा दो में बताया गया है ।

इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज

* 598. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद
डा० म० मो० दास :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र में भारतीय तकनिशियनों द्वारा तैयार किये गये इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज की, जिसे आगामी पांच वर्षों में वर्तमान इलेक्ट्रो-मेकेनिकल एक्सचेंजों के स्थान पर स्थापित करने का विचार है, कार्यप्रणाली सम्बन्धी सफलता के बारे में परीक्षण किया गया है ;

(ख) वर्तमान एक्सचेंजों की तुलना में इस नये एक्सचेंज के क्या-क्या लाभ है और इसकी तुलनात्मक लागत कितनी है ; और

(ग) क्या इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज का व्यापारिक आधार पर उत्पादन करने के लिए एक कारखाना स्थापित करने का विचार है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) :

(क) जी नहीं । इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज अभी विकास की स्थिति में है ।

(ख) इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज के ये लाभ हैं :—

(i) उनके द्वारा नई तथा अपेक्षाकृत अच्छी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जो मौजूदा इलेक्ट्रो-मेकेनिकल एक्सचेंजों से कम खर्च पर प्रदान करना सम्भव नहीं है । इन सुविधाओं में कुछ सुविधाएं हैं—संक्षिप्त डायलिंग व्यवस्था, काल आगे भेजना, सम्मेलन सुविधाएं आदि । संक्षिप्त डायलिंग की सुविधा से उपभोक्ता को उन व्यक्तियों से काल मिलाने के लिए जिनसे उसे अक्सर काल मिलाने पड़ते हैं, कुछ ही अंक अर्थात् दो या तीन अंक ही डायल पर घुमाने पड़ते हैं । काल आगे भेजने की सुविधा से उपभोक्ता को किये जाने वाले सभी आवक कालों को अस्थायी रूप से उपभोक्ता की इच्छानुसार नये नम्बर पर स्थानान्तरित किया जा सकता है । सम्मेलन की सुविधा से उपभोक्ता चुने हुए व्यक्तियों से बातचीत करने में समर्थ हो सकता है ।

(ii) इन पर अपेक्षाकृत अधिक निर्भर किया जा सकता है और एक्सचेंज उपस्कर में अनुरक्षण-कार्य की कम जरूरत रहती है, क्योंकि उसके कल-पुर्जों में कोई टूट-फूट नहीं होती और यंत्रों में तालमेल बैठाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, जैसा कि मौजूदा एक्सचेंजों में रहती है।

(iii) इन्हें स्थापित करने के लिए कम स्थान की आवश्यकता रहती है।

(iv) इस समय तुलनात्मक मूल्य बताना सम्भव नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज अभी विकास की स्थिति में है।

(ग) इन एक्सचेंजों के निर्माण के लिए अलग से कोई कारखाना स्थापित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। आशा है कि जब डिजाइन तैयार हो जायेंगे और सामान्य ढंग से सफल सिद्ध होंगे तो इन्हें इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज द्वारा बनाया जा सकता है।

देश में रोजगार की स्थिति

*599. **श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बिगड़ती हुई रोजगार की स्थिति का कोई अनुमान लगाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समस्या को अति शीघ्र हल करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) :

(क) जी हां। रोजगार की स्थिति का निरन्तर पुनर्विलोकन किया जा रहा है और स्थिति के बारे में कुछ मूल तथ्य चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के छठे अध्याय में बताये गये हैं।

(ख) योजना के अन्तर्गत विभिन्न विकास कार्यक्रमों द्वारा रोजगार के अवसरों को पैदा करके और दूसरे, ऐसे व्यवसायों के लिए, जिनके लिये कन्ति नहीं मिलते हैं प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण देकर समस्या को हल किया गया है और करने का विचार है।

बस्तर के अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी

*599. **श्री हरि विष्णु कामत :**

क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च, 1966 में पुलिस की गोलाबारी के शिकार हुए बस्तर के भूतपूर्व शासक श्री प्रवीण चन्द्र भंजदेव तथा अन्य व्यक्तियों की मृत्यु का शोक मना रहे स्थानीय आदिवासियों द्वारा विरोध किये जाने के बावजूद भी सरकारी तौर पर दशहरा उत्सव मनाये जाने के परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश में बस्तर जिले के अनुसूचित क्षेत्र में भारी असन्तोष एवं क्षोभ फैला हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ग) अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिए तथा अनुसूचित क्षेत्र में शान्ति बनाये

रखने तथा उनकी प्रगति के लिए केन्द्रीय सरकार का अपना उत्तरदायित्व निभाने के लिए किस प्रकार हस्ताक्षेप करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हान) :

(क) **और** (ख) राज्य सरकार से सूचना मांगी गई है ।

(ग) राज्य सरकार से सूचना प्राप्त होने के बाद इस बारे में विचार किया जायगा ।

नेफा का भावी प्रशासी ढांचा

***600. श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेफा के भावी प्रशासी ढांचे के बारे में हाल में उच्च स्तर पर बातचीत हुई थी ?

(ख) यदि हां, तो नेफा के प्रस्तावित प्रशासी ढांचे की मुख्य रूपरेखा क्या है ; और

(ग) पिछली बार हुई उच्च स्तरीय वार्ता में यदि कोई निर्णय किया गया है, तो क्या है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हान) :

(क) जी नहीं !

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू सम्बन्धी गोष्ठी

2607. श्री उटिया : श्री मधु लिमये :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली में स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू सम्बन्धी गोष्ठी पर बड़ी राशि व्यय की है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी !

(ग) क्या इसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों ने व्यक्तिगत रूप से भाग लिया था अथवा सरकारी हैसियत से ; और

(घ) क्या उन सबने संयुक्त राष्ट्र संघ के निकायों से सर्वसम्मत सिफारिश करना स्वीकार किया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) :

(क) जी नहीं । गोलमेज के अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप और प्रयोजन के अनुपात में खर्च अधिक नहीं था ।

(ख) सभी बिल प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए ठीक-ठीक खर्च बताना सम्भव नहीं है, किन्तु इसके लिए स्वीकृत 55,000 रुपये के आबंटन से इसके कम होने की सम्भावना है ।

(ग) गोलमेज में भाग लेने वालों ने अपनी व्यक्तिगत हैसियत से भाग लिया था ।

(घ) यूनेस्को को की जाने वाली सिफारिशों के सम्बन्ध में सामान्य सर्वसम्मति थी।

बागलकोट सीमेन्ट कम्पनी, बीजापुर

2608. श्री उटिया : श्री मधु लिमये :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बागलकोट सीमेंट कम्पनी लिमिटेड, बीजापुर, के प्रबन्ध-निर्देशक/अन्य निर्देशकों के विरूद्ध लगाये गये कुछ आरोपों की जांच केन्द्रीय जांच विभाग ने पूरी कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वान) :

(क) जी नहीं !

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नक्शों और मानचित्रावलियों का जब्त किया जाना

2609. श्री राम हरख यादव :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में गैर सरकारी ऐजेन्सियों द्वारा प्रकाशित किये गये कुछ नक्शों और मानचित्रावलियों को जब्त कर लिया है, जैसा कि 30 अक्टूबर, 1966 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित हुआ है।

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ? और

(ग) उन्हें जब्त करने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) जी हां !

(ख) और (ग) सदन के सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या 7459/66]

मानचित्रों तथा मान चित्रावलियों का प्रकाशन

2610. श्री राम हरख यादव :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत के मान-चित्रों तथा मानचित्रावलियों वाले विदेशी प्रकाशनों को इस शर्त पर आयात करने की अनुमति दी है कि उनमें ऐसे मानचित्र तथा उनके अन्य भाग न हों जिनमें भारत की क्षेत्रीय अखण्डता के प्रतिकूल हो ? और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी, हां। (ख) समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम, 1878 के अन्तर्गत 26 नवम्बर 1959 को जारी की गई वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 138 के अन्तर्गत किसी भी ऐसी पुस्तक, पत्रिका, पुस्तिका, कागज़ या अन्य दस्तावेज़ का आयात किया जाना निषिद्ध है जिसमें ऐसे शब्द, चिन्ह या स्पष्ट बातें हों जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत की सीमाओं पर आपत्ति उठाते हों। तथापि, शिक्षा तथा अन्य संस्थाओं और विद्यार्थियों के लिये आदर्श अटलसों और अन्य मूल्यवान प्रकाशनों की कमी को दूर करने के लिये सरकार आपत्तिजनक भागों को काला करने के बाद उपयोगी पुस्तकों, अटलस आदि को देती रही है। तथापि, उन पुस्तकों और प्रकाशनों को भारत में आयात करने की अनुमति नहीं दी जाती है जिनमें बड़ी संख्या में गम्भीर गलतियां हों जिन्हें कि प्रकाशनों को उपयोगिता को कम किये बिना ठीक नहीं किया जा सकता है। अब तक, आपत्तिजनक हिस्सों को काला करने के बाद ऐसी 188 पुस्तकों और प्रकाशनों को आयात करने की अनुमति दी गई है।

राज्य सरकारों द्वारा संसद-सदस्यों को जानकारी का दिया जाना

2611. श्री व० तैवर :

क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राज्य सरकारों को हिदायतें दी थीं कि संसद-सदस्य यदि कोई जानकारी मांगे तो उन्हें वास्तविक जानकारी दी जाये;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि मद्रास सरकार इन हिदायतों का पालन नहीं कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) भारत सरकार द्वारा सरकारों के लिये ऐसी कोई हिदायतें जारी नहीं की गई।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

बस्तर में राष्ट्रीय प्रयोगशाला

2612. श्री लखमू भवानी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद के अधीन निकट भविष्य में एक राष्ट्रीय प्रयोगशाला स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Fraud in the Office of Regional Settlement Commissioner, Bombay

2613. Shri M. R. Krishna : **Shri Madhu Limaye :**

Will the Minister of **Labour, Employment and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that claims had been forged at Ulhasnagar and payment made on them to the tune of several lakhs of rupees by the Office of the Regional Settlement Commissioner, Bombay;

(b) whether it is also a fact that only 2 Junior Clerks in the Office of Regional settlement Commissioner, Bombay have been suspended though the main culprit had given names of some senior officers also; and

(c) if so, the action proposed to be taken in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan); (a) Yes. Sixteen cases of alleged forgery of claims have been detected in the Office of the Regional Settlement Commissioner, Bombay, involving an amount of about Rs. 1.00 lakhs.

(b) and (c) : All these cases have been entrusted to the Special-Police Establishment for investigation. Two Junior officers have been placed under suspension as a **prima facie** case was established against them in preliminary departmental enquiry, but no case was established against any senior officer. Further action against officers, whether junior or senior, will be taken if a **prima facie** case is made out against them in the Police investigations.

The report of the Special Police Establishment is awaited.

सरकारी कर्मचारियों के सेवा काल का बढ़ाया जाना

2614 श्री मं० रं० कृष्ण : **श्री मधु लिमये :**

क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : पिछले दो वर्षों में केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों तथा अधीनस्थ कार्यालयों में काम करने वाले कितने क्लर्कों तथा अधिकारियों का सेवा काल 58 वर्ष की आयु के बाद बढ़ाया गया है ।

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (पू० शे नास्कर) : सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

हिन्दी परीक्षाएं पास करने के लिये प्रोत्साहन

2615. श्री श्यामलाल सर्राफ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रोत्साहन के तौर पर केन्द्रीय सरकार के सभी अराजपत्रित कर्मचारियों को, जिनकी मातृ भाषा हिन्दी नहीं है, हिन्दी प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत हिन्दी प्राज्ञ परीक्षा पास करने पर एक अग्रिम वेतन-वृद्धि दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश के उन भागों से, जो इस समय पश्चिम पाकिस्तान के अंग बन गये हैं, सम्बन्धित कर्मचारी भी जिनकी मातृ भाषा/हिन्दी नहीं है और जिन्होंने पहले हिन्दी में कोई परीक्षा पास नहीं की है, उक्त परीक्षा पास करने पर यह अग्रिम वेतन-वृद्धि पाने के हकदार हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय पहलवानों का दल

2616. श्री रामहरण यादव :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पहलवान संघ ने आगामी एशियाई खेल-कूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिये भारतीय पहलवान दल के सदस्यों का चयन कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उनके प्रशिक्षण के लिये कोई प्रशिक्षण शिविर स्थापित किया गया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) :

(क) और (ख) : भारतीय पहलवान संघ को वाराणसी में 25 से 27 नवम्बर, 1966 तक हुए चुनाव के लिए की गई परीक्षत्र-कुश्तियों के आधार पर आगामी एशियाई जेलों में भाग लेने के लिए पहलवानों का अपना दल चुनना था। किये गये चुनावों के व्यौरे देने वाली रिपोर्ट की अभी संघ से मिलने की प्रतीक्षा है।

(ग) भारतीय पहलवानों के चुनाव के लिए प्रशिक्षण शिविर वाराणसी में 20 अक्तूबर, 1966 को लगा था।

Cases pending in Allahabad High Court

2617. Shri Dhananjai Singh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the number of writs pertaining to Sultanpur District which are more than three years old pending in Allahabad High Court with details thereof ?

The Deputy-Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : The information is being obtained and will be laid on the Table of the House.

वीरभूम डिवीजन में डाकखाने

2618. डा० सारादीश राय :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वीरभूमि डिवीजन (पश्चिम बंगाल) में उन सभी गावों में, जिनकी जनसंख्या 2,000 से अधिक है डाकखाने खोले गये हैं; और

(ख) यदि नहीं तो, उन गांवों के नाम क्या हैं; और

(ग) उनमें डाकखाने न खोलने के क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य तथा-संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) :

(क) जी नहीं।

(ख) 1. कनूतिया 2. मेहाग्राम
3. तेंतुलिया 4. अम्भुआ
5. मिटोरा 6. मखलिसपुर
7. दन्तूरा 8. दुमरग्राम
9. भदोश्वर

(ग) दूरी के सम्बन्ध में विभागीय प्रतिमान पूरेनहोने के कारण ।

वीर भूम डिवीजन में डाकखाने

2619. डा० सारादीश राय :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में वीरभूम डिवीजन (पश्चिम बंगाल)में खोले गये उन डाकखानों के नाम क्या हैं; जिन्हें बाद में बन्द कर दिया गया है; और

(ख) इन्हें बंद करने का क्या कारण था ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव):

(क) तथा (ख)–सोउग्राम का अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर न लौटाये जाने वाले वाले अनुदान के आधार पर खोला गया था किन्तु उसमें दिलचस्पी रखने वाली पार्टियों द्वारा ऐसे न लौटाये जाने वाले अनुदान की अदायगी न करने के कारण उसे बन्द कर देना पड़ा । बलिहार-पुर के अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर भी जनवरी, 1966 में दस वर्ष पूरा होने के पश्चात बन्द कर देना पड़ा था, क्योंकि उसमें दिलचस्पी रखने वाली पार्टी ने ऐसे ही न लौटाये जाने वाले अनुदान की अदायगी नहीं की थी । फिर भी ऐसे न लौटाये जाने वाले अनुदान के प्राप्त होने पर यह डाकघर अगस्त, 1966 में फिर से खोल दिया गया ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पदों का आरक्षण

2620. श्री सिद्दय्या :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 17 अगस्त, 1966 के आतारांकित प्रश्न संख्या 2400 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ उन संविहित निकायों, अर्ध सरकारी सस्थाओं तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम क्या हैं, जिन्होंने अपनी सेवाओं की विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पदों का आरक्षण नहीं दिया है; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) :

(क) 17 अगस्त, 1966 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 2400 के उत्तर के साथ संलग्न जिस सूची का हवाला दिया गया है उसमें उन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, संविहित तथा अर्द्ध सरकारी निकायों के नाम दिये गए थे जिन्होंने उस समय तक अपनी सेवाओं में अनुसूचित जातियों

तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षण नहीं किया था और जिनसे आरक्षण करने के बारे में सूचना की प्रतीक्षा की जा रही थी। आगे प्राप्त होने वाली सूचना के आधार पर ऐसे उपक्रमों/निकायों की वर्तमान स्थिति की एक सूची संलग्न है। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7460/66]

(ख) इस बारे में स्थिति, अतारांकित प्रश्न संख्या 2400 के भाग (ग) के 17 अगस्त, 1966 को दिये गये उत्तर में स्पष्ट की गई है।

Arrest Under Official Secrets Act

2622. **Dr. Ram Manohar Lohia : Shri Madhu Limaye : Shri Ram Sewak Yadav : Shri Kishen Pattnayak :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in December, 1964 police had arrested several employees under Section 3 of the Official Secrets Act;

(b) whether it is also a fact that as no proof was available, they were released on 11th March, 1965 and were detained immediately thereafter under Section 30 of the Defence of India Act and they are still in jail;

(c) whether Government have since taken any decision regarding their offence and punishment therefor; and

(d) if so, the nature of decision taken ?

The Deputy-Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir. Several employees were arrested on different dates in December 1964 and January 1965 under the Indian Official Secrets Act, 1923.

(b) and (c): Two of them were prosecuted and convicted and sentenced to imprisonment upto ten years and the rest of them were detained under Defence of India Act to prevent them from indulging in anti-national activities. A statement regarding their offence and punishment is laid on the Table.

(d) Continuance of detention under Defence of India Act is decided upon after reviewing their cases periodically.

Statement

One M. S. Lamba and ten other persons were arrested on different dates in December, 1964 and January, 1965 under the Indian Official Secrets Act, 1923 as there were reasonable grounds to believe that they had passed on information to an officer of a diplomatic mission in Delhi.

The evidence collected in the case were examined and prosecution was launched against M. S. Lamba and one Shivaji Sawant. Both of them have been convicted by the Sessions Court as follows :—

1. Under Section 120B I.I.C. — 10 years RI.

2. Under Section 3 of the Indian Official Secrets Act — 10 years RI.

3. Under Section 5 of the Indian Official Secrets Act read with Section 6 of the Defence of India Act—3 years RI.

(All Sentences to run concurrently)

The statements of these two accused and other evidence clearly indicated that the remaining nine persons had been in league with them and if set at liberty they were likely to indulge in anti-national activities again. However, evidence against them was not sufficient for prosecution. In order to prevent them from indulging in anti-national activities they were detained under the Defence of India Rules from 11th March, 1965. The cases of the nine detenues are being reviewed periodically. They were last reviewed in August, 1966.

Regional College of Education, Ajmer

2623. Dr. Ram Manohar Lohia : Shri Kishen Pattnayak :
Shri Ram Sewak Yadav : Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) the average monthly expenditure being incurred on each student at the Regional College of Education, Ajmer;

(b) the degree being awarded to these students; and

(c) how these graduates are being utilised ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shrimati Soundram Ramachandran): (a) The net average per capita expenditure during 1963-66 was about Rs. 126 per month without scholarships and Rs. 200 per month with scholarships.

(b) The degrees awarded are : B. Ed in Science, Agriculture, Commerce and Home Science; B. Sc. Education in Science and B. Tech. Education in Technology; and Diploma in Industrial Crafts.

(c) The graduates and diploma-holders are being trained for employment as teachers in their respective fields.

तकनीकी शिक्षा के लिये धन की व्यवस्था करने के लिये उद्योगों पर शुल्क

2624. श्री दी० चं० शर्मा :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सांस्कृतिक स्वतंत्रता कांग्रेस तथा भारतीय सांस्कृतिक स्वतंत्रता समिति द्वारा आयोजित शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन सम्बन्धी गोष्ठी में, जो दिसम्बर, 1966 में दिल्ली में हुई थी, तकनीकी शिक्षा के लिये धन की व्यवस्था करने के हेतु धन एकत्रित करने के उद्देश्य से उद्योगों पर 2 प्रतिशत शुल्क लगाने की सिफारिश की गई; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) :

(क) जी, हां ।

(ख) शिक्षा आयोग का, जिसने इस प्रश्न पर विचार किया था, यह विचार था, कि इस प्रकार का विधान बनाने की शुरू-शुरू में जरूरत नहीं होगी और उद्योगों को स्वैच्छिक आधार पर प्रशिक्षण सुविधाओं का विकास करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उनकी सहायता करनी चाहिए । सिफारिश पर अब विचार किया जा रहा है ।

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड

2625. बागड़ी : यशपाल सिंह :
राम सेवक यादव :

क्या शिक्षा मंत्री 3 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1090 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड द्वारा अपने अक्तूबर, 1965 के अधिवेशन में की गई सिफारिशों के बारे में इस बीच राज्य सरकारों की राय प्राप्त हो गई; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) :

(क) जी हां। दो राज्यों और तीन संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़ कर अन्य सभी राज्यों से केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों पर राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में प्रतिवेदन प्राप्त हो गये हैं।

(ख) राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र अपने संसाधनों की सीमा तक सिफारिशों को क्रियान्वित करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

गांवों में खेल-कूद के लिये राजस्थान को वित्तीय सहायता

2626. श्री बागड़ी : श्री यशपाल सिंह :
श्री रामसेवक यादव : श्री दिगे :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या शिक्षा मंत्री 3 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1049 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार को गांवों में खेल-कूद को प्रोत्साहन देने की योजना को क्रियान्वित करने के लिए वित्तीय सहायता के लिए उनकी प्रार्थना पर कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक किया जाने की संभावना है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) :

(क) जी नहीं।

(ख) ज्यादा से ज्यादा वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले।

तकनीकी संस्थाओं के लिये अमरीका से ऋण

2627. श्री बागड़ी : श्री यशपाल सिंह :
श्री रामसेवक यादव :

क्या शिक्षा मंत्री 27 जुलाई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 325 के उत्तर के सम्बन्ध में

यह बताने की कृपा करेंगे कि अमरीका में निर्मित साज-सामान लेने के सम्बन्ध में तकनीकी संस्थाओं को पूरा करने के लिये अमरीका से ऋण प्राप्त करने के बारे में की जा रही बात चीत में क्या प्रगति हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) :

अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है ।

स्टैनलैस स्टील का उत्पादन

2628. श्री बागड़ी : **श्री यशपाल सिंह :**
श्री राम सेवक यादव :

क्या शिक्षा मंत्री 3 अगस्त, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 224 के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के दुर्गापुर मिश्रित इस्पात संयंत्र ने निकल के स्थान पर जमशेदपुर की राष्ट्रीय धातु प्रयोगशाला द्वारा विकसित क्रोमियम का इस्तेमाल करके स्टैनलैस स्टील बनाने की नई प्रक्रिया अपनाने के बारे में इस बीच जांच कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) :

(क) और (ख)–हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, दुर्गापुर की मिश्रित इस्पात प्रायोजना अपने संयंत्र पर निकिल-रहित स्टैनलैस स्टील को उसकी मांग के अनुसार तैयार करने का काम अपने हाथ में लेगी ।

हिन्दी में पत्रव्यवहार

2629. श्री स० चं० सामन्त : **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री सुबोध हंसदा : **डा० म० मो० दास :**

क्या गृह-कार्य मंत्री 27 जुलाई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 346 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के क्या नाम हैं, जो अभी भी केवल अंग्रेजी में पत्र व्यवहार करते हैं;

(ख) क्या हिन्दी में पत्र व्यवहार करने में राज्य सरकारों को कोई कठिनाइयां अनुभव होती है;

(ग) इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या सभी मंत्रालयों में हिन्दी अनुभाग हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) कोई हिन्दी भाषी राज्य तो केन्द्रीय सरकार के साथ केवल अंग्रेजी भाषा में पत्रव्यवहार नहीं करता । हाँ, अहिन्दी-भाषी राज्य ही ऐसा करते हैं;

(ख) ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली कि किसी पत्र का हिन्दी में होने के कारण उत्तर देर से दिया गया हो।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) केन्द्रीय मंत्रालयों में हिन्दी कार्य के परिणाम को निबटाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था है।

सचेतकों का सम्मेलन

2630. **श्री स० चं० समान्त :** **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री सुबोध हंसदा : **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री प्र० चं० बरुआ : **डा० म० मो० दास :**

क्या संसद-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद-कार्य विभाग के तत्त्वाधान में 1960 से लेकर अब तक सचेतकों के कुल कितने सम्मेलन हुए हैं; और उनमें क्या क्या निर्णय किये गये ; और

(ख) प्रत्येक सम्मेलन पर कुल कितना खर्च हुआ ?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) :

(क) 1962 और 1966 में भारतीय सचेतकों के अखिल भारतीय सम्मेलन हुए थे। केन्द्र तथा राज्यों में विभिन्न राजनैतिक दलों के सचेतकों ने संसदीय व्यवस्था के कार्य से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं पर विचार किया और उपयुक्त सिफारिशें की हैं। ये सिफारिशें राज्य सरकारों विभिन्न राज्यों में राजनैतिक दलों के नेताओं और सभा अखडों को भेजी गई थीं।

(ख) पहले सम्मेलन पर लगभग 8000 रु० व्यय हुआ था और दूसरे पर लगभग 18,000 रु०

Bad Characters in Delhi

2631. Shri Naval Prabhakar :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1107 on the 23rd September, 1964 and State :

(a) whether Government have accepted the suggestion made by Police regarding the externment of bad characters operating in Delhi; and

(b) if so, whether any special powers are being given to the police ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) Yes, Sir.

(b) All Superintendents of Police have been empowered to exercise powers under Section 55, and Sub-divisional Magistrates have been empowered to exercise powers under Section 55, 56 and 57 of the Bombay Police Act, 1951, as extended to the Union Territory of Delhi.

वास्तुकला की उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम

2632. श्री श्री नारायण दास :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में वास्तुकला की उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम की व्यवस्था उच्च स्तर की नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ भारतीय विद्यार्थियों का उच्च शिक्षा के लिये विदेशों में भेजने का विचार है ;

(ग) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि हमारे देश में मकानों के डिजाइन बनाने के लिये अनेक बार वास्तुविदों की विदेशी फर्मों को काम देना पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) :

(क) स्थापत्य में उच्च पाठ्यक्रम देशों में जहां कहीं चलाए जाते हैं, वे उच्च स्तर के होते है।

(ख) भारतीय छात्रों को इंजीनियरी और स्थापत्य समेत तकनीकी विषयों में उच्च अध्ययन के लिए विदेश भेजा जाता है, इसका कारण यह नहीं है कि भारत में सुविधाएं उच्च स्तर की नहीं हैं, बल्कि इसलिए जिससे उनको वहां अपनाए जाने वाले ताजे विकासों को देखने का मौका मिल सके।

(ग) भारत सरकार ने देश में निवासी आवास-स्थानों की डिजाइन बनाने के लिए किसी भी विदेशी स्थापत्यकारों की फर्म को काम पर नहीं लगाया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

वर्मा से स्वदेश लौटे लोगों को भूमि आदि का दिया जाना

2633. श्री गि० रं० लास्कर :
श्री रा० बरुआ :

क्या **श्रम रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन के सचिव (एल० एस० एण्ड जी०) ने नई दिल्ली नगरपालिका और दिल्ली विकास प्राधिकार को वर्मा के विस्थापित व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर मकान, दुकानें तथा प्लाट देने के बारे में अनुदेश दिये हैं;

(ख) इन विस्थापित व्यक्तियों के लिये अब तक कितनी दुकानें बनाई गई हैं और इनको अब तक कितने प्लाट दिये गये हैं;

(ग) बर्मा से आये विस्थापित व्यक्तियों से इस सम्बन्ध में कितने आवेदनपत्र प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नाकारात्मक हो तो, उसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री य० रा० चव्हाण)

(क) जी हां। (क) से (घ) दुकानों और प्लाटों के आवंटन के जिले अब तक लगभग 45 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। स्वदेश लौटे लोगों को रिहायशी प्लाटों के आवंटन के प्रश्न पर दिल्ली

शप्रास नअभी भी दिल्ली विकास प्राधिकार के परामर्श से विचार कर रहा है। तथापि, नई दिल्ली नगर निगम स्वदेश लौटे लोगों को दुकानें आवंटन नहीं कर सका है क्योंकि समिति के पास केवल एक सीमित संख्या उपलब्ध थी ।

कोचीन तेल शोधन कारखाने के लिये भण्डार सुविधाएं

2634. श्री यशपाल सिंह :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन तेल शोधन कारखाने में भण्डार सुविधायें उपलब्ध करने पर बहुत बड़ी राशि व्यय की गई जबकि ये सुविधायें वहां पर पहले ही उपलब्ध थीं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन (क) और (ख) :

प्रत्येक शोधनशाला को परिचालन उद्देश्य के लिये अपने अहाते के अन्दर ही एक न्यूनतम स्तर भण्डार-स्थल का रखना पड़ता है। कोचीन शोधनशाला के अन्दर इस प्रकार की सुविधा की व्यवस्था की गई है।

प्रयुक्त चिकनाने वाले तेल को पुनः साफ करना

2635. डा० म० मो० दास : **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री ब० कु० दास : **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री भागवत झा आजाद :**

क्या शिक्षा मंत्री 2 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 137 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनः साफ किया गया चिकनाने वाला तेल अपेक्षित गुण-प्रकार का पाया गया है, और

(ख) क्या इस प्रक्रिया के लिये कोई एक स्वाधिकार प्राप्त किया गया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर)

(क) भारतीय पैट्रोलियम संस्थान के 50 गैलन/बैच पाइलट संयंत्र से जो फिर से काम में लाने योग्य बनाया गया चिकनाने वाला तेल उपलब्ध हुआ था, वह अपेक्षित गुण का पाया गया है जैसा कि उसमें जरूरी योगज डालने के बाद दिए गए मानक इंजिन परीक्षणों से पता चला है।

(ख) जी, नहीं ।

अलप्पी में तेल के भण्डार

2636. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या पैट्रोलिमम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अलप्पी के निकट अरोर रसायनिक औद्योगिक बस्ती में तेल के भण्डार विद्यमान होने के संकेत मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी खोज के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री ह० रु० गेहन) :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता

विद्रोही नागा

2637 श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 20 अगस्त, 1966 को भारत-बर्मा सड़क पर मनीपुर के तेंगनोपाल सब-डिवीजन में निरीक्षण बंगले के निकट सशस्त्र नागाओं के एक गिरोह ने लोक-निर्माण विभाग, मनीपुर के एक ठेकेदार को गोली से मार दिया; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस मामले में क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) जी, हां ।

(ख) पुलिस द्वारा एक मामला दर्ज किया गया और उसकी जांच की जा रही है ।

राष्ट्रीय अनुशासन योजना के शिक्षक

2638. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :　　श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या शिक्षा मंत्री 27 जुलाई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 90 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अनुशासन योजना के शिक्षकों को अखिल भारतीय संवर्ग (केडर) में रखने के बारे में इस बीच कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब किये जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) :

(क) मुझे खेद है कि इस मामले पर अभी तक आखिरी फैसला करना सम्भव नहीं हो सका है । फिर भी केन्द्रीय सरकार के अधीन राष्ट्रीय अनुशासन योजना के अनुदेशकों के सभी पदों की अवधि फिलहाल 28 फरवरी, 1967 तक बढ़ा दी गई है ।

(ख) यथा सम्भव शीघ्र किन्तु फरवरी, 1967 के बाद नहीं ।

चमड़ा उद्योगों के लिए मजूरी बोर्ड

2639. श्री स० मो० बनर्जी :

क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चमड़ा उद्योग में लगे मजदूरों सम्बन्धी मजूरी बोर्ड ने अपना अन्तरिम प्रतिवेदन दे दिया है ?

(ख) यदि नहीं, इसमें विलम्ब के क्या कारण है ; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :

(क) जी हां !

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन है ?

कर्मचारी संघों को मान्यता

2640. श्री स० मो० बनर्जी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकारी कर्मचारी संघों को मान्यता देने के बारे में नये नियम बनाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

गृह-मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) :

(क) जी नहीं !

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उलुबेडिया (पश्चिम बंगाल) के निकट कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल

2641. श्री सुबोध हंसदा : **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री प्र० चं० बरुआ : **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री भागवत झा आजाद **डा० म० मो० दास :**

क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में उलुबेडिया के निकट कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल की इमारत बन गई है;

(ख) यदि नहीं, तो यह कब पूरा होगा;

(ग) क्या इस अस्पताल के लिए डाक्टरों और नर्सों को नियुक्त कर लिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उन्हें कब नियुक्त किया जायेगा ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाहनवाज खां) :

(क) और (ख) : अस्पताल का निर्माण लगभग पूरा हो गया है। आशा है यह दिसम्बर, 1966 के अन्त तक चालू हो जायेगा।

(ग) और (घ) डाक्टरों और नर्सों को रखने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

बाल भवन और राष्ट्रीय बाल संग्रहालय

2642. श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
डा० म० मो० दास :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल भवन तथा राष्ट्रीय बाल संग्रहालय का प्रबन्ध एक स्वायत्तशासी संस्था के हाथ में है;

(ख) यदि हां, तो उस संस्था के आय के साधन क्या हैं ; और

(ग) पिछले दो वर्षों में इस संस्था की वार्षिक आय और व्यय कितना था ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) :

(क) जी हां बाल भवन बोर्ड की मार्फत।

(ख) मुख्यतया, भारत सरकार के अनुदान और बाल भवन रेलवे सदस्यता फीस आदि की आमदनी शामिल करते हुए संस्था की आमदनी से

(ग) वर्ष	कुल आमदनी रुपये	कुल खर्च रुपये
1964–65	6,11,886,41	5,77,083,86
1965–66	6,74,470.91	6,74,294.66

आपातकाल

2643. श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :

क्या गृह-कार्य मंत्री 7 सितम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 846 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी आम चुनावों को ध्यान में रखते हुए आपातकाल को समाप्त करने की नीति पर इस बीच पुनर्विचार किया गया है;

(ख) क्या जासूसों के विरूद्ध भारत सुरक्षा नियमों का प्रयोग जारी रखने का सरकार का विचार है ;

(ग) क्या मोहित चौधरी कान्ड में अन्तर्ग्रंत अपराधियों को इस बीच भारत सुरक्षा नियम की धारा 30 क के अन्तर्ग्रस्त गिरफ्तार कर लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

(गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

क) विदेशी आक्रमण के भय तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले तत्वों के संदर्भ में इस मामले पर लगातार पुनर्विचार होता रहता है। आम चुनावों की निकटता ऐसा तत्व नहीं है। पूरी स्थिति बजट अधिवेशन में इस बारे में दिये गये अनेक वक्तव्यों में स्पष्ट कर दी गई है।

(ख) जी हां, जहां कहीं आवश्यक होता है। इस बारे में सरकार की नीति सदन में गृह-मंत्री द्वारा 18 मई को दिये गये वक्तव्य में स्पष्ट कर दी है।

(ग) और (घ) : भारत सुरक्षा नियमों के नियम 30—क में नजरबन्दी आदेशों पर पुनर्विचार की व्यवस्था है न कि गिरफ्तार करने की। मोहित चौधरी तथा अन्य लोगों के विरूद्ध पश्चिम बंगाल सुरक्षा अधिनियम की दाण्डिक व्यवस्थाओं, भारतीय दण्ड सहिता तथा भारतीय सरकारी गोपनीयता अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज किये गये मामले की जांच की जा रही है। भारत सुरक्षा नियमों के नियम 30 के अधीन नजरबन्दी कोई निवारक व्यवस्था नहीं है और ऐसा तभी किया जा सकता है जब परिस्थितियों के अन्तर्गत निवारक कार्यवाही की आवश्यकता हो।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भ्रष्टाचार

2644. श्री मधु लिमये : **श्री किशन पटनायक :**

क्या गृह-कार्य मंत्री 3 अगस्त, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 230 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए 12 सूत्री कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए उनके मंत्रालय तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों क्या द्वारा ठोस कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य के बारे में लोक लेखा समिति तथा सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदनों में बताई गई बुराइयों को ध्यान में रखते हुए कोई परिवर्तन किया गया है अथवा नये निर्देश जारी किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) :

(क) इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए परिनिरीक्षा, रोक-थाम, निरीक्षण और निरोधक तथा औपचारिक उपायों को अपनाया जा रहा है। स्थिति पर पुनर्विचार और उसका मूल्यांकन करने के लिये सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरों के प्रतिनिधियों की समय-समय पर बैठकें होती रहती हैं।

(ख) और (ग) : इन प्रतिवेदनों की ध्यान से जांच की जाती है और जब कभी आवश्यकता होती है उचित हिदायतें जारी कर दी जाती हैं। सामान्यतः इनका स्वास्थ्य वर्द्धक प्रभाव पड़ रहा है।

कलकत्ता में टेरेटा बाजार में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज

2645. डा० म० मो० दास :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेरेटा बाजार, कलकत्ता में एक स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव 1962 में मंजूर किया गया था, परन्तु अभी तक टेलीफोन एक्सचेंज की इमारत का निर्माण-कार्य आरम्भ नहीं हुआ है ? और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) :

(क) जी हां !

(ख) इमारत के नक्शे योजना की मंजूरी और जमीन पर कब्ज़ा कर लेने के बाद तैयार किये जाते हैं। इस मामले में जमीन दो हिस्सों में खरीदनी पड़ी, जिसमें लगभग तीन वर्ष लग गए। जमीन का दूसरा हिस्सा 9 नवम्बर, 1965 को लिया गया था। इमारत के नक्शे तैयार करने का काम एक गैर-सरकारी आर्किटेक्ट को सौंप दिया गया है और इमारत के नक्शों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है।

प्रस्तावित एक्सचेंज के लिए 1·5 करोड़ रुपये की लागत पर एक तेरह-मंज़िली इमारत का डिज़ाइन तैयार किया गया है। इस इमारत के लिए वित्तीय मंजूरी ली जा रही है। इमारत पूरी हो जाने के बाद स्वचल एक्सचेंज स्थापित करने का काम शुरू किया जाएगा।

विदेशियों को देश से बाहर निकालना

2646. डा० म० मो० दास :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965–66 में कुल कितने विदेशियों को, उनके पास वैध दस्तावेज न होने के कारण देश से बाहर निकाला गया;

(ख) उक्त अवधि में सरकार द्वारा उन पर कितना खर्च किया गया; और

(ग) उक्त अवधि में (एक) भारत में निर्धारित अवधि से अधिक समय तक ठहरने तथा (दो) बिना वैध दस्तावेज के भारत में आने वाले कुल कितने विदेशियों को सजा दी गई वे किन-किन देशों के थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) से (ग) : सदन के सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखियेसंख्या एल० टी० 7461/66]

Casual Labour in P. & T. Department

2647. Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Bade:

Will the Minister of **Communications** be pleased to state;

(a) whether it is a fact that casual labourers working in the Posts and Telegraphs Department are paid a daily wage of Rs. 1.50 p.;

(b) whether it is also a fact that daily wages of casual labour as per orders of the Ministry of Home Affairs, are fixed at Rs. 2·60 per day; and

(c) if so, the reasons for paying less than the prescribed rate ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Jaganath Rao): (a) The rates of daily wages paid to casual labour in P & T vary from Rs. 1·37 to Rs. 3·50 according to the local rates prevailing.

(b) No.

(c) Does not arise.

Treatment of Sadhus in Jail

2648. Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Shri Bade:

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Sadhus had been sentenced to 10 days imprisonment for protesting against cow-slaughter in Delhi in Septmber last ;

(b) whether it is also a fact that these Sadhus stated that they were not served food properly in the jail; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):

(a) Yes. The sentences range from 7 to 15 days generally for different batches.

(b) and (c): Some of the Sadhus complained about the food supplied. Some demanded cash instead of ration, supply of per ghee, etc. Food was supplied properly by the Jail authorities according to the diet prescribed in the Jail Regulations.

सरकारी कर्मचारियों के विरूद्ध रिश्वत के मामले

2649. श्री दी० चं० शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जांच विभाग के विशेष पुलिस संस्थान ने चालू वर्ष में अब तक राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के विरूद्ध रिश्वत के कुल कितने मामले पेश किये हैं;

(ख) अब तक कितने मामलों में कार्यवाही की गई है; और

(ग) कितने मामले अभी तक लम्बित पड़े हैं और उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वान) :

(क) अक्तूबर, 1966 के अन्त में 1030 मामले पेश हुये ।

(ख) 413 मामलों में जांच पूरी कर ली गई है ।

(ग) अक्तूबर 1966 के अन्त में 617 मामले लम्बित थे । लम्बित मामलों में अधिकांश हाल ही के हैं । शेष मामलों के निबटाये न न जा सकने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं;

(i) विभागों से प्रमुख अभिलेख तथा सूचना के प्राप्त होने में विलम्ब ।

(ii) जांच की विस्तृत तथा दूरगामी प्रकृति, जिनके लिए विभिन्न राज्यों का दौरा करना पड़ता है।

(iii) ऐसे मामलों की जटिल प्रकृति, जिनमें अभिलेखों के भारी परिणाम की जांच करनी पड़ती है।

मुर्शिदाबाद के महल का अर्जित किया जाना

2650. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुर्शिदाबाद के महल को अपने नियंत्रण में लेने तथा उसे एक राष्ट्रीय संग्रहालय में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) क्या महल के स्वामी ने इसको उपहार स्वरूप देने की पेशकश की है अथवा सरकार का विचार उसे खरीदने का है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) :

(क) और (ख) विषय विचाराधीन है।

भारतीय टैनिस खिलाड़ी

2651. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या **शिक्षा मंत्री** 24 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3215 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारत लान टैनिस एसोसियेशन का सम्बन्धित खिलाड़ियों से भारतीय टैनिस खिलाड़ियों द्वारा विदेशों में टूर्नामेंन्ट में दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों की साझेदारी में भाग लेने के बारे में मांगी गई तथ्यपूर्ण जानकारी इस बीच प्राप्त हो गई है ?

(ख) यदि हां, तो मामले में सारे तथ्य क्या है; और

(ग) क्या सम्बन्धित भारतीय खिलाड़ियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ?

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) :

(क) और (ख) : अखिल भारतीय लान टेनिस संस्था को, जिसने सर्वश्री प्रेमजीत लाल और जयदीप मुखर्जी से उनके दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों की साझेदारी में खेलने के सम्बन्ध में पूछ-ताछ की थी, बताया गया है कि प्रेमजीत लाल और श्री जयदीप मुखर्जी ने जिन टूर्नामेंन्टों में भाग लिया था उनमें दोनों में से किसी को भी साथ खेलने के लिए कोई साथी नहीं मिला था, इसलिए सम्बन्धित टूर्नामेंन्ट समिति ने दक्षिण अफ्रीका खिलाड़ियों के साथ खेलने के लिए उन दोनों को एक साथ रख दिया था।

(ग) अखिल भारतीय लान टेनिस संस्था ने सर्व श्री प्रेमजीत लाल और जयदीप मुखर्जी दोनों को भविष्य में दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों की साझेदारी में न खेलने के लिए चेतावनी दे दी है।

खम्भात के निकट कथना में तेल के कुएं से भाप निकलना

2652. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह सच है कि खम्भात के निकट कथना में तेल के कुएं संख्या 4 से गर्म पानी तथा भाप बहुत जोर से निकल रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या भाप की मात्रा तथा दबाव उसका बिजली पैदा करने के लिये प्रयोग किये जाने के लिये पर्याप्त है जैसा कि अन्य देशों में जहां ऐसी भूमिगत भाप उपलब्ध है किया जाता है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) :

(क) कथना में तेल के कुएं संख्या 4 से गर्म पानी और भाप निकल रही थी किन्तु एक सप्ताह के अन्दर ही कुएं पर काबू पा लिया गया। कुएं से अब भाप और गर्म पानी नहीं निकल रहा है।

(ख) उपलब्धदिता कम होने के कारण बिजली पैदा करने के लिए इसकी सम्भावनाओं पर इतना पहले आलोचना करना कठिन है। केवल इस उद्देश्य के लिए विशेष अध्ययन की आवश्यकता है।

पंजाब और हरियाणा में ग्राम पंचायतों के लिये टेलीफोन की सुविधाएं

2653: श्री किशन पटनायक : **श्री यशपाल सिंह :**
श्री बागी : **श्री राम सेवक यादव :**

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का यह विचार 1966-67 में पंजाब और हरियाणा राज्यों में ग्राम-पंचायतों को टेलीफोन की सुविधाएं देने का है ;

(ख) क्या सरकार का विचार अन्य राज्यों में भी ये सुविधाएं देने का है ; और

(ग) यदि हां, तो इस कार्य के लिये कितना धन निश्चित किया गया है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) :

(क) 'वर्गीकृत' स्थानों को छोड़कर, जहां सीमित हानि के आधार पर मंजूरी दी जाती है, सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधाएं दूरस्थ सार्वजनिक टेलीफोन घरों के रूप में उनके लाभप्रद होने पर मंजूर की जाती है। इस सुविधा के लिए 'वर्गीकृत' केन्द्रों में प्रशासनिक नगर से लेकर तहसील मुख्यालय तक तथा 1961 की जनगणना के आधार पर 20,000 से अधिक जनसख्या वाले कस्बे लिये जाते हैं। ग्राम पंचायतें 'वर्गीकृत' स्थान नहीं है और पंजाब और हरियाने में इस सर्कल के ऐसे स्थानों पर टेलीफोन सुविधाएं प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस कार्य के लिए कोई रकम नियत नहीं की गई है।

पंजाब और हरियाणा में टेलीफोन तथा तार की सुविधाएं

2654. श्री किशन पटनायक :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रामसेवक यादव :
श्री बागड़ी :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन है कि पंजाब और हरियाणा राज्यों के सब उप-डाकखानों और शाखा-डाकखानों में टेलीफोन और तार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जायें ; और

(ख) यदि हां, तो 1966-67 में ऐसे कितने डाकघर तथा शाखा डाकघर है जहां ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) :

(क) पंजाब तथा हरियाना राज्यों के सभी उप-डाकघरों तथा शाखा डाकघरों में टेलीफोन तथा तार की सुविधाएं प्रदान करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) नीचे उन स्थानों की सूची दी गई हैं जहां 1966-67 के दौरान सामान्य तरीके से ये सुविधायें प्रदान करने की योजना बनाई गई है ।

क्रमांक	स्थान का नाम	कार्यालय का स्तर	सुविधा
1.	धरमकोट (ज़िला फीरोजपुर)	विभागीय उप कार्यालय	दूरस्थ सार्वजनिक टेलीफोन घर
2.	नाहर (ज़िला गुड़गांव)	–वही–	–वही–
3.	बिभौरी (ज़िला धर्मशाला)	–वही–	तार

सीधी टेलीफोन व्यवस्था

2655 श्री किशन पठनायक :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :
श्री रामसेवक यादव :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि 1966-67 तथा 1967-68 में नगरों तथा कस्बों को राजधानी से सीधी टेलीफोन लाईनों के द्वारा मिलाने के लिये कितना धन नियत किया गया है अथवा निर्यात करने का विचार हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव)

अलग-अलग स्थानों को ट्रंक टेलीफोन लाइनों से जोड़ने और इन लाइनों के जरिए अन्य स्थानों के कनेक्शन मिलाने के लिए देश में ट्रंक टेलीफोन लाइनों की योजना एक सम्मिलित योजना के रूप में तैयार की जाती है । अतः राजधानी से नगरों और कस्बों को सीधी लाइनों से जोड़ने के लिए अलग से कोई फंड नियत नहीं किया जाता ।

वामपंथी साम्यवादियों तथा विद्रोही मिजो लोगों द्वारा राष्ट्र-विरोधी कार्यवाहियां

2656. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री ह्न० चा० लिंग रेड्डी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रिपुरा सरकार से यह सूचना मिली है कि वामपंथी साम्यवादी विद्रोही मिज़ो लोगों के साथ सांठ-गांठ करके इस सीमावर्ती राज्य में 'सशस्त्र विद्रोह' की योजना बना रहे हैं;

(ख) क्या त्रिपुरा राज्य में मिज़ो तथा नागा लोग आसाम की ओर से भारी संख्या में घुस आये हैं; और

(ग) क्या त्रिपुरा सरकार ने साम्यवादियों तथा विद्रोही मिज़ो लोगों की राष्ट्र-विरोधी कार्यवाहियों को रोकन क लिए भारत रक्षा नियमों का प्रयोग करने के लिए अनुमति मांगी है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उपमंत्री : (श्री विद्याचरण शुक्ला) :

(क) जी, नहीं।

(ख) सरकार के पास इसकी जानकारी नहीं है।

(ग) भारत प्रतिरक्षा नियमों के नियम ३-क द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों से त्रिपुरा सरकार को छूट दी गई है और कुछ शान्तियों के प्रयोग के लिये उसको केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन या मंजूरी प्राप्त करन की आवश्यकता नही है। तथापि, भारत प्रतिरक्षा अधिनियम तथा नियमों के प्रयोग के सम्बन्ध में संसद में समय समय पर दिये गये नीति सम्बन्धी वक्तव्यों के अनुसार उसको शक्तियों का प्रयोग करना है।

मंगलौर उर्वरक कारखाना

2657. श्री ह० चा० लिंग रेड्डी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रस्ताविक मंगलौर उर्वरक कारखाना इस समय किस अवस्था में है;

(ख) यह कारखाना गैर-सरकारी क्षेत्र में होगा अथवा सरकारी क्षेत्र में;

(ग) इस पर कितनी लागत आने का अनुमान है तथा इस की निर्धारित क्षमता क्या होगी; और

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना में मैसूर राज्य को उर्वरकों में आत्म-निर्भर बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) 20. 6. 1966 को मैसर्स इण्टर नेशनल डिवैलपमैण्ट एण्ड इन्वेस्टमैण्ट कम्पनी लि० नसाऊ, वहमास। मैसर्स दुग्गल इण्टर प्राइसिज़ (पी०) लि०, नई दिल्ली को एक आशय पत्र भेजा गया है। इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिये उन्होंने 'मालाबार कैमिकल्स एण्ड फर्टीलाइज़रस (पी) लि०' नामक एक नई कम्पनी स्थापित की है।

(ख) गैर-सरकारी क्षेत्र।

(ग) परियोजना पर लगभग 525 करोड़ रुपये लागत आने का अनुमान है और इसकी क्षमता निम्न प्रकार होगी :—

यूरिया	132,000 मीटरी टन प्रति वर्ष
काम्पलैक्स उर्वरक	528,000 मीटरी टन प्रति वर्ष
सी० ए० एन०	180,000 मीटरी टन प्रति वर्ष

(घ) उर्वरकों में आत्मनिर्भरता के लिये सरकार व्यक्तिगत राज्यों के आधार पर नहीं बल्कि अखिल भारतीय आधार पर कार्य कर रही है। मंगलौर, गोआ और कोचीन में प्रस्तावित उर्वरक संयन्त्रों की स्थापना से यह प्रत्याशित है कि मैसूर राज्य की सम्पूर्ण आवश्यकताएं चौथी योजना अवधि के अन्त तक या उसके आस पास इन साधनों से पूरी हो जायेगी।

आयातित पुस्तकें खरीदने के लिये अनुदान

2658 श्री विभूति मिश्र : **श्री क० ना० तिवारी :**

क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि अवमूल्यन के परिणामस्वरूप आयातित पुस्तकों के मूल्यों में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा उनके मंत्रालय का विश्वविद्यालयों को पुस्तकों की खरीद के लिए और अधिक अनुदान देने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : मामला विचाराधीन है ।

विश्व विश्वविद्यालय सेवा द्वारा पुस्तकों का संभरण

2659 डा० मेलकोट :

क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व विश्वविद्यालय सेवा नई दिल्ली इंजीनियरी, विज्ञान तथा चिकित्सा कालेजों के छात्रों को पुस्तकें उधार दे रही है ;

(ख) क्या उक्त सेवा प्रार्थियों द्वारा मांगी गई सब पुस्तकें देने की स्थिति में नहीं है ;

(ग) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिये सरकार द्वारा क्या कर्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या ऐसी सेवा भारत के अन्य सभी कालेजों में लागू की गई है ; और यदि नहीं, तो इस के क्या कारण है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) :

(क) जी हां ।

(ख) वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सर्विस एक स्वैच्छिक संगठन है । अपने सीमित साधनों के कारण वह छात्रों द्वारा चाही गई सभी पुस्तकों की पूर्ति करने की स्थिति में नहीं है ।

(ग) भारत सरकार ने उच्च शिक्षा की भारत और बिदेश में प्रकाशित मानव पाठ्य-पुस्तकों के कम दाम वाले संस्करणों का संभरण बढ़ाने के लिए बहुत से उपाय किए हैं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी कालेजों को मानव पाठ्यपुस्तकों की अनेक प्रतियां खरीदने के लिए शत-प्रतिशत के आधार पर अनुदान देता है तकि वे दीर्घकालीन आधार पर छात्रों को उधार दी जा सके ।

(घ) इस सर्विस के लाभ केवल उन कालेजों और विश्वविद्यालयों में ही मिल सकते हैं, जहां सर्विस की स्थानीय समिति विद्यमान हैं

भारतीय प्रशासनिक सेवा के व्यक्ति का विद्रोही मिजो लोगों के साथ शामिल होना

2660. श्री मधु लिमये :

क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिजो पहाड़ी जिले का एक व्यक्ति जो भारतीय प्रशासनिक सेवा की लिखित तथा मौखिक परीक्षा में हाल में उत्तीर्ण हुआ है नागा विद्रोहियों में शामिल हो गया हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय एजेन्सियों ने इस व्यक्ति के बारे में उसकी परीक्षा से पूर्व कोई जानकारी एकत्रित नहीं की थी ; और

(ग) उस के उनके साथ मिल जाने के क्या कारण थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

Hunger Strike by Employees of Hindustan lever Ltd.

2661. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Bade : Shsi Vishram Prasad :

Will the Minister of **Labour, Employment and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the emplyees of Hindustan Lever Limited have gone on hunger strike to press their demands since September, 1966 ;

(b) if so, the nature of, their demands; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The DeputyMinister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) Yes.

(b) The worker's demand is for maintenance of status quo with regard to nature and contents of job of field officers and office staff till the disposal of their dispute relating to the introduction of human rationalisation as a measure of economic reorganisation through job integration.

(c) Under the Industrial Disputes Act, 1947, the State Governments are the 'appropriate' Governments in regard to industrial relations in respect of this dispute. The Government of West Bengal have reffered the dispute between the Hindustan Levers Limited and their workmen to an Industrial Tribunal for adjudication on 30th September, 1966. In Bombay also, the dispute has already been taken in conciliation by the State Labour Department. Conciliation proccedings are in progress. It is learnt that the management is agreeable to apply the settlement/decision reached at Bombay to their other centres in the country.

Murder and Abduction by Pakistanis in Rajouri Area

2662. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Bade : Shri Vishram Prasad :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a party af Pakistanis after crossing the cease-fire line, committed the murder of one Khan Mohammed, the Headman of the Dangi village in Rajouri area as reported in 'Vir Arjun' of the 16th September, 1966;

(b) whether it is also a fact that they abducted his young wife and decamped with his money and proporty; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) (a) On the night of September 9, 1966 some Pakistanis entered the house of one Mohammed Yakub resident of village Dungi, 2 to 3 miles from the Cease Fire Line, and exploded a hand-grenade resulting in the death of Mohammed Yakub and injuries to his brother Mohammed Khan.

(b) They kidnapped a minor boy but failed in their effort to kidnap the wife of Mohammed Yakub.

(c) A case under section 396/363 Ranbir Penal Code was registered.

Posts in University Grants Commission.

2663. Shri Vishram Prasad :

Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. **2677** on the 23rd March, 1966 and state :

(a) the percentage of posts reserved separately in each cadre for the persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Office of the University Grants Commission;

(b) whether persons belonging only to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are working against all such posts; and

(c) if not, the reasons therefor ?

Tho Minister of Information and Broadcasting :(Shri Raj Bahadur) :

(a) Except in the case of posts requiring special qualifications, 16⅔% and 5% of the vacancies to be filled by direct recruitment, otherwise than by open competition in each cadre, are reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates respectively.

(b) Against 33 reserved posts for Scheduled Castes in different cadres, 31 persons are working in the office of the University Grants Commission. The corresponding figures for Scheduled Tribes are 19 and nil.

(c) Non-availability of suitable candidates.

Senior Police Officials of Delhi

2664. Shri Vishram Prasad :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Senior Police Officials of the Delhi Police take domestic work from the newly recruited constables and get their motor cars repaired through their juniors; and

(b) if so, the steps Government propose to take to eradicate this evil practice ?

The Deputy - Minister in the Ministry of Home Affairs : (Shri Vidya Charan Shukla)

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Foreign Missionaries in India

2665. **Shri Vishram Prasad :**
Shri Nardeo Snatak :
Shri C. M. Kedaria :
Shrl Kashi Ram Gupta
Shri Mohan Swarup :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of foreign missionaries in India in 1947; and

(b) their number as on the 31st March, 1966 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla)

(a) and (b) : The total number of foreign missionaries registered in India as on 14th August, 1947, and 1st January, 1966, was 2, 271 and 4, 214 respectively. These figures do not include missionaries from Commonwealth countries who are not subject to registration.

Marks at Interviews for Scheduled Castes Candidates

2666. **Shri Vishram Prasad :**
Shri Nardeo Snatak :
Shri C. M. Kedaria :
Shri Kashi Ram Gupta :
Shri Mohan Swarup :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that most of the candidates belonging to the Scheduled Castes and other poor classes fail in the examination for I. A. S., I. P. S. and I. F. S. at the interview stage ;

(b) if so, whether Government propose to remove this imbalance by reducing the marks for interviews; and

(c) if not the reasons therefor ?

The Deputy - Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):

(a) No, Sir. A statement explaining the method of selection for the three Services is placed on the Table of the House.

Statement

The procedure for the competitive examination for the three Services is that candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written examination as may be fixed by the Commission in their discretion, are summoned for an interview for a personality test. After the personality test, the candidates are arranged in the order of merit as disclosed by the agrregate marks finally awarded to each candidate and only so many candidates as are found to be qualified for appointment are recommended by the Commission. For S. C. and S. T. candidates, the practice is that though they may not be qualified by the standard prescribed by the Commission for any of the Services, they may be declared to be suitable for appointment thereto with due regard to the maintenance of efficiency of administration. The number of candidates called for the personality test is generally much larger than the number of seats available, and therefore, in the very nature of the examination, only such number of candidates can be declared finally successful as the number of vacancies available in the general and reserved quotas. There are no minimum qualifying marks in the personality test. In the light of this explanation, it would not be correct to say that most of the candidates belonging to the Scheduled Castes fail in the examination at the interview stage.

It is not possible to distinguish 'other poor classes' amongst the candidates other than Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

(b) and (c) do not arise.

Settlement of People in Andamans

2667. **Shri C. M. Kedaria :**
Shri Kashi Ram Gupta :
Shri Nardeo Snatak ;
Shri Vishram Prasad :
Shri Mohan Swarup ;

Will the Minister of **Labour, Employment and Rehabilitation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2653 on the 23rd March, 1966 and state :

(a) whether Government propose to settle some desirous persons from the mainland in the Andaman Islands in view of continuous growth of population and incessant repatriation of persons of Indian origin from Burma and other foriegn countries; and

(b) if not, the reasons therefore ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan) : (a) and (b) : An accelerated resource development programme for the Andaman and Nicobar islands has been drawn up by an interdepartmental team. The programme visualizes doubling the present population of about 75, 000 by the end of the Fourth Plan period and its further increase by one lakh during the Fifth Plan period. Development programmes have been recommended for the absorption of the additional population in gainful employment. Migrants from East Pakistan, repatriates from Burma and Ceylon and persons from the main land answering to specific occupational requirements of the programmes are expected to provide the main source of additional population to be absorbed in the islands.

Seminars organised by Education Ministry

2668. **Shri Nardeo Snatak :**
Shri Mohan Swarup :
Shri C. M. Kedaria :
Shri Vishram Prasad :
Shri Kashi Ram Gupta :

Will the Minister of **Education** be pleased to state -

(a) the number of Seminars organised by the various Commissions and offices under his Ministry during 1966—67 so far ;

(b) the places where these seminars were organised and the expenditure incurred thereon ;

(c) the reasons for not organising them in Delhi as a measure of economy; and

(d) whether it is proposed to organise all such seminars in Delhi in future ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shrimati Soundaram Ramachandran : (a) Nineteen during the period from 1st April, 1966 to 30th September, 1966.

(b) and (c) The information is given in the statement attached. [Placed in the Library **See.** No. L7—7453/66]

(d) No Sir. Some regional seminars have to be organised at regional centres. The need for economy will, however, be kept in view while fixing the venue of a seminar.

Staff Cars in Education Ministry

2669. **Shri Kashi Ram Gupta :**
Shri Nardeo Snatak :
Shri Vishram Prasad :
Shri Mohan Swarup :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of staff cars maintained in his Ministry ;

(b) their makes (Models) and costs, separately; and

(c) the approximate annual expenditure on their maintenance ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shrimati Soundaram Ramachandaran): (a) Five.

(b)	Staff Car No.	Model	Date of Purchase	Cost
1.	DLD 9468	Land—Master	7—9—1957	Rs. 12, 680—05
2.	DLE 7916	Ambassador	11-5—1959	Rs. 11, 104—80
3.	DLJ 5339	Humber (Super Spine)	18-4—1964	Rs. 63, 716—20
4.	DLJ 1665	Ambassador	24-5—1965	Rs. 12, 722—00
5.	DLJ 5470	Ambassador	8—4—1966	Rs. 14, 970—24

(c) The total expenditure on maintenance during 1965—66 was Rs. 26, 690—93.

बर्मा से स्वदेश लौटे भारतीय लोगों का पुनर्वास

2670. श्री रा० बरुआ : श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार बर्मा से स्वदेश लौटे भारतीयों को बसाने का कार्य दिल्ली प्रशासन से अपने हाथ में लेने का है; और

(ख) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकार में से किसी ने भी बर्मा से विस्थापित लोगों को बसाने के लिए प्लाट, दुकानें, मकान तथा स्टाल देने के बारे में अब तक कोई भी योजना पेश नहीं की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री य० रा० चह्वान) :

(क) जी, नहीं !

(ख) बर्मा से लौटकर दिल्ली आये हुए व्यक्तियों को रिहायशी प्लाट देने के प्रश्न पर दिल्ली प्रशासन, दिल्ली विकास प्राधिकरण के परामर्श से विचार कर रहा है ।

ऐसे लोगों के लिये स्टाल बनाने के प्रस्ताव पर दिल्ली नगर निगम विचार कर रहा है। जहां तक नई दिल्ली नगर पालिका का सम्बन्ध है, समिति के पास सीमित संख्या में दुकान होने के कारण उसके लिये सम्भव नहीं है कि वह ऐसे लोगों के लिए दुकान सुरक्षित रखे ।

बर्मा से स्वदेश लौटे लोगों को पुनर्वास ऋण

2671. श्री नि० रं० लास्कर : श्री रा० बरुआ :
श्री लीलाधर कटकी :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री 24 अगस्त, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 632 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने उद्योग निदेशक को बर्मा से स्वदेश लौटे लोगों को 2000 रुपये से 5000 तक ऋण देने के बारे में अनुदेश नहीं पहुंचाये हैं ।

(ख) पुनर्वास ऋण एक साथ दिया जायेगा अथवा किश्तों में; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो दिल्ली प्रशासन द्वारा पुनर्वास मंत्रालय के अनुदेशों को रोके रखने के क्या कारण हैं ?

2671. श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री य० रा० चह्वान) :

(क) जी, नहीं !

(ख) स्वदेश लौटे हुए लोगों को 1000 रुपये से कम का ऋण सामान्यतः एक साथ दिया जाता है और 1000 रुपये का या इससे अधिक का ऋण दो किश्तों में दिया जाता है जो 6 महीने की अवधि में दी जायेगी ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सरकारी कर्मचारियों पर, अभियोग चलाना

2672. श्री उटिया : श्री मधु लिमये :

क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने के लिये तभी अनुमति लेना आवश्यक होता है जब कथित अपराध का दण्ड दो वर्ष अथवा कम अवधि का हो; और

(ख) क्या यह भी सच है कि यदि कथित अपराध का दण्ड दो वर्ष से अधिक अवधि की सजा का हो तो केन्द्रीय सरकार के विशेष अवधि की सजा का हो तो केन्द्रीय सरकार के विशेष पुलिस संस्थान द्वारा भ्रष्टाचार तथा अन्य मामलों में राज्य सरकार की अनुमति लिये बिना मुकदमे चलाये जा सकते हैं ।

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वान) :

(क) और (ख) : जी नहीं । यह बात कि किसी सरकारी कर्मचारी पर मुकदमा चलाने के लिये उपयुक्त सरकार की अनुमति या मंजूरी लेना आवश्यक है या नहीं कानून की उन व्यवस्थाओं पर निर्भर करता है जिनके अधीन उस पर मुकदमा चलाया जाना हो ।

पूना का भूतपूर्व परिवहन प्रबन्धक

2673. श्री उटिया श्री मधु लिमये :

क्या **गृह-कार्य मंत्री** 31 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3803 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूना के भूतपूर्व परिवहन प्रबन्धक के मामले में राज्य सरकार की रिपोर्ट पर विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

गृहकार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) :

(क) और (ख) : राज्य सरकार के उत्तर की जांच अभी तक की जा रही है ।

स्वर्गीय डा० चम्पकरमन् पिल्ले का स्मरणोत्सव मनाना

2674. श्री शिवमूर्ति स्वामी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डा० चम्पकरमन् जो एक महान देश-भक्त थे और भारत की स्वतन्त्रता के लिए लड़े थे, की अस्थियां जर्मनी से भारत लाई गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो भारत की स्वतन्त्रता के इस सेनानी का स्मरणोत्सव मनाने के लिए यदि सरकार ने कोई कार्यवाही की है तो क्या ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री भक्त दर्शन) :

(क) जी, हां ।

(ख) इसका प्रारम्भ तथा आयोजन करना जनता का काम है ।

तकनीकी व्यक्तियों में बेरोजगारी

2675. श्री शिवमूर्ति स्वामी :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तकनीकी व्यक्तियों, जैसे इंजीनियरों में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

(ख) क्या सरकार ने रोजगार दिलाने वाले कार्यालयों से उनमें दर्ज अभी तक बेरोजगार तकनीकी व्यक्तियों की स्थिति के सम्बन्ध में कोई जानकारी मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाहनवाज खां) :

(क) आशा है कि चौथी योजना में प्रकल्पित आधुनिक उद्योगों के विकास, कृषि के आधुनिकीकरण, छोटे पैमाने के उद्योगों तथा परिवहन और संचार व्यवस्था के विस्तार से बेरोजगारों के लिए, जिनमें तकनीकी व्यक्ति भी शामिल हैं, रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होंगे ।

(ख) और (ग) : उन इंजीनियरों के जिनके नाम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली के रोज़गार दिलाने वाले कार्यालयों में दर्ज हैं, रोज़गार की स्थिति का पता लगाने हेतु हाल ही में की गई पूछताछ से मालूम हुआ है कि इन कार्यालयों में दर्ज इंजीनियरों में 40 से 55 प्रतिशत व्यक्ति पहले ही रोजगार में लगे हुए हैं और वे अधिक अच्छे रोज़गार के लिये सहायता मांग रहे हैं ।

अरब की सराय, नई दिल्ली का रोजगार दफ्तर

2676. श्री शिवमूर्ति स्वामी :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री** वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरब की सराय, निजामुद्दीन, नई दिल्ली स्थित रोजगार दफ्तर ने उच्च अर्हता प्राप्त व्यक्तियों की, जैसे कि डाक्टर, इंजीनियर और अध्यापन-कार्य में डिप्लोमा प्राप्त स्नात्तकोत्तर, जिन्होंने अपने नाम वहां दर्ज करवा रखे हैं, कोई सूची सरकार को दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाहनवाज खां) :

(क) और (ख) : अरब की सराय स्थित रोजगार दफ्तर में 30-6-1966 को दर्ज आवेदकों की संख्या के बारे में सूचना नीचे दी जाती है :—

श्रेणी	पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या
डाक्टर	261
इन्जीनियर	491
अध्यापन में डिप्लोमा अथवा डिग्री-प्राप्त स्नाकोत्तर	956

बेरोज़गार शिक्षित व्यक्तियों का सर्वेक्षण

2677. श्री शिवमूर्ति स्वामी :

क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अभी तक बेरोज़गार शिक्षित व्यक्तियों का कोई सर्वेक्षण कराया है ?

(ख) क्या सरकार ने कृषि पर निर्भर बेरोजगार व्यक्तियों के बारे में एक अखिल भारतीय सर्वेक्षण कराया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री शाहनवाज़ खां) :

(क) **और** (ख) : जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उच्च माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में एकरूपता

2678. श्री शिवमूर्ति स्वामी : श्री वासप्पा :

क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों में उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के स्वरूप में कोई एकरूपता नहीं है, क्योंकि सभी राज्यों में केन्द्रीय स्कूल, उच्चतर माध्यमिक स्कूल, हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट कालिज हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की भिन्नता के कारण क्या हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) :

(क) जी हां ।

(ख) मुख्य कारण है कि स्वतन्त्रता के समय राज्यों को अपने-अपने क्षेत्रों में विभिन्न शैक्षिक पद्धतियां उत्तराधिकार में मिली थीं ।

लक्ष्मीरतन कॉटन मिल्स, कानपुर में भविष्य निधि अंशदान

2679. श्री स० मो० बनर्जी :

क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लक्ष्मीरतन कॉटन मिल्स, कानपुर के प्रबन्धकों ने अपने कर्मचारियों के वेतन से काटी गयी भविष्य निधि की राशि को भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा नहीं कराया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाहनवाज खां) (क) मैसर्स लक्ष्मीरतन कॉटन मिल्स, कानपुर को कर्मचारी भविष्य निधि योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 की धारा 17 (1) के अधीन छूट दी गयी है। छूट मिली हुई फर्म होने के नाते उन्हें भविष्य निधि की धन राशि को केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में जमा करना पड़ता है और उनके लिये यह आवश्यक नहीं है कि वे इस राशि को भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा करें ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) भविष्य निधि की राशि को केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में जमा न करने के लिये उक्त फर्म की छूट को समाप्त किया जा रहा है और अभियोग सम्बन्धी शिकायतें न्यायालय में सुनी जा रही हैं ।

पाइराइट्स एण्ड कैमिकल्स डवलैपमेंट कम्पनी लिमिटेड

2680. **श्री प्र० चं० वरूआ :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री ह० चा० लिंगरेड्डी :
श्री भागवत झा आज़ाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाइराइट्स एण्ड कैमिकल्स डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड के निगमित होने के छः वर्ष बाद, अभी हाल में ही परियोजना के निष्पादन की दिशा में पहला कदम उठाया गया है अर्थात् इसके लिये उपकरणों का आर्डर दिया गया है :

(ख) यदि हां, तो कार्यवाही आरम्भ करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) :

(क) और (ख) : जी नहीं। समय समय पर उपकरण के लिये आर्डर दिये गये और देशी मशीनरी का अधिक भाग आ गया है। विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के कारण आयातित मशीनरी को प्राप्त करने में कुछ देरी हुई है ।

माना शिखर अभियान

2681. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री ह० चा० लिंग रेड्डी :

क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता के पर्वत अभियाली संघ ने हाल ही में माना चोटी पर विजय प्राप्त कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो अभियान का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ; और

(ग) माना चोटी अभियान के लिये सरकार द्वारा यदि कोई वित्तीय सहायता दी गई है तो वह क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप मन्त्री (श्रीभक्त दर्शन) : (क) जी हां ।

(ख) श्री विश्वदेव विश्वास के नेतृत्व में दस सदस्यों वाले अभियान दल के संघ ने 23,860 फीट ऊंचाई वाली माना चोटी को विजय करने के लिये प्रायोजित किया था । श्री प्रणेश चक्रवर्ती अधिक ऊंचाई पर चढ़ने वाले चार शेरपाओं के साथ, चोटी पर 19 सितम्बर, 1966 को पहुंचे । वापिसी पर चार शेरपा फिसल गये और उन्हें चोटें आई । उत्तर प्रदेश सरकार के जरिए रिपोर्ट प्राप्त होने पर, भारतीय पर्वतारोहन प्रतिष्ठान ने रक्षा मंत्रालय से सहायता के लिए अनुरोध किया । 25 सितम्बर को शेरपाओं को भारतीय वायु सेना के एक हेलीकोप्टर द्वारा बचा लिया गया और जिला हस्पताल, बरेली में भर्ती किया गया, उनमें से दो ने पूर्ण स्वास्थ्य लाभ कर लिया है और अन्य दो संतोषजनक रूप से स्वास्थ्य लाभ कर रहें हैं । नेता, जिसकी फिसलने से एक पसली टूट गयी थी और श्री चक्रवर्ती, जिनके अंगूठे पाले में मारे गये थे, अब ठीक हैं ।

(ग) भारतीय पर्वतारोहण प्रतिष्ठान ने, जिसे सरकार अनुदान देती है, अभियान के लिये 6,000 रुपये मंजूर किये थे और हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग द्वारा अनुरक्षित जयाल स्मारक स्टोर से दिये गये साज-समान का किराया दिया था ।

मुद्रण उद्योग में कुशल कर्मचारियों की कमी

2682. श्री महेश्वर नायक :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के मुद्रण उद्योग में कुशल कर्मचारियों की भारी कमी है, क्योंकि श्रम विभागों तथा जिन लोगों पर प्रशिक्षण देने का उतरदायित्व है उनमें समन्वय का अभाव है ?

(ख) क्या यह भी सच है कि मुद्रण कार्यकर्त्ताओं के लिए एक-वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम तथा तीन-वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम दो विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा स्वतन्त्र रूप से चलाये जा रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं । कुशल श्रमिकों को प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रांलय की है ।

(ख) मुद्रण प्राद्योगिकी में डिप्लोमा स्तर की शिक्षा समेत तकनीकी शिक्षा और इससे ऊपर के स्तर की शिक्षा अर्थात् तकनीशनों और स्नातकों की शिक्षा की जिम्मेदारी शिक्षा मंत्रालय की है और छोटे स्तर पर अर्थात् कुशल श्रमिकों के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय पर है । अतः मुद्रण प्राद्योगिकी में तकनीशनों के लिये तीन वर्षीय पाठ्यक्रम शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है जबकि कुशल श्रमिकों के लिये एक वर्षीय पाठ्यक्रम श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है ।

(ग) उद्योग की कुशल कर्मचारियों की बढ़ती हुयी मांग को पूरा करने के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रशिक्षण शिक्षण सम्बन्धी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है ।

त्रिपुरा सरकार द्वारा जारी किये गये प्रेस वक्तव्य

2683. श्री वीरेन दत्त :

क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा सरकार ने अगरतला शहर में 28 अगस्त, 1966 तथा 29 सितम्बर, 1966 को हुई घटनाओं के बारे में 30 अगस्त, 1966 को तथा उसके बाद कुछ प्रेस वक्तव्य जारी किये थे ? और

(ख) यदि हां, तो उन प्रेस वक्तव्यों में क्या बातें कही गई थीं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) प्रेस वक्तव्यों की प्रतियां सदन के सभा पटल पर रखी जाती हैं । **(पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 7454/66)**

Use of Roman Script for Indian Languages

2684. Shri Prakash Vir Shastri : , Shri Jagdev Singh Siddhanti

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether the Education Committee of the Planning Commission has proposed the use of Roman Script for all the Indian languages; and

(b) if so, the extent to which Government are in agreement with this decision ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) (a) No, Sir.

(b) does not arise.

भारत सुरक्षा नियम

2685. श्री कोल्ला वैंकैया : श्री मुहम्मद इलियास :
श्री किशन पटनायक : श्री मधु लिमये :

क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विभिन्न राज्यों में भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत कितने व्यक्ति नजरबन्द हैं ;

(ख) उनमें कितने लोग मार्क्सवादी साम्यवादी हैं ;

(ग) इनमें संयुक्त समाजवादी दल के कितने व्यक्ति हैं ;

(घ) अन्य विरोधी दलों के कितने व्यक्ति हैं ; और

(ङ) आगामी आम चुनावों के बावजूद उन्हें नजरबन्द रखने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) 15 नवम्बर 1966 को विभिन्न राज्यों में भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत नजरबन्द व्यक्तियों की संख्या 692 थी ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) कोई नहीं ।

(घ) 15 नवम्बर 1966 को विभिन्न राजनैतिक दलों से सम्बन्धित 74 व्यक्ति नजरबन्द थे ।

(ङ) उन्हें किसी भी ढंग से भारत की सुरक्षा तथा नागरिक सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने से रोकने के लिये नजरबन्द रखा गया है । आगामी आम चुनावों का उनकी लगातार नजरबन्दी से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

छात्रों में विदेशी एजेंट

2686. श्री मणियंगाडन :

क्या **ग्रह-कार्य** मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 5 अक्तूबर, 1966 के 'टाइम्स आफ इंडिया' (दिल्ली संस्करण) में, प्रकाशित इस समाचार के बारे में जानकारी है कि हमारे समाज में, विशेष कर छात्रों में कुछ ऐसे लोग घुसने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिनमें से कुछ लोग विदेशी एजेंटों से धन ले रहे बताये जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई जांच की गई है और उसका क्या परिणाम रहा है ?

ग्रह-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) जी हां ।

(ख) अब तक की गई जांच से इन आरोपों की संपुष्टि नहीं होती ।

भारतीय तेल निगम के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि

2687. श्री वारियर : श्री वासुदेवन नायर :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तेल निगम (विपणन प्रभाग) के कर्मचारियों के वेतन में जुलाई, 1966 में वृद्धि की गई थी ;

(ख) यदि हां तो कितनी ;

(ग) क्या यह वृद्धि भारतीय तेल निगम (परिष्करण प्रभाग) के कर्मचारियों के वेतन में भी की गई थी ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) :

(क) जी हां ।

(ख) 1.1.1966 से स्टाफ को (रु० 350–590 ग्रेड से नीचे ग्रेडों में) दी गई वृद्धि निम्न प्रकार हैं :—

(।) मूल वेतन में 20 प्रतिशत वृद्धि ।

(।।) पुनरक्षित मूल वेतन के 10 प्रतिशत के बराबर मंहगाई भत्ते में वृद्धि, न्यूनतम वृद्धि 10 रुपये प्रति मास ।

समझौते के आखीरी वर्ष के दौरान अर्थात् 1 जुलाई 1968 से 30 जून 1969 तक, मंहगाई भत्ते में मूल वेतन के 7 प्रतिशत के बराबर वृद्धि कर दी जायेगी ।

(।।।) मकान किराया और प्रतिकर (नगर) भत्तों का भुगतान 1.7.66 की प्रतिशत दरों के अनुसार ही किया गया । भविष्य में सरकार द्वारा मंहगाई, मकान किराया तथा प्रतिकर (नगर) भत्तों में की गई वृद्धि इंडियन आयल कारपोरेशन (मारकीटिंग डिवीजन) के कर्मचारियों को नहीं दी जायेगी ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) रिफाइनरीज डिवीज़न और मारकीटिंग डिवीज़न के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों और नौकरी की शर्तें अलग अलग हैं । डिवीज़नों की प्रशासनिक व्यवस्था अलग अलग हैं ।

नये विश्वविद्यालय

2688. श्री महेश्वर नायक :

क्या **शिक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह पता लगाने के लिए उन के मंत्रालय को पत्र लिखा है कि क्या सरकार ने चालू पंचवर्षीय योजना की अवधि में किसी राज्य में नये विश्वविद्यालय स्थापित करने की अपनी नीति को बदल दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) :

(क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान नये विश्वविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में सरकार के विचार हाल ही में पूछे हैं । यह मामला विचाराधीन है ।

त्रिशूली के लिये अभियान दल

2689. श्री तुला राम : **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या **शिक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता के हिमालय एसोशिएसन के एक अभियान दल ने 9 अक्तूबर, 1966 को त्रिशूली के उच्च शिखर पर विजय प्राप्त की है ;

(ख) यदि हां, तो अभियान दल के सदस्य कौन कौन व्यक्ति थे; और

(ग) अभियान का संक्षिप्त विवरण क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) :

(क) से (ग) : आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

Complaint Against Staff of College of Arts, Delhi

2690. Shri Onkar Lal Berwa : **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the student of the college of Arts, New Delhi, went on strike against the non-acceptance of their demands;

(b) whether Government have recieved complaints against the irregularities committed by certain by members of the College Staff; and

(c) if so, the action taken in the matter.

The Minister of information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur) :

(a) and (b) Yes, Sir.

(c) These were enquired into, and found to be basseless.

Pak Transmitter Near Patna

2691. Shri Onkar Lal Berwa : Shri Hukam Chand Kachhavaiya:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the disclosure made in the Bihar Vidhan Sabha by one of its Members that a Pakistani transmitter is still being utilised secretly for anti-Indian activities and Spying in areas around Patna; and

(b) if so, whether Government propose to get the matter investigated ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) Yes, Sir.

(b) Government of Bihar is making enquiries in the matter. Nothing has so far come to light to confirm the existence of any such transmitter.

Propagation of Christianity in Delhi Municipal Corporation Schools

2692. Shri Bade : Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Education** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that the misssionaries propagate Christian religion in the Schools run by Delhi Municipal Corporation as reported in "Vir Arjun", dated the 6th October, 1966;

(b) if so, the number of teachers against whom action has been taken so far in this connection; and

(c) if the reply to part (b) above be in the negative, the reasons therefor ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur)

(a) to (c) The only instance which has come to the notice of Government so far is the one which took place recently where the Bible Society of India, New Delhi distributed some religious books to four Delhi Municipal Corporation schools. As this was done without prior permission of the Corporation the books have been withdrawn. The Corporation has been asked to investigate in to the matter and take necessary action.

उखरूल में नागाओं द्वारा हमला

2693. श्री दिगे : श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री तुला राम : श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : श्री शिंकरे :
श्री हुकम चन्द कछवाय : श्री महेश्वर नायक :
श्री किदर लाल :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 13 अक्तूबर, 1966 को उखरूल से लगभग सात मील दूर एक स्थान पर सशस्त्र नागा विद्रोहियों द्वारा, जो काफी संख्या में थे और स्वचालित हथियारों से लैस थे, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस पर अचानक हमला किये जाने के परिणामस्वरूप उक्त पुलिस के तीन सशस्त्र कान्सटेबल मारे गये थे और कुछ अन्य व्यक्तियों को गोलियों से काफी चोटें आई थीं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) हुंडुंग संगशो पुल के समीप 14 अक्टूबर, 1966 को नागा विद्रोहियों के एक गिरोह

ने केन्द्रीय सुरक्षा पुलिस की एक सड़क सुरक्षा टुकड़ी पर स्वचालित हथियारों से तीन ओर से गोलियां चलायी थीं। आत्मरक्षा के लिये केन्द्रीय सुरक्षा पुलिस ने भी गोली चलाई। इस मुठभेड़ में केन्द्रीय सुरक्षा पुलिस के 6 जवान मारे गये और चार को गम्भीर चोट लगी। घायलों में से एक का बाद में चिकित्सालय में देहान्त हो गया।

(ख) यह मामला भारतीय दन्ड़ विधि की अनेक धाराओं के आधीन दर्ज कर लिया गया है और विचाराधीन है।

लड़कियों की शिक्षा

2694. डा० महादेव प्रसाद :

क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में लड़कियों की शिक्षा की प्रतिशतता कितनी है ; और

(ख) इसमें प्रगति करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) :

(क) **और (ख)** : विवरण संलग्न है : **(पुस्तकालय में रखा गया : देखिये संख्या एल० टी० 7455/66)**

गोरखपुर में उर्वरक कारखाना

2695. डा० महादेव प्रसाद :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोरखपुर में उर्वरक कारखानों की स्थापना में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) कारखाने में कब तक उत्पादन आरम्भ होने की सम्भावना है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री अलगेसन) :

(क) कारखाना निर्माण की प्रगामी अवस्था में है। विभिन्न मदों से सम्बन्धित कार्य की प्रगति निम्न प्रकार है :—

(i) स्थान तैयार हो गया है,

(ii) कच्चे माल, पानी और बिजली की सप्लाई की स्कीम को अन्तिम रूप दे दिया है। बिजली और पानी के संस्थानों का निर्माण कार्य क्रमशः 81 प्रतिशत और 62 प्रतिशत तक पूरा हो गया है।

(iii) कारखाने का सिविल कार्य सितम्बर, 1965 में शुरू हुआ और 72 प्रतिशत पूरा हो गया हैं।

(iv) लगभग 99 प्रतिशत माल के लिये आर्डर दिये गये हैं 98 प्रतिशत स्थान पर पहुंच गया है।

(v) कारखाने का मकैनिकल निर्माण जनवरी, 1966 में शुरू हुआ और अभी तक लगभग 40 प्रतिशत पूरा किया गया है।

(vi) बिजली और साज़-समान से सम्बन्धित कार्य शुरू हो गये हैं और पूरे जोर पर हैं।

(ख) 1968 के दूसरे भाग तक।

गोरखपुर के उर्वरक कारखाने के कर्मचारी

2696. डा० महादेव प्रसाद :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोरखपुर के उर्वरक कारखाने के कार्य को पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों को काम पर लगाने का विचार है ;

(ख) इस समय कितने व्यक्ति काम पर लगे हुए हैं ; और

(ग) अन्य उर्वरक कारखानों से लोगों की छटनी किये जाने के कारण कितने व्यक्तियों को गोरखपुर के कारखाने में काम पर लगाया गया है अथवा लगाया जा रहा है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री अलगेसन) :

(क) लगभग 1900।

(ख) 31-10-66 तक 1198 नियमित कर्मचारी और 422 दिहाड़ी मजदूर।

(ग) 37, जिनमें 5 दिहाड़ी मजदूर हैं।

अधिक सम्पन्न छात्रों द्वारा अधिक फीस का दिया जाना

2697. डा० महादेव प्रसाद :

क्या **शिक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर, 1953 को हुई केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड की बीसवीं बैठक में तत्कालीन शिक्षा मंत्री और बोर्ड के अध्यक्ष स्वर्गीय मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने सुझाव दिया था कि कम योग्य और अधिक सम्पन्न छात्रों से अधिक फीस ली जाय ; और

(ख) यदि हां, तो इस सुझाव पर किस सीमा तक विचार किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादुर) :

(क) और (ख) नवम्बर 1953 में हुई केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बीसवीं बैठक में अध्यक्ष पद से भाषण करते हुये स्वर्गीय मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने यह कहा था कि योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां की अधिक सुविधा प्रदान करने के लिये एक यह उपाय अपनाया जा सकता है कि कम योग्य और अधिक सम्पन्न छात्रों से अधिक फीस ली जाय।" परन्तु उक्त बोर्ड की बैठक की कार्यवाही वृतांत से यह मालूम होता है कि बोर्ड ने इस सम्बन्ध में सरकार से कोई सिफारिश नहीं की थी।

डाक्टरों तथा इंजिनियरों के लिये सैनिक सेवा

2698. श्री बसुमतारी : श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कि केन्द्रीय तथा राज्य सेवाओं में भर्ती किये गये डाक्टरों तथा इंजिनियरों से अनिवार्य सैनिक सेवा ली जा सकती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सेवा नियमों में आवश्यक परिवर्तन किये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है (पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 7456/66)

हिन्दी की शिक्षा

2699. श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **शिक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के सदस्य, डा० वी० के० आर० वी राव के इस सुझाव पर विचार कर लिया है कि हिन्दी की शिक्षा प्रादेशिक लिपियों के माध्यम से दी जाये तथा हिन्दी की पुस्तकों को अहिन्दी लिपियों में प्रकाशित किया जाये ताकि राष्ट्रीय सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी का शीघ्र विकास हो सके; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) :

(क) जी हां ।

(ख) प्रादेशिक भाषाओं की लिपियों में हिन्दी के शब्दों को देकर द्विभाषीय शब्दकोष तैयार करने के सम्बन्ध में डा० राव का सुझाव मान लिया गया था; और अब द्विभाषी शब्द कोष तैयार करने की एक योजना चौथी आयोजना में शामिल कर ली गई है । हिन्दी पुस्तकों को प्रादेशिक भाषाओं की लिपियों में प्रकाशित करने के सम्बन्ध में डा० राव के दूसरे सुझाव को व्यावहारिक नहीं पाया गया ।

प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन

2700. श्री जसवन्त मेहता : श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ : श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या **गृह-कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकार को दिये गये अपने अन्तरिम प्रतिवेदन में यह सिफारिश की है कि सरकारी कर्मचारियों तथा मंत्रियों के विरूद्ध जनता द्वारा की गई शिकायतों के बारे में कार्य करने के लिये स्वतन्त्र अधिकारी नियुक्त किये जायें ?

(ख) क्या इस सिफारिश पर विचार कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां- तो उसका क्या परिणाम निकला ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) जी हां ।

(ख) और (ग) : ये सिफारिशें सरकार के पास विचाराधीन हैं ।

उर्दू भाषा को विशेष दर्जा देना

2701. श्री इन्द्रजीत गुप्त : **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री सूरेन्द्र पाल सिंह : **श्री मुहम्मद कोया :**
श्री कोल्ला वेंकैया :

क्या **गृह-कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या कुछ विशिष्ट प्रयोजनों के लिए कुछ क्षेत्रों में उर्दू भाषा को एक विशेष दर्जा प्रदान करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 347 के अन्तर्गत राष्ट्रपति की ओर से एक अध्यादेश जारी किये जाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राष्ट्रीय विकास दल, त्रिपुरा

2702. श्री दशरथ देव :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में राष्ट्रीय विकास दल का एक 'खण्ड' स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसमें विस्थापित व्यक्तियों को शामिल किया जायेगा ?

(ख) क्या उस खण्ड के लिये सदस्यों का चुनाव कर लिया गया है ?

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) 'खण्ड' द्वारा क्या-क्या काम किये जाने की आशा है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री य० रा० चह्वाण) :

(क) जी, नहीं ।

(ज) से (च) : प्रश्न ही नही उठते ।

त्रिपुरा में अनुसूचित जातीय तथा अनुसूचित आदिम जातीय कर्मचारी

2703. श्री दशरथ देव :

क्या **ग्रह-कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) त्रिपुरा में तीसरी तथा चौथी श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों में अनुसूचित जातीय तथा अनुसूचित आदिम जातीय कर्मचारियों की संख्या क्या है ?

(ख) इन श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित अनुपात की तुलना में क्या उनकी संख्या सन्तोषजनक है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ग्रह-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री पू० शे० नास्कर) :

(क) से (ग) : त्रिपुरा में तीसरी तथा चौथी श्रेणी के सरकारी कर्मचारियो में अनु-

सूचित जातीय तथा अनुसूचित आदिम जातीय कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :—

जाति	श्रेणी III	श्रेणी IV	योग
अनुसूचित जातीय	815	920	1,735
अनुसूचित आदिम जातीय	982	922	1,904
योग	1,797	1,842	3,639

अनुसूचित जातियों के लिये 7·5 प्रतिशत और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये 30 प्रतिशत स्थान सुरक्षित किये गये हैं। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों का श्रेणी का III और IV में, वास्तविक-अनुपात निर्धारित प्रतिशत से कम पड़ता है। इस कमी का कारण उम्र तथा योग्यता के निर्धारित स्तरों में छुट देने पर भी योग्य उम्मीदवारों का न मिलना है।

Survey of Indian Political Practices

2704. Shri Kishen Pattnayak Shri Madhu Limaye

Will the Minister of **Education** be pleased to state;

(a) whether Government are aware that some American Universities and Institutions are getting a detailed survey of various aspects of Indian Political Practices conducted through certain Research Institutions in India;

(b) whether permission was sought from Government at any level before getting this survey work taken up; and

(c) if so, the number of such Surveys/Researches, permission in respect of which was accorded during the last three years and the names of the American Universities/Institutions that are getting these surveys conducted ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur): (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

Aligarh Muslim University Bill

2705. Shri Yashpal Singh ;

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to amend the Aligarh Muslim University Bill; and

(b) if so, the time by which the Bill is likely to be introduced in Parliament ?

The Minister of Information and Broadcasting : (Shri Raj Bahadur) :

(a) and (b) -- Long-term legislative proposals for amending the Aligarh Muslim University Act and Statutes are expected to be brought up early.

All—India Muslim Majlis—e—Mushavarat Meet in July, 1966

2706. Shri Sarjoo Pandey : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state;

(a) whether it is fact that the Working Committe of the All—India Muslim Majlis--e--Mushavarat met in Delhi on the 21st, 22nd and 23rd July, 1966; and

(b) if so, the main decisions taken at the said meetings ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Yes, Sir.

(b) The Working Committee laid down a 9-point Manifesto. The Manifesto inter alia called for (1) improvement in the system of education, (2) re-orientation of the system of elections on the basis of proportional representation, (3) a comprehensive programme of welfare, (4) protection of the personal Law of Muslims, (5) the status of second official languaage to Urdu in Uttar Pradesh, Delhi, Bihar, Rajasthan, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, and Mysore, (6) establishment of Minorities Board, (7) protection of educational institutions started by Indian for their respective-communities, (8) management of aukafs by elected people of the respective factions and communities, (9) social reforms.

उत्तर प्रदेश के इंजीनियरिंग तथा तकनीकी कालेज

2707. श्री कृ० चं० पन्त :

(क) चौथी पचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने इंजीनियरिंग तथा तकनीकी कालेज खोले जायेंगे ?

(ख) प्रत्येक कालेज के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है और प्रत्येक कालेज में कितने छात्रों को दाखिला मिल सकेगा ?

(ग) क्या औद्योगिक दृष्टि से उन्नत देश के अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को देखते हुए उपरोक्त संख्या अपर्याप्त नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश को देश में औद्योगिक दृष्टि से विकसित अन्य राज्यों के बराबर लाने लिये सरकार ने क्या कार्षवाही की है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री राजबहादुर) :

(क) से (घ) : पांचवीं और बाद की आयोजनाओं के लिए जरूरी तकनीकी व्यक्तियों की जरूरतों का फिर से निर्धारण करने के लिए और संशोधित जरूरतों को पर्याप्त रूप से पूरा करने के लिए चौथी आयोजना में जरूरी तकनीकी शिक्षा की सुविधाओं के विस्तार की सीमा और रीति के बारे में सिफारिश करने के लिए डा० वी० के० आर० वी० राव, सदस्य (शिक्षा) योजना आयोग की अध्यक्षता में एक उच्च शक्ति वाली समिति बनाई गई है। चौथी आयोजना में जो विस्तार कार्यक्रम हाथ में लिया जायेगा उसके बारे में फैसला इस समिति के निष्कर्ष मिलने के बाद ही किया जा सकेगा।

तेल की खोज

2708. श्री हेम राज :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष किन-किन नये स्थानों पर तेल के भण्डार मिले हैं; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में किन-किन स्थानों में तेल- भण्डारों की खोज करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेशन) :

(क) 1966 में गुजरात राज्य में केवल एक संरचना में तेल पाया गया है।

(ख) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग कैम्बे खाड़ी और पूर्व तट को शामिल करते हुए भारत के विभिन्न प्रवसादीय थालों में भूगर्भीय एवं भूभोतिकी सर्वेक्षणों को जारी रखेगा। उक्त आयोग गुजरात, आसाम, मद्रास, पश्चिमी बंगाल और राजस्थान में अन्वेषी व्यधन कार्य भी जारी रखेगा। आयल इण्डिया लि० आसाम में अपने कार्य जारी रखेगा।

चतुरंगी अभियान

2709. श्री किन्दर लाल : श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 23 अक्तूबर, 1966 को चतुरंगी अभियान दल के कुछ लोग उत्तरकाशी जिले में भागीरथी 'दो' पर अन्तिम आरोहण करते समय चट्टान से फिसल गये थे; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) :

(क) भगीरथी-द्वितीय पर सफलतापूर्वक अन्तिम चढ़ाई करने के बाद 22 अक्तूबर, 1966 को चतुरंगी अभियान के चार सदस्य ढलवां चट्टान से नीचे लुढ़क गये। उनमें से तीन की मृत्यु हो गई ।

(ख) सरकार को इस दुर्घटना पर बहुत खेद है । मरे हुए तीनों व्यक्तियों के निकटतम सम्बन्धियों के लिए प्रधान मंत्री ने एक-एक हजार रुपयों का अनुदान स्वीकृत किया है ।

खनिकों के होस्टल

2711. श्री वारियर :

क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय होस्टल समिति ने बेबीसोल, खरखरश्री, सगले मंडेरबोनी कोयला खानों द्वारा खनिकों के होस्टल खोलने के लिए दिये गये आवेदन-पत्रों को स्वीकृति दे दी है और उन्हें होस्टल खोलने का अधिकार दे दिया है ?

(ख) यदि नहीं, तो उनमें से प्रत्येक के सम्बन्ध में स्वीकृति दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीये खनिक होस्टल समिति की असहमति के बावजूद भी इन कोयला खानों में केन्द्रीय भर्ती संस्था अथवा अन्य अनधिकृत कैम्प चलाये जा रहे हैं ;

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाहनवाज खां) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) बेवीसोल कोयला खान द्वारा खनिक होस्टल खोलने के लिए दिया गया आवेदन-पत्र अस्वीकार कर दिया गया है क्योंकि केन्द्रीय होस्टल समिति का यह विचार है कि उत्तम खान 100 अतिरिक्त श्रमिक लगाकर अपना काम चला सकती है और प्रबन्धक ऐसे श्रमिकों को उसी स्थान से भर्ती कर सकेंगे ।

खरखरश्री का निवेदन-पत्र को, जिसमें खान पर खोले गये होस्टल को मान्यता देने के लिए प्रार्थना की गयी थी, अस्वीकार कर दिया गया गया है क्योंकि उत्तम होस्टल को खोलने से पहले केन्द्रीय खनिक होस्टल समिति की स्वीकृति नहीं ली गयी थी। इस होस्टल की दशा के बारे में एक जांच की गयी थी और इस जांच रिपोर्ट में बताई गई कमियों को दूर करने के बाद

प्रबन्धकों ने फिर एउक्त होस्टल के लिये मान्यता का प्रश्न उठाया । इसी आधार पर केन्द्रीय होस्टल समिति पुन: इसे मान्यता दिये जाने के प्रश्न पर पुन: विचार कर रही है ।

समले मंडेरबोनी कोयला खान द्वारा होस्टल की मान्यता के लिये दिया गया आवेदन-पत्र भी अस्वीकार कर दिया गया है क्योंकि केन्द्रीय होस्टल समिति के श्रमिक और प्रबन्ध के प्रतिनिधियों में होस्टल को मान्यता दिये जाने के प्रश्न पर सहमत न हो सके ।

(ग) बेबीसोल कोयला खान पर एक गैर सरकारी कैम्प लगा हुआ है, जिसे कोयलाफिल्ड रेकरूटिंग आर्गेनाइजेशन का एक भूतपूर्व कर्मचारी चला रहा है और जिसका उक्त संस्था से कोई भी सम्बन्ध नहीं है ।

खरखड़ी और समले मंडेरबोनी कोयला खानों पर खोले गये अनधिकृत होस्टल अब भी काम कर रहे हैं ।

Use of Vehicles by Ministers Attending Official Conferences/Meetings

2712. Shri Shinkre : Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of official conferences and meetings which were attended by the Central Ministers with their places from January, to July, 1966;

(b) the number of meetings attended by them from th (1st August to 31st October, 1966; and

(c) the number of Government vehicles used and the expenditure involved on petrol etc ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) to (c); The information is being collected and will be laid on the table of the House in due course.

Hindi Assistants

2713. Shri Shinkre : Shri Onkar Lal Berwa
Shri Hnkam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that all those Hindi Assistants who passed the examination conducted by the Union Public Service Commission in 1959 have been confirmed;

(b) if not, the number of Hindi Assistants amongst them who have not been confirmed so far;

(c) whether there is any Ministry or Department where more than one Hindi Assistants are working but not a single one has been confirmed during the long interval of seven years;

(d) if so, the names of those Departments;

(e) the reasons therefor; and

(f) the time when they are likely to be confirmed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):

(a) to (f) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

काठमांडू-रक्सौल टेलीफोन और तार की व्यवस्था

2714. श्री बृजवासी लाल : **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने नैपाल सरकार के साथ एक करार किया है, जिसके अन्तर्गत सरकार भारत-नैपाल सीमा के साथ साथ काठमाण्डू और रक्सौल के बीच सम्पर्क स्थापित करने के लिए एक भूमिगत ट्रंक टेलीफोन और टेलीग्राफ लाइन बिछायेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस करार की मुख्य बातें क्या है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) :

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Representation for Haryana in Punjab University Chandigarh

2715. Shri Jagdev Singh Siddhanti :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up an ad-hoc Committee in place of the existing set-up till the formation of the new one, to watch the interests of the residents of Haryana State in the Punjab University, Chandigarh ;

(b) if so, the number of representatives of Haryana proposed to be included in the ad-hoc Committee; and

(c) if not, the manner in which the interests of Haryana would be safe-guarded?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan): (a) to (c): There is no proposal to set up any such ad-hoc Committee. However, necessary modifications, by issuing direction under section 72 of the Punjab Reorganisation Act, 1966, have been made in the Punjab University Act, 1947, with effect from 1st November, 1966, to provide representation for the new State of Haryana on the Senate and the Syndicate of the Punjab University.

उर्वरकों कीटनाशक पदार्थों का वार्षिक उत्पादन

2716. श्री रामचन्द्र मलिक : **श्री सुधांशु दास :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उर्वरकों का वार्षिक उत्पादन कितना होता है; और

(ख) देश में कीटनाशी पदार्थों का वार्षिक उत्पादन कितना होता है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) :

(क)

मीटरी टन

	नाइट्रोजनी उर्वरक (नाइट्रोजन के रूप में)	फासफेटिक उर्वरक (P_2O_5 के रूप में)
1961–62	144,931	66,030
1962–63	177,598	80,597

1963–64	222,051		107,482
1964–65	240,008		130,878
1965–66	233,317		111,205

(ख)

	1961	1962	1963	1964	1965
	...—	.....	.....	.....	.....
(i) बी० एच० सी० (B. H. C.)	4631	4766	5739	6156	7441
(ii) डी० डी० टी० (D· D. T.)	2824	2568	2569	2660	2745
(iii) सी० ओ० सी० (C. O. C.)	832	818	1083	1520	1311
(iv) ई० डी० सी० (E. D. C.)	—	2	3	46	18
(v) ई० डी० बी० (E. D. B.)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi) कोलायडील गन्धक (Coloidal sulphur)	शून्य	शून्य	शून्य	11	52
(vii) मालाथीयॅन (Malathion)	शून्य	शून्य	84	97	242
(viii) आरगियो मरक्यूरियल (Orgeo mercurial)	21	12	46	47	44
(ix) जिस्त फासफेट (Zinc phosphate)	140	39	49	234	269
(x) थायोकारमेट (Thiocarbonate)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	56
(xi) २.४ डी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	60

Mercy Petitions Received by President

2717. **Shri P. L. Barupal :**
Shri Madhu Limaye;
Shri R. G. Dubey :
Shri Sidheswar Prasad :
Shri Chandak :
Shri Tulsidas Jadhav :

Will the minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of mercy petitions received by the President from the 1st January 1966 to 31st October, 1966; and

(b) the number of petitions on which decisions have been taken and the number of petitions under consideration ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b) : During the period from 1st January, 1966 to 31st October 1966, 142 mercy petitions were received by the President, out of which decisions have been taken on 135 petitions and 7 petitions are under consideration.

Hindi Edition of Telephone Directories

2718. Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Comunications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government are considering for the last one year to bring out Hindi editions of the Telephone Directories in Hindi-speaking State Capitals;

(b) whether it is also a fact that Government have not been able to bring out these Hindi editions so far ? and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Jaganath Rao) :

(a) Instructions had been issued for printing some percentage of the telephone directories of Rajasthan, U. P., Madhya Pradesh, Bihar and Delhi in Hindi.

(b) and (c) Considerable work is involved in preparing the initial translation and also in printing of such large volumes. Efforts are being made to bring out the Directories as early as possible.

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद के सचिव की विदेशी यात्रा

2719. श्री बृज राज सिंह : श्री बड़े :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद के सचिव ने मई, 1959 में यूरोप का दौरा किया था,

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने परिषद से मई, 1959 के यूरोप के अपने दौरे के लिये यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते के रूप में 1961 में 2000 रुपये लिये थे,

(ग) क्या यह सच है कि ब्रिटिश परिषद ने उस यात्रा के लिये उन्हें सहायता दी थी, और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर "हां" में हो, तो क्या उन्होंने परिषद से यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता मांगते समय यह तथ्य बताया था ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) :

(क) जी हां।

(ख) यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते के रूप में उन्होंने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद से 1,398.19 रुपये लिये थे। इस रकम में उन देशों के लिए एक चौथाई दैनिक भत्ता भी शामिल है, स्थानीय आतिथ्य की व्यवस्था की गई थी और उन देशों का पूरा दैनिक भत्ता भी शामिल है, जहां का स्थानीय खर्च परिषद द्वारा उठाया गया था जैसा कि नियमों के अधीन अनुमत्य है।

(ग) जी हां।

(घ) जी हां।

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद का परीक्षण लेखा-परीक्षाप्रतिवेदन

2720 श्री बृजराज सिंह : श्री बड़े :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद के वर्ष 1962–63, 1963–64 तथा 1964–65 के दो-दो महीनों के परीक्षण लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त हो चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को उनमें वित्तीय तथा प्रशासनिक मामलों में बड़ी भारी अनियमितताओं का पता चला है;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो उन अनियमितताओं के लिये कौन व्यक्ति जिम्मेवार है तथा उनके विरूद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है

(घ) क्या ये परीक्षण लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जायेंगे, और

(ङ) क्या सरकार का विचार वर्ष 1962-63, 1963–54 तथा 1964–65 के शेष दस-दस महीनों के लेखे जोखे की लेखा-परीक्षा कराने का है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर)

(क) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के 1962-63, 1963-64 और 1964-65 की लेखाओं की परीक्षण आडिट पर आधारित निरीक्षण रिर्पोट प्राप्त हो गई है।

(ख) और (ग) अनियमितताएं थीं किन्तु वे गम्भीर किस्म की नहीं थीं। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद से भविष्य में और अधिक सावधान रहने के लिए अनुरोध किया गया है।

(घ) सभा-पटल पर ऐसी रिपोर्ट रखने की परम्परा नहीं है।

(ङ) जी नहीं।

मैसूर राज्य को शिक्षाके लिये धनराशि का नियतन

2721 श्री हु० चा०लिंग रेड्डी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में "शिक्षा" शीर्षक के लिये मैसूर सरकार को कितनी धनराशि दी गई;

(ख) वास्तव में कितनी राशि खर्च की गई तथा पूरी खर्च न होने के क्या कारण हैं;

(ग) उस राज्य में तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिये कितनी राशि उपलब्ध की गई; और

(घ) अब चौथी योजना की अवधि में कितनी राशि नियत करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रम) :

(क) राज्य की तीसरी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिये कुल 20.5572 करोड़ रुपये का परिव्यय नियत किया गया था;

(ख) राज्य सरकार ने बताया है कि 16.4026 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं। राज्य सरकार ने इस कमी का कारण 1962 की आपातकालीन घोषणा की वजह से बजट में कटौती को बताया है;

(ग) 6.644 करोड़ रुपये।

(घ) राज्य सरकार से चौथी योजना के सम्बन्ध में अभी बातचीत चल रही है।

Departmental Committees to Curb Corruption

2722. Shri Bade : Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Government have decided to set up Departmental Committees in order to curb corruption ;

(b) if so, whether the State Governments have also agreed to do so;

(c) if not when the same will be done; and

(d) the composition of such Committees?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) to (d) ; The Santhanam Committee had recommended that a thorough study should be made in respect of each Ministry/Department/Undertaking of the extent, the possible scope and modes of corruption, preventive and remedial measures prescribed if any, and their effectiveness. Government accepted this recommendation in principle and requested the Ministries/Departments to take appropriate action for implementing the decision, In accordance with this desisions several Study Teams/Departmental Committees have been set up by the Ministries/ Departments, The Composition of the Study Teams/Departmental Committees depends on the requirements of each case.

(b) The report of the Santhanam Committee was sent to the State Governments for appropriate action. Information regarding the action taken by them has not been collected.

Closure of Mines in Orissa

2723. Shri Shinkre : Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Labour, Employment and Rehabilitation** be pelased to state :

(a) whether it is a fact that M/s. M. A. Talouch and Company Ltd., owners of five mines in Orissa,have closed the five mines without giving alternative employment to the workers;

(b) whether it is also a fact that as a result of this 1,500 persons have been rendered unemployment; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) Yes. Mines have been closed since 27. 7. 1960 under the direction of the Receiver appointed by the Calcutta High Court.

(b) Approximately 1,300 persons were employed in the 5 mines, Majority of the employess who were weekly paid workers are reported to have been employed in the adjacent mines.

(c) On receipt of information of the closure of the mines, the officers of the Central Industrial Relations Machinery visited the mines and found that the relevant records were seized and all the offices were sealed under the direction of the Receiver. For want of records he could not assess even the dues of the workers. The workers and their organisations who were contacted also could not furnish any information on this subject. Regional Labour Commissioner Calcutta is pursuing the matter.

नेफा में भूतपूर्व सैनिकों को बसाना

2725. श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या गृह-कार्य मंत्री 23 मार्च, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 718 के उत्तर के सम्बन्ध

में यह बताने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा और नेफा में भूतपूर्व सैनिकों को बसाने के लिये तैयार की गई योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : अपेक्षित जानकारी इस प्रकार हैं :—

त्रिपुरा

त्रिपुरा योजना के अधीन भूतपूर्व सैनिको के 500 परिवारों को दो ब्लाकों में बसाया जायेगा जिनमें से प्रत्येक में 250 परिवार बसाये जायेंगे। दोनों ब्लाकों के लिये स्थान चुन लिया गया है। उनमें से एक ब्लाक में प्लाट बना दिये गये हैं और जिनमें से 50 प्लाट त्रिपुरा के भूतपूर्व सैनिकों को दिये जा चुके हैं। केरल के भूतपूर्व सैनिकों से 50 परिवारों को अभी चुना जा रहा है और वहां पर निर्माण कार्य के लिये आवश्यक स्वीकृतियां दे दी गयी हैं।

2. दूसरे ब्लाक पर कार्य इस ब्लाक के अनुभव के आधार पर शुरू किया जायेगा :

नेफा

नेफा योजना के अधीन असम राइफल के भूतपूर्व सैनिकों और कर्मचारियों के 100 परिवारों को बसाने की व्यवस्था की गयी है। इसके लिये उपयुक्त स्वयं सेवकों को चुन लिया गया हैं। यह आशा की जाती है कि भूतपूर्व सैनिकों के अलावा असम राईफल के 23 भूतपूर्व कर्मचारियों को भी चालू वर्ष में नेफा में बसाया जायेगा। नेफा प्रशासन की इस योजना की क्रियान्विति में सहायता करने के लिये एक सम्पर्क अधिकारी की नियुक्ति शीघ्र ही की जायेगी जिसका मुख्य कार्यालय शिलांग में होगा।

आन्ध्र प्रदेश में इस्पात कारखाने की स्थापना संबंधी आन्दोलन के कारण डाक तथा तार विभाग की हुई हानि

2726. श्री मुहम्मद कोया :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे की आंध्र प्रदेश में इस्पात कारखाना स्थापित करने के लिये हुए आन्दोलन के दौरान उपद्रवों के कारण डाक तथा तार विभाग को अनुमानतः कितनी हानि हुई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) :

विभाग को हुई हानि की रकम अनुमानतः लगभग 1,80,000 रुपये है जिसमें ट्रंक टेलीफोन आय तथा संदेश आय में हुई 35,000 रु० की संभावित हानि की रकम भी शमिल है।

7 नवम्बर, 1966 को दिल्ली में प्रदर्शन

2727. श्री हुक्म चन्द कछवाय :
श्री शिकरे :
श्री फिरोडिया :
श्री दीं० चं० शर्मा :
श्री गुलशन :

क्या **गृह कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोहत्या पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये संसद् भवन के सामने हुये प्रदर्शन के दौरान जान तथा माल (सरकारी और गैर-सरकारी) की कितनी क्षति हुई;

(ख) लूटमार करने तथा आग लगाने की कार्यवाही करने और भीड़ को हिंसात्मक कार्यवाही करने के लिये उकसाने के अपराध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ; और

(ग) इस मामले में और क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) अब तक ज्ञात हुई जान तथा माल (सरकारी तथा गैर-सरकारी) की क्षति की सूचना देने वाला एक विवरण नीचे रख दिया गया है ;

विवरण

1. एक सिपाही सहित 8 व्यक्ति मारे गये ।

2. दिल्ली परिवहन उपक्रम की 3 बसें, 4 डाक गाड़ियां, एक ट्रक, 131 कारें (जिनमें सरकारी कारें भी शामिल हैं), 2 मोटर साईकिलें (जिनमें एक सरकारी मोटर साईकिल भी सम्मलित है), 35 स्कूटर, 3 साईकिल, 4 पुलिस गाड़ियां (1 पिक-अप, 2 जीप और एक मोटर साईकिल) जलाकर पूर्णत : या अंशत: नष्ट कर दी गई हैं ।

3. कनाट प्लेस और आसफ अली रोड के कुछ दुकान, सिनेमा घर और रेस्टोरेंट, पार्लियामेंट स्ट्रीट की कुछ सरकारी और गैर सरकारी इमारतों और गोल डाकखाने को पथराव से या उनमें आग लगाने की कोशिश करके नष्ट किया गया है सम्भरण तथा तकनीकी विकास मंत्री श्री कोत्ता रघुरामैया और कांग्रेस प्रधान श्री कामराज के निवास स्थानों को पथराव करके हानि पहुँचायी गयी । गुन्डों ने उनके निवास स्थानों पर भी आग लगायी और दोनों मकानों के कुछ भाग फर्नीचर तथा अन्य सामग्री सहित जल गये हैं । विठ्ठल भाई पटेल हाऊस के भी कुछ दरवाजे खिड़कियों के शीशे तोड़े गये हैं । (कुल मिलाकर सरकारी भवनों के 79,000 रुपये की हानि हुयी है ।

4. अनियन्मित भीड़ ने इरविन रोड़ के 2 पेट्रोल पम्पों पर भी धावा बोला और वहां से कुछ नकदी और पेट्रोल के डिब्बे उड़ा दिये गये । पेट्रोल पम्पों के मालिकों ने अपनी आर्थिक हानि का विवरण अभी नहीं दिया है ।

5. कुछ गलियों और चौराहों की बत्तियों और मार्ग चिन्हों को भी नष्ट किया गया है ।

(ख) अब तक 80 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ।

(ग) अनुसन्धान कार्य चालू है ।

दिल्ली में छः व्यक्तियों को जीवित जला दिया जाना

2728. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शाहदरा दिल्ली के भोलानाथ नगर में एक कमरे में कुछ व्यक्तियों ने भारी मात्रा में थिनर फ्यूल (तरलक ईधन) छिड़क कर छः व्यक्तियों को जीवित जला दिया था ;

(ख) क्या 1 सितम्बर , 1966 को डी० आई० जी० को एक लिखित शिकायत दी गई थी;

(ग) क्या वह शिकायत दर्ज कर ली गई थी और यदि हां, तो क्या इसे भारतीय दंड

संहिताओं की धारा 120 ख और 436 के साथ पठित धाराओं 302/307 के अन्तर्गत दर्ज किया गया था अथवा किसी अन्य धारा के अन्तर्गत ; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) शाहदरा के भोला नाथ नगर के एक मकान के एक भाग में स्थित पेन्सिल कोंसी एक फैक्ट्री में आग लग जाने के कारण छः व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। मालिक ने फैक्ट्री में रोगन लकड़ी थिनर फ्यूल और दूसरी आग लगने वाली चीजों का संग्रह किया हुआ था।

(ख) जी हां।

(ग) शाहदरा पुलिस स्टेशन पर 5. 9. 66 को इस घटना की सूचना मिलने पर तुरन्त ही भारतीय दंड संहिता की धारा 304-क के अधीन मामला दर्ज कर लिया गया।

(घ) मामले की जांच की जा रही है।

पश्चिमी बंगाल में विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों के वेतन-क्रम

2729. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में विश्व विद्यालय के प्राध्यापकों को कब नये वेतन-क्रम दिये जायेंगे।

(ख) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है कि केन्द्रीय सरकार धन देने के अपने वचन को पूरा करती है तो वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के अपने वित्तीय उत्तरदायित्व को पूरा करेगी ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने अपना दायित्व पूरा कर दिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) :

(क), (ख) और (ग) केण्द्रीय सरकार ने पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा भेजे गये उन प्रस्तावों पर अपना निर्णय उस सरकार को भेज दिया है जिसमें पश्चिमी बंगाल सरकार ने यह सिफारिश की थी कि 1 अप्रेल 1966 से कालिजों और विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों को नये वेतन क्रमों के आधार पर वेतन दिया जाय। केन्द्रीय सरकार चौथी पंचवर्षीय योजना-काल में इस योजना पर खर्च होने वाली राशि का 80 प्रतिशत वहन करेगी।

केरल विश्वविद्यालय में वित्तीय संकट

2730. श्री वासुदेवन नायर : श्री वारियर :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल विश्वविद्यालय को घोर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संकट को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) :

(क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

केरल विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अनुदान

2731. श्री वासुदेवन नायर : श्री वारियर :

क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 1965–66 में केरल विश्वविद्यालय को दिये गये अनुदान की काफी बड़ी राशि व्यापत हो गई ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि व्यापत हुई है और इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) :

(क) और (ख) केरल विश्वविद्यालय को 1965-66 के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत की गयी 19·02 लाख रुपये की कुल राशि में से उस वर्ष विश्वविद्यालय को केवल 15·37 लाख रुपये की राशि दी गयी थी । वह अनुदान, जो गत वित्तीय वर्ष के अन्त तक नहीं दिया सका था, स्वीकृत-पत्र के जारी होने की तारीख से एक वर्ष बाद तक व्यपगत नहीं होगा ।

लोक शिकायत-आयुक्त

2732. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोक शिकायत-आयुक्त ने आयोग के कार्य-संचालन के सम्बन्ध में एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है और समूची व्यवस्था की अपर्याप्त एवं निष्प्रभ बताया है तथा अपने लिये अधिक शक्तियां मांगी हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रया है ;

(ग) क्या वर्तमान व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करने का कोई विचार है ताकि वह अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सके ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल):

(क) जी हां । इस बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 462 के भाग (ख) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाना है जिसका उत्तर 23 नवम्बर, 1966 को दिया गया था ।

(ख) आयुक्त की सिफारिशें सरकार के पास विचाराधीन हैं ।

(ग) और (घ) : उपरोक्त भाग (ख) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते ।

New Technique to Preserve Eggs

2733. Shri Brij Basi Lal ; Shri Braj Bihari Mehrotra :
Shri Vishwa Nath Pandey : Shri Balgovind Verma :
Shri Ram Swarup :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Food Technological Research Institute,

Mysore has developed a new technique of preserving eggs; and

(b) if so, the reaction of Government in this regard ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur): (a) Yes, Sir.

(b) Steps are being taken by the Instite to demonstrate and popularise the process nnd also to hand it over to parties interested in its commercial exploitation.

भारयीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग का शताब्दी समारोह

2734. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने 1961 में अपना शताब्दी समारोह मनाया था,

(ख) यदि हां, तो उसके लिये कितनी राशि मंजूर की गई थी और वास्तव में कितनी राशि खर्च हुई थी ;

(ग) क्या उस राशि का कोई दुरूपयोग के बाद गोलमाल किया गया था और यदि हां, तो इसके लिये कौन व्यक्ति जिम्मेदार था और विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई थी ;

(घ) क्या विशेष पुलिस संस्थान ने इस मामले की जांच की थी और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ; और

(ङ) यदि उपरोक्त (ग) तथा (घ) के उत्तर नहीं में हों तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) :

(क) जी हां ।

(ख) समारोह के लिये 2·65 लाख रुपये की रकम मंजूर की गई थी। भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण ने कुल 6.21 लाख रुपये का अग्रिम धन लिया था, जिसमें शतवार्षिक समारोह के खर्च के अलावा गैर-शतवार्षिकी प्रयोजनों का खर्च भीं शामिल था ।

(ग), (घ) और (ङ) : मार्च, 1963 से इस मामले की विशेष पुलिस प्रतिष्ठान जांच कर रहा है ; और उसकी अन्तिम रिपोर्ट के प्राप्त होने पर आगे कार्यवाई की जायेगी ।

Hindustan Cultural Society, Allahabad

2735. Shri Sidheshwar Prasad :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that financial assistance was provised to the Hindustan Culture Society, Allahabad for the publication of a Dictionary in September, 1953;

(b) if so, the amount provided and the conditions therefor;

(c) the names of the offlce-bearers and members of the society at that time;

(d) whether the society has published the Dictionary; and

(e) if not, the reasons for the delay and the further action Government propose to take in this connection ?

The Deputy Minister in the Mnisitry of Education (Shri Bhakt Darshan): (a) Yes Sir.

(b) Originally, a grant of Rs. 60,000/-payablein equal four instalments was sanctioned payable in September, 1953 for the compilation of the Dictionary. In March, 1956 an additional grant of Rs. 40,000/— was sanctioned for the same purpose. No grant has been given for the publication of the manuscript. The following conditions were laid down :

(i) That the work will have to be completed in a period of 24 months ;

(ii) The Society will submit to the Government a detailed Report on the progress of the work done; and

(iii) The Society will submit the audited accounts of the grant as and when sanctioned

(c) According to the information available with the Ministry, the following were the offiac bearers of the Society :—

(i) Shri Abdul Majid Khawaja (President)
(ii) Dr. Bbagwan Dass (Vice President)
(iii) Dr. Abdul Haque (President of the Governing body)
(iv) Pandit Sunder Lal (Secretary)
(v) Dr. Tara Chand (Treasurer).

(d) As far as this Minislry is aware, the Dictionary has not yet been published by the Society,

(e) The publication of the Dictionary is the responsibility of the Hindustani Cultural Society. It is understood that they are trying to raise necessary funds for meeting the cost of production. The Government have decided not to give any further grants for the publication of the Dictionary.

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान द्वारा वाणिज्यिक उपयोग किया जाना

2736. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाणिज्यिक उपयोग के लिये तैयार की गई वैज्ञानिक तथा औद्योगिक प्रक्रिया की लागत निकालने का तरीका वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं में आरम्भ नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के पेटेंट अधिकारों का पंजीयन किस आधार पर किया जाता है ; और

(घ) भारत/विदेशों में पेटेंट की गई प्रतिक्रियाओं का वाणिज्यिक उपयोग करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) :

(क) और (ख) : वैज्ञानिक और औद्योगिक प्रक्रियाओं की लागत का निर्णय करना राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा आम तौर पर तभी हाथ में लिया जाता है जब प्रक्रिया राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के जरिये वाणिज्यिक विदोहन के लिये तैयार हो जाती है ।

(ग) राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला समेत सभी रष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के सभी पेटेंटों को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के नाम से पंजीबद्ध किया जाता है ।

(घ) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास तिगम द्वारा प्रक्रियाओं का वाणिज्यिक विदोहन आश्वस्त करने के लिए जो कदम उठाये गये हैं वे नीचे बताए जा रहे हैं :—

भारत में निम्नलिखित से बात की जाती है :

(क) संभावी उद्यम चालू करने वाले व्यक्ति;

(ख) सभी राज्यों के उद्योगों के निदेशक;

(ग) लघु उद्योग सेवा संस्थान;

(घ) तकनी की और वैज्ञानिक पत्रिकाएं;

(ङ) भारतीय वाणिज्य और उद्योग चेम्बरों का संघ;

(च) प्रेस सूचना ब्यूरो।

विदेश में :

जिन मामलों में तत्सम्बन्धी पेटेन्ट विदेशों में भी प्राप्त कर लिए जाते हैं, उनमें राष्ट्रीय अनुसंधान विकास की निगम हमेशा उन देशों की अपने जैसे संस्थान से बात करता है, जिससे इन पेटेंटों की वाणिज्यिक संभावनाएं खोजने में मदद मिल सके।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

2737. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को संसद् में प्रस्तुत करने का प्रश्न 1952-53 से विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) :

(क) और (ख) लोक लेखा समिति ने अपने सातवें प्रतिवेदन (1952-53) में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सिफारिश की थी कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को संसद् में प्रस्तुत किया जाये। परन्तु सरकार ने इस सिफारिश को नहीं माना और समिति को इस सम्बन्ध में सरकार के विचारों से अवगत करा दिया गया है। समिति ने अपने वर्तमान प्रतिवेदन में भी इस बात को दोहराया है और इस मामले पर पुनः विचार किया जा रहा है।

Misappropriation of Funds in Banaras Hindu University

2738. Shri Sidheshwar Prasad :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Funds to the tune of lakhs of rupees were misappropriated in Banaras Hindu University during the period from November 1963 to July, 1964;

(b) if so, the result of investigation made, if any, in this regard; and

(c) The action taken against the persons found guilty;

The Ministry of Information and Broadcasting (Shri Raj Bhahadur): (a) No Sir, However the special audit report of the imprest account of the University revealed a misaopropriation of Rs. 60,000/- during the period November, 1963 to July, 1964.

(b) and (c) As a result of investigations completed so far the Police have prosecuted the Cashiers concerned, who are under suspension. Further investigations are in progress.

आपातकालीन कमीशन-प्राप्त अधिकारियों को अन्य पदों पर लगाना

2739. श्री लखमू भवानी :

क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों को एक सामान्य परिपत्र जारी किया है जिसमें कहा गया है कि सेना के आपातकालीन अधिकारियों को रोजगार दिया जाये जिनकी अगले वर्ष किसी समय सेवाओं से निवृत्त होने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों तथा सम्बद्ध विभागों से इस बारे में क्या उत्तर प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) उन अधिकारियों को क्या क्या पद दिये जायेंगे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पू० शें० नास्कर) :

(क) से (ग) सदन के सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

(पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 7457/66)

दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट द्वारा ट्रंक कालों के गलत बिल तैयार किया जाना

2740. श्री मधु लिमये ;

श्री मं० रं० कृष्ण :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट द्वारा ट्रंक कालों के गलत बिल बनाये जाने के बारे में 28 अक्तूबर, 1966 के 'ईस्टर्न इकनामिस्ट' में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या अन्य स्रोतों से भी हाल में इस प्रकार की शिकायतें आई हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या इन अनियमितताओं तथा सदाचारों के बारे में कोई जांच की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस जांच का क्या परिणाम रहा है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) :

(क) जी हां। क्लर्क द्वारा की गई ग़लती का यह एक मामला था।

(ख) इस तरह की कुछ और शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं।

(ग) तथा (घ)—जब इस प्रकार की गलतियों का पता चलता है तो उपयुक्त कार्रवाई की जाती है और उन्हें दूर किया जाता है। जहां न्यायोचित हो कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाती है।

मध्य प्रदेश डाक सर्किल

2741. श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि मध्य प्रदेश डाक सर्किल का मुख्यालय भोपाल में है, किन्तु फिर भी इसमें कोई स्टाक डिपो नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ;

(ग) क्या इस कमी को पूरा किया जाने की सम्भावना है ; और

(घ) मध्य प्रदेश का डाक सर्किल और किन किन बातों के लिये अब भी नागपुर पर निर्भर है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री, (श्री जगन्नाथ राव) :

(क) जी नहीं । मध्य प्रदेश सर्कल के लिए एक डाक भंडार डिपो पहले से ही मौजूद है किन्तु क्योंकि भोपाल में कोई उपयुक्त स्थान उपलब्ध नहीं है, अतः वह नागपुर में ही काम कर रहा है ।

(ख) तथा (ग)— प्रश्न ही नहीं उठते ।

(घ) भोपाल या मध्य प्रदेश सर्कल के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर उपयुक्त इमारतें न होने के कारण मध्य प्रदेश सर्कल के निम्न कार्यालय नागपुर में ही काम कर रहे है—

(i) पुनः प्रेषण केन्द्र ।

(ii) तार सर्कल भंडार डिपो ।

(iii) सहायक इंजीनियर दूर संचार प्रशिक्षण केन्द्र का कार्यालय ।

(iv) सहायक इंजीनियर रिपीटर स्टेशन सहायक प्रशिक्षण केन्द्र का कार्यालय ।

(v) लेखा अधिकारी, टेलीफोन-आय लेखा का कार्यालय ।

पश्चिम बंगाल के प्रसोपा नेता के लापता हो जाने के बारे में जांच

2742. श्री हरि विष्णु कामत : **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :**
श्री नाथ पाई : **श्री हेम बरुआ :**

क्या **गृह-कार्य मंत्री** 2 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 256 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के लापता प्रसोपा नेता के मामले में राज्य की पुलिस ने अपनी खोज बीन का काम पूरा कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है ; और

(ग) यदि खोज बीन से कोई लाभदायक परिणाम नहीं निकला है, तो क्या सरकार का विचार इस मामले को अपने अभिकरणों को सोंपने का है, जैसा कि हाल ही में गोआ कांग्रेस अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम काकोडकर के मामले में किया गया था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)

(क) से (ग) : इस मामले की खोजबीन का काम पुलिस राज्य के अपराध अनुसंधान विभाग ने अपने हाथ में ले लिया है। पश्चिम बंगाल सरकार से अपराध अनुसंधान विभाग की खोजबीन के परिणाम के बारे में सूचना देने को कहा गया है।

Hindi Implementation Committee

2743. **Shri P. L. Barupal :** **Shri Hukam Chand Kachhavaiya**
Shri Shinkre : **Shri Y. D. Singh**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the orders were issued by his Ministry to the various Ministries for setting up Implementation Committees for the progressive use of Hindi ;

(b) if so, the items of work entrusted to these Committees;

(c) whether such a Committee was set up in his Ministry also; and

(d) if so, the number of its sittings held so far and the recommendations made by it ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) ;

(a) Yes sir.

(b) The Committees are required to secure full implementation of the orders relating to Hindi issued by the Ministry of Home Affairs from time to time.

(c) and (d) As the Ministry of Home Affairs have a separate Division which is responsible for watching the implementation of its orders relating to Hindi, the setting up of such a committee in the Home Ministry has not been considered necessary so far.

General Pool of Hindi Assistants and Translators

2744. **Shri P, L. Barupal :** **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Sinkre : **Skri Y. D. Singh :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state ;

(a) whether it is fact that Hindi Advisory Committee has recommended the creation of a general pool of Hindi Translators and Hindi Assistants and that they may be considered for promotion to the posts of Hindi Officers; and

(b) if so, when this decision is likely to be implemented ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla)

(a) and (b) ; The Hindi Salahkar Samiti has merely recommended that there should be a pool of staff doing Hindi work. This recommendation is under consideration.

Hindi Stenographers

2745. **Shri P. L. Barupal :** **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Shinkre : **Shri Y. D. Singh :**

Will the **Minister of Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Hindi Advisory Committee have recommended inclusion of Hindi Stenographers in the cadre of English Stenographers; and

(b) if so, the decision taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) One of the Sub- Committees of the Hindi Salahkar Samiti has made the recommendation.

(b) The matter is under conisderation.

नागालैंड-आसाम की सीमायें

2746. श्री फिरोडिया ।

क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने के लिए कोई जांच की है कि क्या नागाओं ने आसाम में कई हजार एकड़ क्षेत्र पर अधिकार कर रखा है अथवा नहीं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) और (ख) : इस मामले में आसाम और नागालैंड की सरकारों से पूछ ताछ की गई थी । आसाम सरकार के अनुसार आसाम में सुरक्षित जंगलों की करीब 6000 एकड़ क्षेत्र पर नागाओं ने अवैध रूप से अधिकार कर रखा है, परन्तु नागालैंड की सरकार के अनुसार कुछ क्षेत्रों को जो बहुत समय से नागाओं की जोत में रहे हैं, अब आसाम सरकार अपना बता रही है । जैसा कि 2-11-66 को लोक सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 139 के उत्तर में बताया गया था नागालैंड के मुख्य मन्त्री ने इस मामले की ओर ध्यान दिलाते हुए और एक सीमा आयोग की नियुक्ति का सुझाव देते हुए प्रधान मन्त्री को लिखा है । यह मामला विचाराधीन है ।

कोचीन में तेल की खोज

2747. श्री फिरोडिया :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीका की एक फर्म, मैसर्स फिलिप्स पेट्रोलियम के साथ कोचीन में तेल की खोज के लिये एक करार किया है ;

(ख) क्या करार की शर्तें भारत के हितों के विरुद्ध समझी जाती हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि मूल्य की गिरती हुई प्रवृत्ति को देखते हुये अशोधित तेल के लिये दिये जाने वाले दान बहुत अधिक हैं ; और

(घ) यदि हां, तो किन कारणों से सरकार को ऐसा करार करने के लिये बाध्य होना पड़ा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) :

(क) जी नहीं ।

(ख) से (ग) ; प्रश्न ही नहीं उठता ।

पार्लियामेंट स्ट्रीट स्थित कार्यालयों की सुरक्षा

2748. श्री किरोडिया :

क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पार्लियामेंट स्ट्रीट स्थित सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयों की भीड़ के हिंसात्मक कार्यों से रक्षा करने के लिये की गई सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं है ;

(ख) क्या सरकार ने इन सार्वजनिक संस्थाओं की सुरक्षा के लिये किसी समेकित योजना पर विचार किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) से (ग) : पार्लियामेंट स्ट्रीट स्थित सरकार तथा गैर-सरकारी भवनों तथा कार्यालयों की रक्षा तथा सुरक्षा की व्यवस्था प्रत्येक स्थिति की परिस्थितियों तथा आवश्यकतानुसार की जाती है ।

Arrest of Pakistani Nationals on Kutch Borders

2749. Shri Shinkre : Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Y. D. Singh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that the Security Forces had arrested some Pakistani Nationals carrying red chillies on camel, stealthily on the Kotda border in Kutch as reported in the 'Vir Arjun' dated the 9th November, 1966;

(b) if so, the quantity thereof and the place from where the same had been brought by them; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b) : On the 4th November, 1966, a camel abandoned by some persons near the Kotda Border Post in Kutch District when challenged by our patrol, was seized along with the four begs of chillies it was carrying. It is not known where the bags were brought from. No one was arrested in this connection.

(c) Regular patrolling is being carried out to prevent smuggling. Inquiries about the particular incident are in progress.

हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स , मद्रास में हड़ताल

2750. श्री नम्बियार :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास स्थित हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स के कर्मचारी 3 अक्तूबर से 9 नवम्बर, 1966 तक हड़ताल पर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान ही इस कारखाने के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिकर भत्ता मिलता है और

(घ) इस विवाद को सुलझाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) :

(क) जी हां, हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड, मद्रास के कर्मचारी 3 अक्तूबर, से 8 नवम्बर, 1966 तक हड़ताल पर रहे ।

(ख) क्योंकि प्रबन्धक-वर्ग को कर्मचारियों की, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की दर पर पर मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिकर भत्ता सम्बन्धी मांग, स्वीकार न हुई ।

(ग) हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड के कर्मचारी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी न होने के कारण इन भत्तों को पाने के अधिकारी नहीं हैं। फिर भी 1 मार्च, 1964 से कर्मचारियों को, मद्रास सरकार की दरों पर आधारित मकान किराया भत्ता मंजूर कर दिया गया है।

(घ) संसद-कार्य तथा संचार मंत्री के इस आश्वासन पर कि वे स्वयं कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान देंगे, हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड के कर्मचारियों ने 9 नवम्बर, 1966 को हड़ताल समाप्त कर दी और काम पर वापस आ गये ।

तार बाबू और क्लर्क की पदालियों का एकीकरण

2751. श्री गुलशन :
श्री बूटा सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री राम सेवक यादव :
श्री काशीराम गुप्त :
श्री प० ह० भील :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग की सेवाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से तार जांच समिति के प्रतिवेदन के अनुसरण में सभा पटल पर रखे गये विवरण के अनुसार डाक तार विभाग ने मई, 1962 में तारघरों में तारबाबु तथा क्लर्क की पदालियों का एकीकरण करने की योजना लागू की थी किन्तु बाद में वह योजना नवम्बर, 1963 में समाप्त कर दी गई; और

(ख) यदि हां, तो यह आदेश रद्द किये जाने के क्या कारण थे ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) :

(क) तथा (ख) : तार जांच समिति की सिफारिशों के अनुसार तारघरों में तार-प्रचालकों तथा क्लर्कों के संवर्गों के स्थान पर टेलिटाइपिस्टों का एक सामान्य संवर्ग जून, 1961 में जारी किये गये आदेश के द्वारा बनाया गया था। इस व्यवस्था के फलस्वरूप कुछ व्यावहारिक तथा प्रशासनिक कठिनाइयां उत्पन्न हो गईं। अतः टेलिटाइपिस्टों का वह सामान्य संवर्ग समाप्त कर दिया गया और नवम्बर, 1963 में जारी किये गये एक दूसरे आदेश द्वारा पूर्व स्थिति लागू कर दी गई।

तारघरों में डैस्क प्वाइन्टों पर कर्मचारी लगाना

2752. श्री गुलशन :
श्री राम सेवक यादव :
श्री काशीराम गुप्त :
श्री बूटा सिंह :
श्री नरसिन्हा रेड्डी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री प० ह० भील :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई आदेश जारी किया था कि तारघरों में डैस्क प्वाइन्टों पर तार बाबू लगाये जायें ?

(ख) क्या यह आदेश रोक लिया गया है जिसके परिणाम-स्वरूप उन कार्यालयों में भी, जिनमें इस आदेश को क्रियान्वित किया गया था, स्थिति पूर्ववत् हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) :

(क) से (ग) : तारघरों में 'डैस्क वर्क' परिषण के दौरान कटे-फटे तारों और गड़बड़ियों आदि से सम्बन्धित हैं। यह काम क्लर्कों द्वारा किया जा रहा था। 30 अक्तूबर, 1965 को ये आदेश जारी किये गये कि 'डेस्क वर्क' तार प्रचालकों द्वारा किया जाये। इन आदेशों के जारी होने के बाद कुछ नये तथ्य और और प्रशासनिक कठिनाइयां प्रकाश में आईं। इस मामले की अधिक ब्यौरेवार तथा पूरी-पूरी जांच करने के उद्देश्य से क्लर्कों की बजाय तार-प्रचालकों को 'डेस्क वर्क' करने का प्राधिकार देने वाले आदेशों को लागू करना स्थगित कर दिया गया है और तार-घर के क्लर्कों को पूर्व स्थिति के अनुसार यह काम करने की अनुमति दे दी गई है।

New Delhi Municipal Committee

2753. Shri Gulshan : Shri Yashpal Singh :
Shri P. H. Bheel :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state ;

(a) whether Government propose to give a democratic shape to the New Delhi Municipal Committee in order to give representation to the people of New Delhi therein;

(b) if so, by when this is to be implemented; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : **(a) to (c) :** The New Delhi Municipal Committee is at present nominated and includes non-officials. It is not proposed to make any change in this arrangement which is working satisfactorily.

नई दिल्ली स्थित कस्तूरबा निकेतन में रहने वाली विधवाओं के लिए प्लॉट

2755. श्री मु० मो० हक :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कस्तूरबा निकेतन, लाजपत नगर, नई दिल्ली में रहने वाली विधवाओं को देने के लिए कुछ प्लॉट निर्धारित किये गये हैं ;

(ख) ये प्लॉट किस स्थान पर हैं तथा ये विधवाओं को किस आधार पर दिये जायेंगे; और

(ग) ये प्लॉट वस्तुतः कब दिये जायेंगे ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वान) :

(क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

तूतीकोरिन में उर्वरक कारखाना

2756. श्री मुथिया :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री** 16 नवम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 327 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान कंसल्टिंग इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली के निदेशक, श्री हशने तथा तीन अन्य सलाहकार उद्योग तथा वाणिज्य के प्रादेशिक उपनिदेशक और श्री जो रोशे के साथ 28 सितम्बर, 1966 को तूतीकोरिन गये थे और वहां उर्वरक कारखाने की स्थापना के लिये स्थानों का निरीक्षण किया ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस दल ने कारखाने के बारे में उद्योग तथा वाणिज्य के प्रादेशिक उपनिदेशक तथा तूतीकोरिन बन्दरगाह परियोजना के चीफ इंजीनियर से बातचीत की थी; और

(ग) यदि हां, तो इस दल ने क्या विचार व्यक्त किये हैं और सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) :

(क) से (ग) : 28–9–1966 को जापान कंसल्टिंग इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली के निदेशक, अपने तीन अन्य सलाहकारों के साथ तूतीकोरिन पहुँचे । 29–9–1966 को उन्होंने बन्दरगाह परियोजना को देखा और उर्वरक सन्यन्त्र की स्थापना के लिये संभाव्य क्षेत्रों का निरीक्षण किया । प्रादेशिक उपनिदेशक ने उनके बन्दरगाह परियोजना के दौरे के लिये आवश्यक प्रबन्ध किये । उन्होंने कोई तकनीकी बात नहीं की और न ही कोई विचार प्रकट किया ।

नई दिल्ली में एक लड़के का अपहरण

2757. श्री तिम्मय्या :

क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल में एक दम्पत्ति द्वारा नईदिल्ली के एक बड़ी चहल-पहल वाले क्षेत्र, तानसेन मार्ग से एक बच्चे के अपहरण की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है तथा अपराधियों का पता लगा लिया है ;

(ग) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में इस प्रकार की अराजकता बढ़ रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस अराजकता को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) और (ख) : 30–11–66 को मंत्री हाउस के पास एक लड़के का अपहरण किया गया था और अपराधियों का पता लगाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

(ग) 1 जनवरी से 15 नवम्बर 1966 के दौरान दक्षिण जिले की पुलिस के पास अपहरण के 67 मामले दर्ज कराये गये थे जबकि पहले वर्ष में इसी अवधि के दौरान 62 मामले दर्ज कराये गये थे ।

(घ) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये पुलिस की गश्त को बढ़ा दिया गया है ।

Grants to Hindi Institutions

2758. Shri Rajdeo Singh :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the amount of grant given to the Hindi institutions separately during the current financial year so far;

(c) whethere grants have been given to them on a uniform basis.

(c) if not, the reasons therefor; and

(d) whether the grant would be given on a uniform basis in future ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) :

(a) A statement giving the required information is attached. **[Placed in the library. See No. L T—7458/66]**

(b) The grants are given on the uniform basis of 75% of the expenditure on schemes approved by the Government.

(c) and (d) Do not arise.

सैटलमेंन्ट संस्था के कर्मचारियों के अभ्यावेदन

2759. श्री सरजू पाण्डेय :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर 1964 से अक्तूबर, 1966 तक की अवधि में इनमें से प्रत्येक के कार्यालय में निर्णय के लिये कितने अभ्यावेदन पड़े थे ;

(एक) रीजनल/ असिस्टैन्ट सैटलमैन्ट कमिश्नरों ;

(दो) मुख्य सैटलमेंन्ट कमिश्नरों; और

(तीन) पुनर्वास विभाग के पास कर्मचारियों के कितने अभ्यावेदन विचाराधीन थे; और

(ख) प्रत्येक अभ्यावेदन के अनिर्णित पड़े रहने के क्या कारण हैं तथा उन पर निर्णय किये जाने में कितना समय लगेगा ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री य० रा० चह्वाण) :

(क) कोई नहीं ।

(ख) लागू नहीं होता ।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के इंजीनियरी कालेज

2760. श्री मौर्य : **श्री बागड़ी :**

क्या **शिक्षा मन्त्री** 16 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1497 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के इंजीनियरी कालेजों में तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में उन विश्वविद्यालयों की विकास योजनाओं के अन्तर्गत कुछ वरिष्ठ प्रोफेसरों के पदों की भी मंजूरी दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि ये पद अभी तक नहीं भरे गये हैं ;

(ग) क्या भितव्ययिता की वर्तमान आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सरकार का इन

नियुक्तियों को विशेषकर विज्ञान सम्बन्धी विषयों के लिये जिनके लिए इन विश्वविद्यालयों में पहले से ही उच्च शिक्षा की व्यवस्था है, स्थगित करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) :

(क) जी, हां, तीसरी आयोजना के दौरान बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में खनन और धातु कर्म कालेज में प्रोफेसर का एक पद और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कालेज में 6 पद मंजूर किये गये थे।

(ख) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में यांत्रिक इंजीनियरों के प्रोफेसर के एक पद को छोड़कर अभी तक बाकी पद नहीं भरे गए हैं।

त्रिवन्नूर स्पिनिंग एन्ड वीविंग मिल्स

2761. श्री अ० क० गोपालन :
श्री प० कुन्हन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री लक्ष्मीदास :

क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि त्रिवन्नूर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, त्रिवन्नूर (केरल) ने सम्बन्धित अधिकारियों को भविष्य निधि की देय राशि का भुगतान नहीं किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त कम्पनी ने श्रमिकों को मजूरी भी नहीं दी है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रबन्धकों को दण्ड देने तथा श्रमिकों को राहत देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाहनवाज खां) :

(क) से (ग) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

गोहाटी तारघर से भेजे गये तार

2762. श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या संचार-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965 में और 1966 में 15 नवम्बर तक गोहाटी तारघर में कितने तार प्राप्त हुए और वहां से आसाम के बाहर स्थानों को कितने तार भेजे गये;

(ख) उक्त अवधि में गोहाटी तारघर से आसाम के बाहर स्थानों को कितने तार डाक द्वारा भेजे गये और उसके क्या कारण थे ; और

(ग) आसाम से देश के अन्य भागों में तार भेजने की व्यवस्था में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) :

(क) तथा (ख) : विवरण-पत्र के रूप में सूचना लोक-सभा के पटल पर रखी जाती है।

विवरण

	गोहाटी तारघर द्वारा आसाम के बाहर भेजे गये तारों की संख्या	गोहाटी तारघर द्वारा आसाम के बाहर स्थानों को डाक द्वारा भेजे गये तारों की संख्या
वर्ष 1965 में	13,39,915	39,247
वर्ष 1966 में 15 नवम्बर तक	12,47,610	1,28,271

परिपथ में गड़बड़ी होने के कारण तारों का डाक द्वारा निपटान किया गया था ।

(ग) आसाम में दुर्गम भू-भाग होने के कारण उनका संचार-साधनों पर बुरा प्रभाव पड़ा और उन्हें मजबूत बनाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं । कलकत्ता-शिलोंग-गोहाटी सूक्ष्म-तरंग सम्बन्ध 18 अक्तूबर, 1966 को चालू किया गया था । इस प्रणाली पर जलवायु तथा मनुष्यकृत हस्तक्षेप का कठिनाई से ही प्रभाव पड़ेगा, जैसा कि जमीन पर लगी खुलीतार-लाइनों पर आम तौर पर और अक्सर होता रहता है । इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह होगा कि आसाम के स्थानों और आसाम के बाहर के स्थानों के बीच बहुत से परिपथ दिये जा सकते हैं । सूक्ष्म-तरंग सम्बन्धों के इस्तेमाल से तार सेवा में सुधार होगा । गोहाटी में हाल ही में टेलेक्स सेवा के उद्घाटन से आसाम में एक दूसरी नई सुविधा पहले ही चालू की जा चुकी है । गोहाटी के टेलेक्स उपभोक्ता डायल घुमाकर उसी शहर के यादेश के अन्य भागों के टेलेक्स उपभोक्ताओं से आपस में एक दूसरे से स्वतः ही सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं और लिखित संदेशों का आदान-प्रदान कर सकते हैं ।

आजमनगर (बिहार) में उप-डाकघर

2763. श्री प्रिय गुप्त :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि बिहार में कटिहार सब-डिवीजन में आजमनगर में उप-डाकघर को मुख्य डाक-घर में बदले जाने की पूर्वाशा में एक टेलीप्रिंटर लगाया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि आजमनगर खण्ड मुख्यालय और सब-डिवीजन तथा जिला मुख्यालय के बीच कोई टेलीफोन सम्पर्क नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का उप-डाकघर के मुख्य डाकघर के बदले जाने तक टेलीप्रिंटर संचार पद्धति का प्रयोग करने तथा उप-डाकघर को, जिसके लिए भवन भी उपलब्ध है, मुख्य डाकघर में बदलने के लिए जल्दी कार्यवाही करने का विचार है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) :

(क) जी नहीं । आजमनगर केवल एक अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर या प्रधान डाकघर में बदलने का कोई औचित्य नहीं है ।

(ख) जी हां ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

निजी सचिवों तथा स्टेनोंग्राफरों को अतिरिक्त वेतन

2764. श्री रामसेवक यादव : **श्री यशपाल सिंह**

क्या गृह-कार्य मंत्री 7 सितम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न-संख्या 4271 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी सचिवों तथा स्टेनोंग्राफरों को अतिरिक्त वेतन देने के बारे में कोई इस बीच निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब किये जाने की सभावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) अभी तक नहीं ।

(ख) शीघ्र ही ।

पाकिस्तानियों द्वारा आसाम में अवैध घुसपैठ

2765 श्री प्र० चं० बरुआ : **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :**

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान की सीमा से लगते हुए गोलपाड़ा गारों पहाड़ियां, कछार तथा खासी और जेन्तिया पहाड़ियों के क्षेत्रों में हाल में 300 से अधिक पाकिस्तानी घुसपैठियों का पता लगाये जाने के अतिरिक्त नवगांग तथा अन्य सीमावर्ती जिलों में अवैध रूप से आये कुछ अन्य पाकिस्तानी घुसपैठियों को पकड़ा गया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने घुसपैठिये पकड़े गये हैं तथा पूर्वी पाकिस्तान के सीमान्त क्षेत्रों से घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हान) :

(क) और (ख) : नवम्बर में नवगांव, गोलपाड़ा, गारों पाहाड़ियों, कछार, कामरूप, दरंग और लखीमपुर में अवैध रूप से लौटने वाले 81 पाकिस्तानी घुसपैठिये पकड़े गये थे और वे सब वापिस भेज दिये गये । ऐसे प्रवेश को रोकने के लिए उपायों को मजबूत किया गया है और जहां कहीं आवश्यक समझा अन्य उपायों के अतिरिक्त और अधिक पुलिस चौकियां खोल दी गई हैं ।

केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा परीक्षा

2766. श्री म० ना० स्वामी :

क्या गृह कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा-श्रेणी I की लिखित परीक्षा में, जो 1965 में हुई थी, सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों का, इण्टरव्यू में कम अंक प्राप्त करने के कारण अन्ततः चयन नहीं किया जा सका; और

(ख) यदि हां, तो इण्टरव्यू को इतना महत्व दिये जाने के क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री पू० शे० नास्कर) :

(क) यह मानते हुए कि यह प्रश्न संयुक्त इन्जीनियरी सेवा के बारे में है, उत्तर है— नहीं । उक्त परीक्षा के नियमों में व्यक्तित्व परीक्षा के उत्तीर्ण होनेके लिए न्यूनतम अंकों की कोई सीमा निर्धारित नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

परिवार नियोजन प्रचार

2767. श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान गत वर्ष उड़ीसा में विद्यार्थियों द्वारा की गई गड़बड़ के बारे में न्यायाधीश बर्मन समिति द्वारा दिये गये प्रतिवेदन की ओर दिलाया गया है जिसमें परिवार नियोजन के प्रचार-प्रसार को बन्द करने के लिये बलपूर्वक आग्रह किया गया है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त सिफारिशों को मान लिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) से (ख) : इस समिति की नियुक्ति उड़ीसा सरकार ने की थी । हमने उस सरकार से समिति की सिफारिशों तथा इस बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में पूरी जानकारी देने के लिए कहा है ।

Enquiry Regarding Collapse of House in Delhi

2768. Shri Prakash Vir Shastry :
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri P. L. Barupal
Shri Kashi Ram Gupta :
Shri Umanath :
Shri Brij Raj Singh :
Shri M. S. Aney :
Shri Bagri :
Shri Maurya :
Shri Priya Gupta:
Shri Alvares :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Bade :
Shri N. C. Chatarjee :

Will the **Minister of Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that no representative of Government has appeared before the Commission appointed to enquire into the collapse of houses of Delhi on the 15th August, 1966;

(b) whether the Commission asked Government to send their representative to appear before the commission;

(c) the reasons for Governments representative not appearing before the commission so far; and

(d) whether Government have done anything to help the Commission so that the enquiry is held properly and if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) to (d) A Commision of Inquiry was set up by the Chief Commissioner (now Lt. Governor), Delhi, by a notification dated the 26th August, 1966, under section 3 of the

Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), to Inqu ire into the causes of the collapse of three houses in Delhi on the 15th August, 1966, The Commission of Inquiry has requested the Deputy Commissioner, Delhi, to consider whether any one should appear on behalf of the Administration and its request is under the consideration of the administration. Assistance asked for by the Commission of Inquiry, has been given. Notifications in various newspapers were published, as desired by the Commission of Inquiry. Any other assistance that may be required, will also be provided.

Delhi-Himachal Pradesh State Civil Service

2769. Shri Pratap Singh : Shri Hem Raj :

Will the **Minister of Home Affiars** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Himachali Officers have not been included in the Delhi-Himachal Pradesh State Service Cadre;

(b) if so, whether it has been done by re-opening the initial constitution;

(c) whether it is also a fact that the initial constitution of services has never been re-opened before;

(d) if so, the special reasons for making the departure in this particular case; and

(e) whether it is a fact that this re-opening of the initial constitution will adversely affect the interest, of the officers already included in the Cadre ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a to (e) ; The Delhi and Himachal Pradesh Civil Service was constituted on the 15th March, 1961 and was extended to the Andaman and Nicobar Islands on the 1st December, 1966. 31 officers of the Himachal Pradesh Administration were appointed to this Service at its initial constitution. The initial constitution of the Service has not been reopened in the past and it is also not proposed to reopen it. It is proposed to make some appointments to the Delhi-Himachal Pradesh and Andman & Nicobar Islands Civil Service by transfer of Civil Service officers of other States with a view to filling the gap between authorized permanent strength of the Service and its actual strength and also providing experienced officers to the Service. Though the proposed appointment of State Civil Service officers of other States to the Delhi. Himachal Pradesh and Andman & Nicobar Islands Civil Service, may affect the related seniority of some of the existing officers of the Cadre: The induction of experienced officers from other States would improve the stability and efficiency of the Cadre.

गन्धक का आयात

2770. श्री यशपाल सिंह :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत बड़ी मात्रा में गन्धक का आयात कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कितनी गन्धक का आयात किया गया है ; और

(ग) इन तीन वर्षों में देश के भीतर के संसाधनों का उपयोग करने के लिए क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) :

(क) जी हां ।

(ख) पिछले तीन वर्षों में आयात की गई मात्राएं निम्न प्रकार हैं :—

1963–64	232756 मीटरी टन
1964–65	278245 ,, ,,
1965–66	300211 , ,

(ग) देश में मूल गन्धक के संसाधन उपलब्ध नहीं हैं फिर भी गन्धक की आवश्यकताओं को वैकल्पिक उपलब्ध देशीय कच्चे माल (अर्थात् पाइराइट्स अलोह धातु प्रदावक मय ों आदि से उपलब्ध गन्धक-युक्त गैसों) के उपयोग से कुछ हद, यद्यपि पूर्णतय नहीं, पूरक करने के यत्न किये जा रहे हैं।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अधीन इंजीनियरों का विशिष्ट प्रशिक्षण

2771. श्री नारायणदास :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में कार्य कर रही राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं संस्थानों में इंजीनियरों को विशिष्ट प्रशिक्षण देने के लिये कितनी राशि नियत की गई है ?

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में इस प्रयोजन के लिए कुल कितना व्यय किया गया है ;

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक कितने इंजीनियरों को यह प्रशिक्षण दिया गया है; और

(घ) उन इंजीनियरों की संख्या कितनी है जिन्होंने यह विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् भारत सरकार अथवा सरकारी उपक्रमों की नौकरी छोड़ दी है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्री (श्री राज राज बहादुर) :

(क) और (ख) : वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पास इंजीनियरों के विशिष्ट प्रशिक्षण की कोई नियमित योजना नहीं है। फिर भी कुछ राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थाओं में इंजीनियरिंग के अंशकालिक विशिष्ट प्रशिक्षण/पुनरनुस्थापक पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ऐसे प्रशिक्षण तथा पुनरनुस्थापन पाठ्यक्रम सम्बन्धित प्रयोगशाला संस्था के कार्यक्रम के अंग हैं और इस प्रयोजन के लिए अलग से किसी राशि की अवस्था नहीं की गई है।

(ग) और (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

Map of Sone River Project

2771-A. Shri Bibhuti Mishra ; Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item appearing in the 'Indian Nation', Patna of the 14th September, 1966 under the heading "The Map of Sone River Project has gone to Pakistan"; and

(b) if so, the reaction of Government there to ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):

(a) Yes, Sir.

(b) Inquiries made by the Government of Bihar show that the man in question was lost in the river from the custody of an officer of the State Government and not sent to Pakistan,

समाज शिक्षा केन्द्र

2771 ख. श्री शिवमूर्ति स्वामी :

क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने लोगों में नागरिक भावना पैदा करने के लिए कुछ समाज शिक्षा केन्द्र खोले हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने तथा किन-किन स्थानों में ये केन्द्र चल रहे हैं ;

(ग) क्या ऐसे केन्द्रों की संख्या बढ़ाने का कार्यक्रम है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) :

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

2771-ग. श्री गुलशन :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री** वर्ष 1966 के अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर, महीनों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बताने की कृप करेंगे कि :

श्रम, तथा पुनर्वास मन्त्रालय में मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : अगस्त 1966 का मजदूर वर्ग (सामान्य) का सम्पूर्ण भारत औसतन उपभोक्ता मूल्यसूचकांक 1949=100 के आधार पर 190 था और सितम्बर 1966 का 191 था । अक्तूबर 1966 का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अभी प्रकाशित नहीं हुआ है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE.

आगामी एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों को सम्मिलित न होने देने के निश्चय का समाचार

डा० कर्णी सिंह जी (बीकानेर) :

मैं **शिक्षा** मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और निवेदन करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें:—

"आगामी एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों को सम्मिलित न होने देने के बारे में अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् और भारतीय ओलिम्पिक संस्था के निश्चय का समाचार ।"

श्री मं० रं० कृष्ण (पेद्दापल्लि) : मंत्री महोदय द्वारा वक्तव्य दिये जाने से पहले मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैंने भी ध्यान दिलाने वाली सूचना दी थी और प्रार्थना की थी कि वित्त मंत्रालय उसका उत्तर दे। शिक्षा मंत्रालय ने तो पहले ही खिलाड़ियों की सिफारिश वित मंत्रालय को कर दी थी परन्तु वित्त मंत्रालय ने उनकी संख्या में कमी की है। इसलिये वित्त मंत्रालय द्वारा इसका उत्तर दिया जाना चाहिये केवल तभी हमें पता लग सकेगा कि उस मंत्रालय ने खिलाड़ियों की संख्या में कटौती ठीक की है अथवा नहीं।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : शिक्षा मंत्रालय ने तो अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था परन्तु अध्यक्ष महोदय ने स्वयं कहा था कि शिक्षा मंत्रालय को इसका उत्तर देने चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : वक्तव्य तो पढ़ा जा चुका है। वह यहां है।

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : वक्तव्य को पढ़ने से पहले मैं आपकी आज्ञा से उसमें एक शुद्धि करना चाहता हूं।

भारतीय ओलिम्पिक संस्था ने पहले बैंकाक में 9 दिसम्बर से 20 दिसम्बर, 1966 तक होने वाली पांचवी एशियाई खेलों में सम्मिलित होने के लिये 151 व्यक्तियों को भेजने का प्रस्ताव किया था। उस प्रस्ताव पर फिर अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् ने, जो खेलकूद के मामले में शिणा मंत्रालय को सलाह देती है, विचार किया। तब परिषद् ने भारतीय ओलिम्पिक संस्था को सलाह दी कि वह खिलाड़ियों तथा अधिकारियों की संख्या 80 और 100 के बीच रखे। अपने पुनरीक्षित प्रस्ताव में उस संस्था ने 135 व्यक्तियों को भेजने की सिफारिश की। फिर परिषद् से बातचीत करने पर उन्होंने इस संख्या को 117 तक कम कर दिया। आगे और बातचीत करने पर यह संख्या 105 तक घटा दी गई जिसमें खिलाड़ी, अधिकारी, प्रतिनिधि आदि भी शामिल थे। अन्तिम प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय ने विदेशी मुद्रा को ध्यान में रखते हुए विचार किया और पता लगा कि सरकार 81 व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों के लिये विदेशी मुद्रा देने की स्थिति में नहीं है। तथापि भारतीय ओलिम्पिक संस्था कम की गई संख्या में भी खिलाड़ियों को भेजने के लिये सहमत नहीं हुई तथा उसने इन खेलों में भारत के सम्मिलित न होने की घोषणा कर दी।

सरकार 81 व्यक्तियों को भेजने के प्रस्ताव पर अब भी कायम है। इसलिये हम भारतीय ओलम्पिक संस्था से एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि वह खिलाड़ियों की सच्ची भावना से इस प्रस्ताव को स्वीकार करे।

डा० कर्णी सिंह जी : क्या सरकार यह महसूस करती है कि यदि भारत अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में भाग नहीं लेता है तो उसकी इससे कितना मान कम हो जायेगा क्योंकि भारत ने ही इन खेलों को आरम्भ किया था और पहली बार खेल दिल्ली में हुए थे ? जब बहुत सा धन अनावश्यक शिष्ट मण्डलों पर खर्च किया जाता है तो 105 खिलाड़ियों को ओलिम्पिक खेलों में सम्मिलित करने के ओलिम्पिक संस्था के सुझाव पर विचार न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री राज बहादुर : चार वर्ष पहले जब थकर्ता में अन्तर्राष्ट्रीय खेलें हुई थीं तो हमने 81 खिलाड़ी को भाग लेने की अनुमति दी थी जिसे सहर्ष स्वीकार किया गया था। इस बार भी विदेशी मुद्रा की कमी को ध्यान में रखते हुए उतने ही अर्थात् 81 खिलाड़ी भेजने का निर्णय किया है।

श्री शिवाजीराव श० देशमुख (परमणी) : क्या खेलकूद संसार में भी संतति निग्रह है कि चार वर्षों में उनकी संख्या 81 से बढ़कर 105 नहीं हो सकती ।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : Crores of rupees are spent on cultural programmes and the difficulty of foreign exchange is not felt in those cases. May I know whether in this case also the foreign exchange difficulty will be removed soon ?

Shri Raj Bahadur : We are trying our level best to save foreign exchange by all means. Efforts are still being made to slove this problem.

श्री मं० रं० कृष्ण : हमारी सरकार जो अन्तर्राष्ट्रीय मेल-मिलाप के महत्व को समझती है उसने एशियाई खेलों में भाग लेने के लिये उतने ही खिलाड़ियों को भेजने की अनुमति देना ठीक क्यों नहीं समझा है ?

श्री राज बहादुर : हमें खेद है कि हमारा देश खेलों में भाग लेने की स्थिति में नहीं है । परन्तु फिर भी हमें आशा है कि आग्रह करने पर वह भाग लेंगे ।

श्री स० मो० बनर्जी : वक्तव्य में कहा गया है कि 'सरकार 81 खिलाड़ियों को भेजने के प्रस्ताव पर अब भी कायम नहीं है और वह भारतीय ओलिम्पिक संस्था से एक बार फिर अनुरोध करती है कि वह खिलाड़ियों की सच्ची भावना से इस प्रस्ताव को स्वीकार करे ।" 1964 1965 में व्यापारियों को विदेशों में जाने के लिये 2·85 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा दे दी गई थी उसे ध्यान में रखते हुये मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार खिलाड़ियों की संख्या को 81 से बढ़ाने का प्रयत्न करेगी क्योंकि गत चार वर्षों में खिलाड़ियों की संख्या में भी तो वृद्धि हुई है ।

श्री राज बहादुर : मुझे 2 करोड़ आदि आंकड़ों का बिलकुल ज्ञान नहीं है उसके अतिरिक्त इस मामले पर अपने गुण दोषों पर निर्णय किया जाना है ।

श्री जोकीम आल्वा (कनारा) : मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूं जिन्होंने वित्तीय कठिनाईयों के बावजूद भी 81 व्यक्तियों को भेजने की अनुमति दी है । साथ ही साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि ओलिम्पिक संस्था जैसे निकाय पर नियन्त्रण रखने के लिये सरकार को कौन सी शक्ति प्राप्त है जो निकाय 80 खिलाड़ियों को खेलों में भाग लेने से रोक रहा है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि हाकी, फुटबाल, क्रिकेट, वालीबाल आदि खेलों सम्बन्धी उस कार्य-क्रम को आरम्भ करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ताकि प्रतिक्रियाकर्म राजाओं महाराजाओं तथा अधिकारियों को निकाल दिया जाये ?

श्री राज बहादुर : मुझे आशा है कि सभा मुझसे सहमत होगी कि संस्था में महाराजाओं समेत प्रत्येक तत्व को भाग लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिये । इसलिये हम यह नहीं कह सकते यह समिति है या वह समिति अच्छी नहीं है । उसमें कुछ बहुत अच्छे खिलाड़ी भी होते हैं । अतः हमें उन्हें मान्यता देनी ही चाहिये ।

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रश्न)

RE : CALLING ATTENTION NOTICE QUERRY

श्री अ० क० गोपालन (कासर गोड़) :

मैंने अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर एक ध्यान दिलाने वाली सूचना दी थी ।

केरल के सभी इंजीनियरों ने हड़ताल करने का नोटिस दिया है क्योंकि राज्यपाल ने उनसे बातचीत करने को इंकार कर दिया था। एक वर्ष से अधिक समय से केरल में राष्ट्रपति शासन है। इसलिये यदि वहां का राज्यपाल, जो राष्ट्रपति शासन के अधीन होता है, उनसे बातचीत करने से इंकार कर देता है तो वे अपनी शिकायतें किस को सुनायें। यदि वे लोग हड़ताल कर देंगे तो क्या होगा। इसलिये इस बारे में कोई वक्तव्य दिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री गोपालन को कई बार कहा है कि वह इस प्रकार मामला न उठाया करें।

एक माननीय सदस्य : तब क्या किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : वह मुझे बतायें और मैं मंत्री महोदय से पूछूंगा कि वह वक्तव्य दे सकते हैं अथवा नहीं।

श्री अ० क० गोपालन : मैं केवल आपसे प्रार्थना कर रहा हूं क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

श्री नम्बियार (निरुचिरापल्लि) : केवल दो दिन शेष रह गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री महोदय से आग्रह करें कि वह कल वक्तव्य दे दें।

Shri Bagri (Hissar): The condition of Prabhu Dut is deteriorating very much. A telegram has been received in that connection I would therefore like that permission may kindly he accorded to lay it on the Table of the House.

Mr. Speaker; Papers are not laid on the Table of the House in this way.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : Shri Shankaracharya has been released. Shri Prabhu Dut Brahmachari should also therefore be released.

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री हु० चन्द कछवाय को कई बार कह चुका हूं कि इस प्रकार प्रश्न न उठाया करें।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

चीन के दूतावास को नोट

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) :

मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) वैदेशिक कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली, द्वारा 25 नवम्बर 1966, को भारत स्थित चीन के दूतावास को दिये गये नोट की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7443/66]**

(2) वैदेशिक कार्य मंत्रालय, पीकिंग, द्वारा 15 सितम्बर 1966 को चीन स्थित भारत के दूतावास को दिये गये नोट की एक प्रति **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7444/66]**

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : दोनों नोटों को देखने से पता चलता है कि पहला नोट 25 नवम्बर, 1966 को दिया गया था जबकि दूसरा 15 सितम्बर, 1966 को। यह क्रम क्यों रखा गया है। दूसरा नोट पहले होना चाहिये था और पहला बाद में। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि इन दोनों में क्या सम्बन्ध है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या यह प्रश्न है ?

श्री हरि विष्णु कामत : केवल स्पष्टीकरण। यदि एक नोट में दूसरे का उत्तर है, तो दूसरा, तारीख के अनुसार, पहले आना चाहिये था। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये।

श्री० स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं आपका "पैट्रिआट" में छपी खबर की ओर दिलाना चाहता हूं। वही नोट जो मंत्री महोदय ने अभी सभा पटल पर रखा गया था वहां प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या यहां भी प्रश्न पूछने की अनुमति दी जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : इस समय नहीं।

Shri Prakash Vir Shastri : Bijnor): The situation in Bihar is becoming very serious. A number of deaths have taken place there. Keeping that in view I, along with eight other members had given a notice under Article 356 of the Constitution to allot the time to consider the feasibility to introduce Presidential rule in Bihar. But I have come to know that it has not been accepted. I would therefore like to know the reasons for which it has not been accepted ?

Mr. Speaker; Now you may resume your seat. You had given a notice at 5.p.m. This matter was being discussed upto 7 p.m. but you were absent—

Shrj Prakash Vir Shastri : That was a different thing.

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 1964-65 के लेखापरीक्षित लेखे :

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :

मैं निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(1) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 36 के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा नियम के वर्ष 1966–65 के लेखापरीक्षित लेखे की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7445/66]**

(2) 27 अगस्त, 1966 को बम्बई में हुए इंजीनियर उद्योग सम्बन्धी प्रौद्योगिक समिति के प्रथम अधिवेषन के मुख्य निष्कर्षों की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7426/66]**

(3) कोयला खान श्रमिक कल्याण संगठन के 1964–65 के क्रियाकलापों के बारे में वार्षिक प्रतिवेशन की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7447/66]**

(4) खान अधिनियम, 1952 की धारा 59 उप-धारा (7) के अन्तर्गत धातुयुक्त खान (संशोधन) विनियम, 1966 की एक प्रति जो दिनांक 19 नवम्बर 1966 के भारत के राजपत्र

में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1739 में प्रदाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7448/66]**

(5) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा (7) की उप-धारा (2) के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि (17वा संशोधन) योजना, 1966 की एक प्रति जो दिनांक 12 नवम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र, में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1714 में प्रकाशित हुई थी। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये सख्या एल० टी० 7449/66]**

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) मैं 27 अगस्त, 1966 को बम्बई में हुए इंजीनियरी उद्योग सम्बन्धी औद्योगिक समिति के प्रश्न अधिवेशन के मुख्य निष्कर्षों की एक प्रति जो सभा पटल पर रखी गई है उसके बारे में एक स्पष्टीकरण चाहता हूं मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इसी समिति ने इस मामले पर विचार किया है कि इस उद्योग के मिल-मालिक इंजीनियरी उद्योग मजूरी बोर्ड द्वारा सुझायी गयी अन्तरिम सहायता नहीं दे रहे थे, यदि हां तो क्या उन्होंने अब अन्तरिम सहायता दी है ?

अध्यक्ष महोदय : इस समय जब सभा-पटल पर एक पत्र रखे जा रहे हैं तो इसका कैसे उत्तर दिया जा सकता है।

भारतीय बन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति विनियम 1966)

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : मैं अखिल भारतीय सेवा में अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति विनियम, 1966 की एक प्रति, जो दिनांक 26 नवम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1774 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं। **पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7450/65]**

श्री विष्णु कामत (होशंगाबाद) : आई० एम० एस० से इंडियन काटेन सर्विस तथा इंडियन फारेस्ट सर्विस बनाते हैं इसलिये इंडियन फारेस्ट सर्विस की बजाये इंडियन जंगल सर्विस चाहिये ताकि दोनों में गलत फहमी न हो सके।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

सभा बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

LEAVE ABSENCE FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने अपने उन्नीसवें प्रतिवेदन में निम्नलिखित सदस्यों को प्रतिवेदन में बताई गई अवधि के लिए अनुपस्थिति की अनुमति देने के लिए सिफारिश की है।

(1) श्री मुकाने
(2) श्री जयरामन
(3) श्री पू० चं० मेवभंज
(4) श्री करुथिरमण
(5) श्रीमती गायत्री देवी

(6) श्री शिवनंजप्पा

(7) श्री गयासुद्दीत अहमद

क्या सभा समिति की इन सिफारिशों से सहमत है ।

कई माननीय सदस्य : जी हाँ ।

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों को तदनुसार सूचित कर दिया जायेगा ।

सदस्यों द्वारा त्याग पत्र
RESIGNATION OF MEMBERS

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि सर्व श्री र० ना रेड्डी, यल्लमेरा रेड्डी तथा ईश्वर रेड्डी और श्रीमती विमला देवी ने 29 नवम्बर, 1966 के मध्यान्ह पश्चात् से लोक सभा में अपने स्थान का त्याग कर दिया है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : The reasons may be given for that.

Mr. Speaker : I have not to announce the reasons. That they had announced themselves.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The House should be informed what they have written. * * *

Mr: Speaker - This should not written.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : वह सारे सत्र के दौरान यह प्रतीक्षा करते रहे हैं कि सरकार आन्ध्र प्रदेश में इस्पात कारखानें के बारे में कुछ कहेगी परन्तु सरकार बातचीन के लिये सहमत न हुई । उन्होंने आन्ध्र प्रदेश के लोगों का मुख प्रकट करने के लिये ऐसा किया है । आपको उनके पत्र से पता लग गया होगा । अतः सभा को भी मालूम होना चाहिये कि ऐसा क्यों किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : इस समय मैंने सभा को केवल सूचित करना था, सो मैंने कर दिया है ।

श्री स० मों० बनर्जी (कानपुर) :—कल जब यह प्रश्न उठाया गया था तो हमने आपसे प्रार्थना की थी कि आप मंत्री महोदय को कहें कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें । उनके द्वारा त्याग पत्र दिया जाना उनके शेष का द्योतक है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय तक आपकी बात पहुँचा दूंगा ।

विशेषाधिकार समिति
COMMITTEE OF PRIVILEGES
ग्यारहवां प्रतिवेदन

श्री कृष्ण मूर्ति राव (शिमोगा) : मैं विक्षेषाधिकार समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

* * * कार्यवाही के वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।
Not recorded.

Shri Madhu Lsmaye (Monghyr): Sir, on a point of order. The Eleventh report of the Committee of privilages should be returned to the Committee. It does not contain Minutes of Dissent and therefore it is incomplete.

Mr. Speaker : You can give a notice in writing about this.

Shri Madhu Limaye : I will give a notice but I have a point of order. You can see Rule 303 and Direction 91.

I have nothing to say about your dcision. But the Privileges Committee have this time not excluded the minute of dissent only, submitted to them, but they have also informed the Member concerned that he is not entitlod to give any note of dissent because such minutes are not allowed in the privileges Committee. It is violation of Rule No. 303 and 91 and I therefore request you to allow this note to be laid on the Table.

Mr. Speaker : I donot know whether there was any minute of dissent. However I will consider the validity of the question that has been raised by the hon. Member.

श्री कपूरसिंह (लुधियाना) : बात केवल इतनी है कि मैंने एक विमति टिप्पण दिया था, जिसे समिति के प्रतिवेदन में इस तर्क पर शामिल नहीं किया जा रहा है कि विशेशाधिकार समिति में कोई विमति टिप्पण नहीं दिया जा सकता क्योंकि नियमों में विशिष्ट रूप से ऐसा कोई उल्लेख तथा व्यवस्था नहीं है। मेरा कहना यह है कि इस तर्क में न तो औचित्य है और न ही कोई ठोस आधार और वह प्रजातंत्रीय पद्धति अथवा कार्य प्रणाली के अनुकूल नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं बात तो समझ गया हूँ किन्तु मैं इस समय, जब कि समिति का प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा जा रहा है, क्या निर्णय दे सकता हूँ। सदस्य महोदय इस विशेष प्रश्न पर चर्चा की मांग कर सकते हैं, और इस चर्चा के लिए समय भी निर्धारित किया जायेगा ताकि वह इस पर चर्चा कर सकें और इसकी आलोचना कर सकें। तत्पश्चात् सभा वह निर्णय ले सकती है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : क्या समिति के सभापति से, जिन्होंने अभी वह प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा है, यह नहीं पूछा जा सकता कि क्या कोई विमति टिप्पण था और यदि हां, तो उन्होंने उसे प्रतिवेदन के साथ क्यों नहीं लगाया ?

अध्यक्ष महोदय : क्या विशेषाधिकार समिति के सभापति सभा को स्थिति से अवगत करा सकेंगे ?

श्री कृष्णमूर्ति राव : विशेषाधिकार समिति से सम्बन्धित नियमों में विमति टिप्पण देने की कोई व्यवस्था नहीं है। तथापि श्री कपूरसिंह ने एक विमति टिप्पण दिया था और समिति ने उसके बारे में 7 नवम्बर, 1966 को यह निर्णय किया कि श्री कपूरसिंह द्वारा दिये गये टिप्पण को समिति के प्रतिवेदन के साथ लगाने की आवश्यकता नहीं है। अतः समिति के निर्णयानुसार इसे उसमें शामिल किया गया है।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा एक अनुरोध है कि समिति का यह निर्णय चाहे उचित है अथवा नहीं, आप उन सदस्यों को जो इसे पढ़ने के बहुत इच्छुक है या उसके आधार पर आगे कार्यवाही करने के इच्छुक हैं, अपने कक्ष में उसे पढ़ने की अनुमति दे दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति देता हूं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यह प्रश्न अन्य समितियों तथा लोक-लेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति के समक्ष भी आ चुका है । आज वही प्रश्न फिर इस समिति में उठाया गया है : यह बहुत महत्व पूर्ण प्रश्न है जिस पर इस सभा ने अथवा नियम समिति ने निर्णय करना है और इस सम्बन्ध में एक विशिष्ट नीति निर्धारित करना आवश्यक है; क्योंकि प्रजातन्त्र का एक अनिवार्य सिद्धान्त यह है कि प्रत्येक सदस्य को चाहे वह अल्पसंख्यक वर्ग का ही क्यों न हो, विमति टिप्पण देने का अधिकार है ।

अध्यक्ष महोदय : इस बात को मैं पहले ही मान चुका हूँ । किन्तु प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखने की अनुमति देने से मैं अब इन्कार नहीं कर सकता । क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके अन्तर्गत मैं ऐसा कर सकूं ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : यह प्रश्न इससे पहले भी उठाया जा चुका है । उस समय हमें बताया गया था कि प्रतिवेदन में कोई विमति टिप्पण नहीं है । जहां तक मैं जानता विमति टिप्पण की भाषा अशोभनीय अथवा अनुचित नहीं थी ।

श्री नम्बियार : यह प्रतिवेदन इस कारण है क्योंकि इसमें विमति टिप्पण नहीं लगाया गया है । मेरा अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि पूरा प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा जाये ।

Shri Maurya (Aligarh) : The Report should not be treated as complete unless it contains the minority point of view or a minute of dissent. I request that the note of dissent should be included.

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

चौसठवां प्रतिवेदन

श्री मुरारका (झुंझनू) : मैं खराब टायरों की खरीद के बारे में संभरण तथा तकनीकी विकास विभाग के विषय में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सिविल), 1966 के पैरा 116 पर लोक-लेखा समिति का चौसठवां प्रतिवेदन अस्थापित करता हूं ।

विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन के बारे में
(RE : REPORT OF PRIVILEGE COMMITTEE)

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : दो अन्य मामले विशेषाधिकार समिति को सौंपे गये थे । एक स्टेस्ट्समैन के बारे में था । क्या इस सत्र में ये प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किये जायेंगे ?

श्री कृष्ण मूर्ति राव (शिमोग्गा) : जी हां । मैं आशा करता हूं कि दो प्रतिवेदन कल सभा के समक्ष प्रस्तुत करने की आशा करता हूं ।

संख्या 36 के उत्तर में जो गलती ठीक की गई है, वह क्लेरिकल गलती नहीं है ; इसमें एक पंक्ति और जोड़ी गई है जिसके लिए मंत्री जी ने लगभग चार सप्ताह का समय लिया है, जब कि वह बहुत पहले ठीक की जानी चाहिए थी, अतः मेरा अनुरोध केवल यह है कि भविष्य में ऐसे किसी भी विवरण को कार्य सूची में तब तक न रखा जाये जब तक कि उसके साथ विलम्ब के कारण बताने वाला कोई वक्तव्य न लगा हो ।

अध्यक्ष महोदय : यदि विलम्ब हुआ है, तो मंत्री महोदय विवरण के साथ-साथ अभी विलम्ब के कारणों का स्पष्टीकरण कर देंगे ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : भविष्य में हम ऐसा ही करेंगे जैसा कि सुझाव दिया गया है किन्तु इस मामले में मैं कारण अब बता देता हूं । उक्त प्रश्न उत्तर अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों में था । अंग्रेजी में उत्तर ठीक था । हिन्दी –उत्तर में कुछ टाइपिंग की गलती थी और संयोगवश हमें इसका पता लग गया और रिकार्ड को सही रखने के लिए यह मूल सुधार की गई है जिसमें कुछ विलम्ब हो गया है ।

निदेश 115 के अन्तर्गत सदस्य का वक्तव्य तथा दिनांक 7–11–66 के अतारांकित प्रश्न संख्या 635 के बारे में मंत्री का उत्तर

STATEMENT BY MEMBER UNDER DIRECTION 115 AND MINISTER'S REPLY THERETO U. S. Q. NO. 635 DATED 7-11-66

Shri Madhu Limaye (Monghyr): In reply to unstarred Question No. 635 on the 7th November 1966, the Minister of Defence had stated that no representation had been received from the Assistant Journalists, Sainik Smachar regarding their service conditions and scale of pay. It was an incorrect statement as more than a dozen Assistant Journalists had sent a representation to the Chief Administrative officer Ministry of Defence through proper channel on the 30th July 1966. Not only that, a few of them had also sent reminders in October, 1966.

श्री बासुदेवन नायर (अम्बपुजा) : अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न का नोटिस मैंने दिया था और यह प्रश्न मेरे नाम में था । मैंने मंत्री महोदय को लिखा कि उनके द्वारा दिया गया उत्तर गलत है और उसका उत्तर ठीक किया जाना चाहिए और सभा में इसका उल्लेख किया जाना चाहिए, मंत्री महोदय मुझे एक पत्र भेजकर इस बात को स्वीकार किया कि उत्तर वास्तव में गलत था किन्तु अधिकारियों द्वारा दी गई सूचना के कारण ऐसा हुआ, लेकिन उन्होंने इस मामले को वहीं पर छोड़ दिया । यह दुःख की बात है कि मंत्री जी ने इस मामले में इतनी उदासीनता दिखाई है जब कि कई महीने पहले उनका ध्यान इस गलती की ओर दिलाया गया था ।

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अ० म० थामस) : श्री बासुदेवन ने एक विशेष बात उठाई है । वास्तव में निदेश 115 के अन्तर्गत केवल श्री मधु लिमये से एक नोटिस मिला है और श्री वासुदेवन नायर ने मुझे इस सम्बन्ध में एक पत्र लिखा था जिसके उत्तर में मैंने उन्हें वास्तविक स्थिति का स्पष्टीकरण कर दिया था ।

अध्यक्ष महोदय : जब मन्त्री जी को इस बात का पता लग गया था कि उत्तर में गलती

हो गई है, तो चाहे निदेश 115 के अन्तर्गत नोटिस दिया गया अथवा नहीं, उन्हें बिना किसी नोटिस मिले ही स्वतः सभा को सही तथा ठीक उत्तर से अवगत करा देना चाहिए था और उत्तर में शुद्धि कर देनी चाहिए थी।

श्री अ० म० थामस : इसके अलावा, लोक सभा सचिवालय ने इस मामले पर तथ्यों का विवरण देते हुए मंत्रालय को एक ज्ञापन संलग्न किया था और हमने वास्तविक स्थिति के बारे में सूचना भेज दी थी ताकि हमारी ओर से जान-बूझकर कोई लापरवाही न हो।

अध्यक्ष महोदय : वक्तव्य कितना लम्बा है ?

श्री अ० म० थामस : चार पृष्ठ का है।

अध्यक्ष महोदय : इसे सभा-पटल पर रख दिया जाये।

श्री अ० म० थामस : इसकी एक प्रति माननीय सदस्य को भी दी जा चुकी है। मैं इस वक्तव्य को सभा-पटल पर रखता हूं।

(पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 7451/66)

पुलिस बल (अधिकारों का निर्बंधन) विधेयक जारी

POLICE FORCES (RESTRICTION OF RIGHTS) BILL-CONTD

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : इससे पूर्व कि श्री शिकरे अपना भाषण आरम्भ करें, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि कल मैंने और श्री शिकरे ने इस विधेयक के बारे में कुछ संवैधानिक प्रश्न उठाये गये थे और कहा था कि इस विधेयक पर आगे चर्चा न की जाये तथा पहलू का निर्णय नहीं करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : इसके बारे में कल निर्णय दिया जा चुका है तथा इस प्रश्न को पुनः नहीं उठाया जा सकता।

संसद-कार्य मिभाग तथा संचार विभाग में राज्यमन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : सरकार ने इस विधेयक के लिए दो घण्टे का समय नियत करने का प्रस्ताव रखा था। मैं जानना चाहता हूं कि इस विधेयक के सब प्रक्रमों पर चर्चा कब तक पूरी हो जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : चार बजे तक।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speakar in the chair.]

शिकरे (मरमागोआ) : इस बात से, कि सरकार को पुलिस बल में कर्मचारी यूनियन बनाने के विरूद्ध यह विधेयक लाना पड़ा, यह सिद्ध होता है कि जनता के सब वर्गों का तथा यहां तक कि पुलिस का भी इस सरकार से विश्वास उठ गया है। इस संदर्भ में मैं माननीय उप-मंत्री को याद दिलाना चाहता हूं कि जब लॉर्ड एटली ने भारतीय स्वतन्त्रता विधेयक पेश किया था तो उसके कारणों का उल्लेख करते हुए कहा था कि भारत को स्वाधीन करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि ब्रिटिश सरकार भारत के देशी बल की वफादारी पर और अधिक निर्भर नहीं

रह सकती थी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार पुलिस बल में विश्वास नहीं रहा है या यों कहिये कि पुलिस का सरकार से विश्वास उठ गया है। जब पुलिस बल का वर्तमान सरकार में विश्वास नहीं रह गया है तो यह उचित है कि सरकार सत्ता छोड़ दे।

तथापि मैं इस विधेयक के अन्तर्निहित सिद्धान्त का समर्थन करता हूं और वह सर्वथा ठीक है। मैं इस पक्ष में हूं कि केवल पुलिस बल तथा सेना में ही नहीं बल्कि किसी भी सरकारी सेवा में कर्मचारी यूनियन अथवा राजनैतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये। अन्ततः पुलिस कर्मचारी तथा सैनिक सरकारी नौकर हैं और उन्हें प्रथम और मुख्य रूप से वर्तमान सरकार के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए। यदि हम पुलिस बल द्वारा एक कर्मचारी यूनियन बनने देते हैं तो वह दिन दूर नहीं जब पुलिस की कई यूनियनें होंगी तथा एक यूनियन के नेता श्री बनर्जी और दूसरी यूनियन के नेता श्री नम्बियार होंगे तथा दोनों यूनियनों में लगातार संघर्ष होता रहेगा। एक दिन ऐसा होगा कि जब आगजनी आदि से राष्ट्रीय सम्पत्ति को भारी क्षति होगी, तो पुलिस सरकार का आदेश मानने से इन्कार कर देगी तथा श्री नम्बियार पुलिस बल की जिस यूनियन के नेता होंगे, उसके सदस्य पुलिसमैनों से वह कहेंगे, "देखो भई, कल से तुम्हारी तनख्वाह इंस्पैक्टर जितनी होनी चाहिये, नहीं तो तुम कल से भूख-हड़ताल, अनशन, शुरू कर दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो परसों से तुमको उपनी तनख्वाह मिल जायेगी।"

पुलिस में असन्तोष है और साम्यवादी इसका लाभ उठा रहे हैं। साम्यवादी सदस्य समय-समय पर पुलिस की कटु आलोचना करते रहे हैं तथा इस समय वे रहे हैं तथा इस समय वे पुलिस के प्रति अपना प्यार दिखा रहे हैं, जो कि देश के लिए बहुत खतरनाक घातक है। अतः यदि हम पुलिस बलद्वारा एक कर्मचारी संघ बनने देते हैं तो देश में विधि का शासन समाप्त हो जायेगा। मैं यह नहीं चाहता कि सरकार पुलिसमैनों की, जिन्हें खराब से खराब स्थितियों का सामना करना पड़ता है, उचित मांगों की उपेक्षा करे, परन्तु उनके द्वारा कर्मचारी यूनियन का बनाया जाना देश के लिए बहुत खतरनाक है। उप खण्ड (2), (3) के अन्तर्गत राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत नागरिकों को दिये गये मूलभूत अधिकारों को विधि बनाकर सीमित किया जा सकता है। एक स्वतन्त्र नागरिक को अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत मूलभूत अधिकार दिये गये हैं, परन्तु पुलिस वालों तथा सरकारी कर्मचारियों को वे अधिकार नहीं दिये गये हैं। जैसे मैं कह सकता हूं कि इस सरकार को समाप्त करो, परन्तु पुलिस वाले तो यह नहीं कह सकते। पुलिसवालों तथा सरकारी कर्मचारियों की सर्वप्रथम और मुख्य रूप से सरकार में निष्ठा होनी चाहिये। मैं चाहता हूं कि उन्हें मनोरंजन, खेलकूद तथा अन्य प्रकार की सुविधायें दी जानी चाहियें, परन्तु यदि उन्हें यूनियन बनाने का अधिकार दिया गया तो देश में कानून समाप्त ही जायेगा।

यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि खण्ड 3 के उपबन्ध आवश्यक हैं अथवा अनावश्यक। जो कुछ उसमें दिया गया है वह सेवा सम्बन्धी नियमों में शामिल किया जा सकता है और उनमें कहा जा सकता है कि पुलिस दल का कोई भी सदस्य केन्द्रीय सरकार अथवा निर्धारित प्राधिकार मंजूरी अथवा सहमति के बिना किसी कर्मचारी संघ, मजदूर संघ आदि का सदस्य नहीं होगा और इनसे किसी प्रकार सम्बन्धित नहीं होगा। इस प्रयोजन के लिए संसद को कोई अधिनियम बनाने की आवश्यकता नहीं है।

खण्ड 4 में यह उपबन्ध किया गया है कि दो वर्ष का कारावास अथवा 2000 रुपये तक जुर्माना अथवा दोनों की सजा दी जा सकती है। मैं नहीं समझता कि यह उपबन्ध उचित है। यह सच है कि संसद जो चाहे सजा निर्धारित कर सकती है परन्तु सजा निर्धारित करने के भी कुछ माप दण्ड होते हैं, यह कहां तक उचित है कि केवल महान हानि के लिए मृत्युदण्ड निर्धारित किया जाये। मैं समझता हूं कि खण्ड 4 जिसमें कारावास का दण्ड निर्धारित किया गया है, हो सकता है संवैधानिक न हो क्योंकि जो कुछ विधेयक में रखा गया है वह केवल अनुशासन सम्बन्धी अपराध है और अनुशासन सम्बन्धी अपराधों के लिए कारावास का दण्ड न तो उचित है और नहीं समुपयुक्त है। अनुशासन सम्बन्धी अपराधों के लिए, अधिक से अधिक, पदच्युति अथवा निलम्बन अथवा अनिवार्य सेवा-निवृत्ति का दण्ड दिया जाना चाहिए।

अतः मैं आशा करता हूं कि गृह-कार्य मन्त्री मेरे सुझाव को ध्यान में रखेंगे और इस खण्ड में कारावास की सजा नहीं रखी जायेगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) : इस सरकार से यही आशा की जाती थी कि वह ऐसा विधेयक पेश करे। यदि ऐसा न किया गया होता तो मुझे बहुत आश्चर्य होता। परन्तु यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हमारा संविधान वर्ष 1950 में बना था और अब वर्ष 1966 चल रहा है तथा संविधान के अन्तर्गत पुलिस बल के अधिकारों को सीमित करने की शक्ति तभी से सरकार के पास है। जनता यह अच्छी तरह समझती है कि ऐसा कानून गत 16 वर्षों के दौरान क्यों नहीं बनाया गया और उसे अब क्यों बनाया जा रहा है। लोग जानते हैं कि इस समय देश में असन्तोष फैला हुआ है तथा खाद्यान्न, मूल्य, आर्थिक विकास एवं रोजगार सम्बन्धी सरकार की दिवालियेपन की नीतियों के कारण लोग बड़ा कष्ट उठा रहे हैं। सरकार जनता की हालत के बारे में इतनी निर्दय हो गई है कि वह यह नहीं जानना चाहती कि जनता किस हालत में रह रही है। अपनी निर्दयता के कारण सरकार उन सिपाहियों को भी भूल गई है, जिनके सहारे वह चलती है। वह यह भूल गई है कि वे इस देश के गरीब नागरिक हैं; उन्हें बहुत कम वेतन मिलता है तथा इस महंगाई के ज़माने में अपना और अपने परिवार का पेट भरना पड़ता है। सरकार चाहती है कि पुलिसमैन ऐसे हों जो यह जानते हों कि लाठी कैसे चलाई जाती है, गोली कैसे चलाई जाती है, परन्तु न उनके कोई दिल होना चाहिए, न कोई दिमाग और न ही कोई विचारधारा। देश में ज्यों-ज्यों असन्तोष और अशान्ति अधिक फैलती है त्यों-त्यों सरकार को लोकप्रिय आन्दोलनों को दबाने के लिए पुलिस का अधिक सहारा लेना पड़ता है। फिर भी यह विधेयक अचानक सभा के सम्मुख क्यों लाया गया है? इसका स्पष्ट कारण यह है कि जब दिल्ली के कुछ सिपाहियों ने यह निश्चय किया कि किसी प्रकार का संघ बनाया जाना चाहिए ताकि वे अपने कष्टों को व्यक्त कर सकें तो सरकार ने तुरन्त यह विधेयक सभा की स्वीकृति के लिये पेश कर दिया। यह वास्तव में बड़े दुःख की बात है कि गत 16 वर्षों में तो ऐसे विधेयक की आवश्यकता नहीं समझी गई और अब अचानक यह विधेयक पेश कर दिया गया।

दिल्ली के पुलिस कर्मचारियों के आन्दोलन से जिन तथ्यों का पता लगा है उनसे ज्ञात होता है कि वे काफी समय से विभिन्न वरिष्ठ अधिकारियों जैसा कि पुलिस महानिरीक्षक, गृह मंत्रालय तथा दिल्ली के उप-राज्यपाल को ज्ञापन तथा याचिका प्रस्तुत करके तथा अन्य ढंगों से अपने कष्टों को बताते रहे हैं। परन्तु उनकी शिकायतों को न तो किसी ने सुनाई की और नहीं उन्हें कोई

सहानुभूतिपूर्ण उत्तर दिया गया । इसलिए उन्हें बाध्य होकर अपनी मांगों को प्रदर्शित करने के लिए ऐसी कार्यवाही करनी पड़ी जैसा कि एक दिन के लिये वेतन लेने से इन्कार करना तथा अनशन करना इत्यादि ।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सभा का कोई सदस्य अथवा मन्त्री महोदय ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं कि इन सिपाहियों ने उस अवधि के दौरान जिसके बारे में कहा जाता है कि वे आन्दोलन कर रहे थे एक भी कोई ऐसा कार्य किया है जिससे जरा भी यह संकेत मिले कि उन्होंने अपना कर्त्तव्य का पालन नहीं किया ? उस अवधि के दौरान इन सिपाहियों द्वारा तथा कथित आन्दोलन का कोई एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जिससे पुलिस अनुशासन के अन्तर्गत भी यह कहा जा सके कि उन्होंने अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया । उन्होंने अपनी ओर से अपने कर्त्तव्य में जरा भी चूक नहीं की है । उन्होंने बार-बार यह स्पष्ट कर दिया था कि वे अपनी सेवा के अनुशासन का पालन करेंगे तथा कभी भी काम बन्द नहीं करेंगे अथवा हड़ताल नहीं करेंगे । 7 नवम्बर को गोहत्या पर प्रतिबन्ध की मांग करने के लिए संसद भवन के सामने जो प्रसिद्ध प्रदर्शन हुआ, जिसके बारे में सारे दिल्ली नगर में न केवल प्रदर्शनकारियों द्वारा बल्कि अखिल भारतीय आकाशवाणी तथा सरकार द्वारा भी आंतक फैलाया हुआ था, उसमें पुलिस ने जो कर्त्तव्य-पालन का परिचय दिया है वह सराहनीय है । इसलिए इस बात की कल्पना करना व्यर्थ है कि संघ बनाने की सिपाहियों की मांग से विधि तथा व्यवस्था एकदम खत्म हो जायेगी ।

मैं समझता हूं कि दिल्ली के पुलिसमैन किसी रूप में अराजपत्रित कर्मचारी संघ बनाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने एक विधान बनाया था परन्तु कर्मिक संघ अधिनियम के अन्तर्गत उस संघ को मान्यता देने से इन्कार कर दिया गया । मुझे विश्वास है कि माननीय मन्त्री ने उस विधान को अवश्य देखा होगा तथा उस विधान के अन्तर्गत पुलिसमैनों ने स्वयं अपने ऊपर यह पाबन्दी लगाई थी कि वे किसी भी हालत में हड़ताल नहीं करेंगे, काम से गैरहाजिर नहीं होंगे तथा काम करना बन्द नहीं करेंगे और साथ ही साथ पुलिस के अनुशासन को सुधारने तथा पुलिस से भ्रष्टाचार को खत्म करने का प्रयत्न करेंगे । अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि जब उन्होंने स्वयं ये पाबन्दियां लगाई थी तो उन्हें किसी रूप में संघ बनाने का अधिकार क्यों नहीं दिया गया, जबकि अन्य सब सरकारी कर्मचारियों को यह अधिकार प्राप्त है । यह नहीं कहा जा सकता कि पुलिस एक ऐसा काम कर रही है जो कि श्रमिकों के काम से अधिक महत्वपूर्ण है जो कि हमारी सशस्त्र सेनाओं के लिए हथियार बना रहे हैं । प्रत्येक प्रतिरक्षा कारखाने में संघ है और उन प्रतिरक्षा कर्मचारियों पर किसी समय भी कर्त्तव्य पालन में लापरवाही करने का आरोप नहीं लगाया गया है । इस बात के होते हुए भी रेलवे के कर्मचारियों को संघ बनाने की अनुमति नहीं दी गई है कि यदि वे हड़ताल करते हैं तो सारी यातायात व्यवस्था नष्ट-भ्रष्ट हो जायेगी । इसलिये संघ बनाने के अधिकार से सिपाहियों को क्यों वंचित रखा जाता है ।

मेरे विचार में सन्तुष्ट तथा परितृप्त पुलिस बल रखने का यह तरीका नहीं है । सामूहिक प्रतिनिधित्व द्वारा कष्टों का निवारण करना सबसे अच्छा ढंग है और यदि समय रहते उनके कष्टों का निवारण न किया गया तथा उनकी उचित शिकायतों को दबाने का प्रयत्न न किया गया तो इसके बहुत भयंकर परिणाम होंगे । मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि वर्ष 1946 में आजाद हिन्द फौज के कैदियों की रिहाई से पहले ही बिहार पुलिस की बगावत ने ब्रिटिश सरकार की नींव को हिला दिया था । सरकार को चाहिये कि ऐसी परिस्थितियां पुनः न बनने दे । मैं समझता हूं

कि इसे संस्था कहा जाये अथवा कार्मिक संघ, इसमें कोई व्यवहारिक अन्तर नहीं है। उन्हें अपने विधान और नियमों के अन्तर्गत सामूहिक संस्था का अधिकार दिया जाना चाहिए और उन्हें सामूहिक रूप से अपने कष्ट बताने तथा सरकार से बातचीत करने की अनुमति दी जानी चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि जब पुलिसमैनों को निर्वाचन के दौरान डाक द्वारा मत-पत्र भेजकर मत देने का अधिकार है, तो उन्हें यह अधिकार क्यों नहीं दिया गया कि वे अपने निर्वाचित संसद सदस्य के समक्ष अपनी शिकायतें रख सकें।

वर्तमान गृह-कार्य मन्त्री से पहले गृह-कार्य मन्त्री ने दिल्ली के सिपाहियों को आश्वासन दिया था कि उनकी मांगें तीन अलग श्रेणियों में अर्थात् बढ़ते हुए मूल्यों के विरूद्ध अन्तरिम सहायता, समयोपरि भत्ता तथा अन्य प्रश्न, में विचार किया जायेगा। हम जानना चाहते हैं कि मांगों की उन श्रेणियों का क्या हुआ जिन्हें पुलिस आयोग के कार्य क्षेत्र से बाहर बातचीत द्वारा निपटाने का प्रस्ताव किया गया था।

महोदय, अपने दल की ओर से मैं इस विधेयक का कड़ा विरोध करता हूं।

श्री जोकीम आल्वा (कनारा) : पुलिस बल के अधिकारों पर कुछ निर्बन्धन लगाने के लिए जो विधेयक पेश किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं। श्री इन्द्रजीत गुप्ता ने अपना मत बहुत तर्क-संगत ढंग से पेश किया है तथा उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया है तो भी हमारा उनका मूलभूत बातों पर भेद हो सकता है। अतः मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह मेरी बात भी सुने।

मेरा पुलिस के साथ काफी सम्पर्क रहा है। जब अध्यक्ष ने मुझे हाउस ऑफ कॉमन्स में भेजा था तो वहां भी मैंने एक सिपाही से पूछा था कि लन्दन में इतने अधिक अपराध क्यों होते हैं तथा जब मैं न्यूयार्क गया तो एक पुलिसमैन ने मुझे अपना थैला खोलने के लिये बार-बार कहा, हालांकि मैंने उसे बता दिया था कि मैं एक संसद सदस्य हूं और जब उसमें एक सेव के सिवाय कुछ नहीं निकला तो वह शर्मिन्दा होकर चला गया। तब मैंने उसे बताया था कि यहां की पुलिस से तो हमारी बम्बई में महाराष्ट्र पुलिस ही अधिक होशियार है, क्योंकि वह इस प्रकार थैला खुलवाने की जिद्द नहीं करती।

मैं पुलिसमैनों को अपनी श्रद्धा भेंट करता हूं। वे विधि तथा व्यवस्था की बलिवेदी पर अपना बलिदान करते हैं तो भी न कोई उनकी सराहना करता है न उनके लिए दो आंसू बहाता है। मैं मानता हूं कि पुलिस में भी कुछ अवांछनीय तत्व हैं और वे कुछ अशोभनीय कार्य करते हैं, अन्यथा पुलिस का काम बहुत शानदार है। 7 नवम्बर को दिल्ली पुलिस के सिपाहियों ने बहुत शानदार काम किया है। यदि उन्होंने अपना कर्त्तव्य पालन न किया होता तो आज आप और मैं इस सभा में बैठे हुए नहीं होते, क्योंकि जनता में कुछ ऐसे लोग हैं, जो इस सभा भवन को ही आग लगा देते। मैं दिल्ली के बहादुर पुलिसमैनों को अपनी श्रद्धा पेश करना चाहता हूं जिन्होंने इतने समय तक राजधानी की रक्षा की है। बम्बई की पुलिस की भी सराहना करता हूं। उन्होंने हमेशा बड़े-बड़े अपराधों का पता लगाया हैं। पुलिस वाले कभी जनता में बात-चीत नहीं करते। वे केवल आपस में बातचीत करते हैं। वे जनता को आहत नहीं करते, परन्तु जनता की रक्षा करते हैं। अब यदि पुलिस में भी यूनियन बनने दी गई, जिसका कि हमें आखिर तक सहारा रहता है तो देश में विधि और व्यवस्था समाप्त हो जायेगी और तब हमें केवल सेना पर आश्रित रहना पड़ेगा।

महोदय, मैं चाहता हूं कि पुलिसवालों को पर्याप्त चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें दी जायें। उन्हें दिन में तथा रात में बहुत-बहुत घण्टों तक काम करना पड़ताहै। कभी-कभी तो उन्हें 12, 13 अथवा 18 घण्टे तक काम करना पड़ता है। अतः उन्हें बहुत अच्छी खुराक दी जानी चाहिये। काम के दौरान आराम के लिए दिये गये छोटे-छोटे अवकाशों में उन्हें ठण्डे पेय, चाय, कॉफी आदि दी जानी चाहिए और इसके लिए आय-व्ययक के उपबन्धों को ध्यान में नहीं रखना चाहिये। उनके बच्चों की शिक्षा का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाना चाहिये। मैंने बम्बई में पुलिस अधिकारियों की एक क्लब देखी है, परन्तु साधारण सिपाहियों के लिए कोई क्लब नहीं है। साधारण सिपाहियों, उनके परिवारों तथा बच्चों के लिए भी क्लबें होनी चाहिए। प्रतिरक्षा बलों के कर्मचारियों की भांति सेवा-निवृत्ति के पश्चात उन्हें भी भूमि मिलनी चाहिए ताकि वे खेती-बाड़ी मुर्गी-पालन आदि का काम कर सकें और सेवा-निवृत्ति के पश्चात् अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसकी व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिए। हमें केवल एक आयोग की नियुक्ति करके तथा उसके लिए, 1 CO,CCO अथवा 50,COO हजार रुपये का अनुदान देकर यह नहीं समझना चाहिए कि सिपाहियों की शिकायतें दूर हो गई है। यह एक अच्छी बात है कि एक आयोग की नियुक्ति की गई है, परन्तु अन्ततः गृह-मंत्रालय को पुलिस के हितों की रक्षा करनी चाहिए।

देश की पुलिस के सिपाहियों ने काफी अच्छा काम किया है। वे अपने परिवारों से दूर रह कर अपने कर्त्तव्यों को पूरा कर रहे हैं तथा उनका जीवन सदा खतरे में रहता है। सीमा-शुल्क तथा गुप्तचर आदि विभागों में भी उनका काम सराहनीय है। ये ही वे लोग हैं जिन पर कानून तथा व्यवस्था के लिए हमें निर्भर रहना पड़ता है। यदि वे यूनियन बनाने की सोच रहे हैं तो विधि तथा व्यवस्था का क्या होगा ? यदि वे हड़ताल कर देते हैं तो नागरिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ जायेगी। अतः मुझे विश्वास है कि यदि कोई विरोधी दल की सत्ता संभाल लेता है तो उसे भी न केवल इस कानून को जारी रखने के लिए बल्कि इसमें कुछ और उपबन्ध जोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। पुलिसमैनों को सुविधायें दी जानी चाहियें, परन्तु उन्हें यूनियन बनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

श्री नम्बियार (तिरूचिरापलि) : मैं इस विधेयक का कड़ा विरोध करता हूं। मेरे विरोध के यह कारण नहीं हैं कि मुझे पुलिस वालों से कोई विशेष प्रेम है, मेरे लिये तो सब नागरिक समान हैं। मैं इस विधेयक का विरोध इस लिये करता हूं, क्योंकि यह एक बुरा विधेयक है। यह कहना बिलकुल गलत और दोषपूर्ण है कि साम्यवादी स्थिति का लाभ उठाना चाहते हैं और पुलिस को सरकार के विरुद्ध भड़काना चाहते हैं।

हमारे देश में समूचे रूप से तथा दिल्ली में विशेष रूप से सिपाहियों के साथ इतना बुरा व्यवहार किया जाता है कि अपने कष्टों के निवारण तथा अपनी दशा को सुधारने के लिये अपनी एक संस्था बनाने के अतिरिक्त उन के पास कोई चारा नहीं रह जाता। वे देश के राजनीतिकतंत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने यह बात स्पष्ट कर दी है। आपने कहा है कि वे एक एसोसियेशन अथवा कोई ऐसी ही संस्था बना सकते है, परन्तु यूनियन नहीं बना सकते। मैं समझता हूं कि इस बात से कोई अन्तर नहीं पड़ता कि वे इसे ऐसोसियेशन कहते हैं अथवा यूनियन। यदि सरकार द्वारा बिना कोई शर्त लगाये अपनी स्थिति को सुधारने के लिए सिपाहियों को ऐसोसियेशन बनाने की अनुमति दी जायेगी, तो वे इससे सन्तुष्ट हो जायेंगे।

मुझे पुलिस के आन्दोलनों की कुछ जानकारी है। मद्रास में पुलिस ने आन्दोलन किया था

तो वहां के मुख्य मन्त्री ने वहां की पुलिस को दो दलों में विभक्त कर दिया तथा उन पुलिस वालों को जो अपनी हालत में सुधार के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, दूसरे पुलिस वालों से पिटवाया। हाल में दिल्ली पुलिस ने अपनी उचित मांगों का प्रदर्शन किया है। इसलिए उनके साथ सहानुभूति से व्यवहार किया जाना चाहिये। पुलिस अराजपत्रित कर्मचारी यूनियन के नाम से 7-9-1966 को एक याचिका दिल्ली के पुलिस महा-निरीक्षक, गृह कार्य मंत्री, उच्चायुक्त तथा उपायुक्त को दी गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि पुलिस वाले कितनी बुरी हालत में गुजारा कर रहे हैं। यदि उन्होंने अपनी शिकायतों को बताने के लिए अभी तक कोई संघ नहीं बनाया, तो यह उनकी मेहरबानी है और वे इतने दिनों तक इतनी खराब हालत में रहे।

पुलिस के एक सिपाही को लगभग 110 रुपये वेतन मिलता है। यह सोचने की बात है कि वह केवल 110 रुपये में दिल्ली जैसे नगर में इस महगाई के समय कैसे गुजारा करता होगा। इसके अतिरिक्त उसे दिन रात 24 घण्टे काम करना पड़ता है तथा उसे कोई आराम नहीं दिया जाता और न ही अधिक घण्टे काम करने के लिये उसे कोई समयोपरि भत्ता दिया जाता है। क्या इन सुविधाओं का न दिया जाना उचित है। पुलिस के अराजपत्रित कर्मचारियों ने अपनी याचिका में पुलिस अधिकारियों के लिये निम्नलिखित वेतन क्रमों की मांग की है :—

सिपाही :	110 रुपये से 180 रुपये तक
हैड कांस्टेबल :	150 रुपये से 210 रुपये तक
सब-इंस्पैक्टर :	210 रुपये से 330 रुपये तक
इंस्पैक्टर :	380 रुपये से 480 रुपये तक

मैं समझता हूं कि दिल्ली पुलिस के सिपाही के लिये 110 रुपये के वेतन की मांग अनुचित नहीं है। परन्तु सरकार इस पर विचार करने को तैयार नहीं है। इसके विपरीत संविधान के अनुच्छेद 32 की शरण लेकर सरकार उन्हें संघ बनाने से भी वंचित कर रही है। यह बहुत अनुचित व्यवहार है। पुलिस के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिये। गत 18 वर्षों में पुलिस ने देश की बहुत बड़ी सेवा की है। पुलिस के सिपाहियों को संघ बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए तथा सरकार को यह धारणा नहीं बनानी चाहिए कि यदि उन्हें कार्मिक संघ बनाने की अनुमति दी गई, तो वह सरकार के विरूद्ध काम करेंगे। पुलिस के आन्दोलन को राजनैतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिये, ऐसा करना अनुचित है।

वह चाहते हैं कि उन्हें अच्छा मंहगाई भता मिले। जब आज सब जगह सरकारी कर्मचारी मंहगाई भत्ते की मांग कर रहे हैं तो पुलिस वालों को इस हक से वंचित क्यों रखा जाय। इन लोगों के कन्धों पर तो देश में विधि और व्यवस्था बनाये रखने का उत्तरदायित्व है। इस मामले में सरकार की आंखें तब खुली हैं जब कि उन लोगों ने अपना संघ बनाकर उसे रजिस्टर करने का आवेदन पत्र दे दिया। यह बड़ी ही शोचनीय स्थिति है। आप इस सब का दोष राजनीतिज्ञों और विशेषकर साम्यवादियों पर मढ़ देंगे। क्या आप को यह भय है कि हम लोग इस संघ में घुस जायेंगे। पर हमें तो कार्मिक संघों, औद्योगिक तथा कृषि कार्यों में से ही कोई मदद नहीं मिलता। पुलिस वालों के कार्मिक संघ में दिलचस्पी लेने का अपने पास समय ही नहीं है। पर केवल हमारे डर से ही उन बेचारे पुलिस वालों को उनके हक से वंचित न करो। आखिर उनकी मांगों का माननीय आधार है और वे वही मांग रहे हैं जो जिन्दा रहने के लिए जरूरी है। यह भी बात नीयी सुग हैं

कि छोटे पुलिस वाले बड़े अधिकारियों के घरों का काम भी करने पर मजबूर किये जाते हैं। मेरा निवेदन यह है कि पुलिस कर्मचारियों को भी छुट्टियां मिलनी चाहिए और यदि किसी गजटिड छुट्टी पर काम करे तो उन्हें समय के बाद काम करने वाला भत्ता मिलना चाहिए। ठीक है कि पदोन्नति करते समय योग्यता का विशेष ध्यान रखा जाय परन्तु इस पर भी वरिष्ठता की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। गोपनीय रिपोर्ट का सहारा लेकर पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। यदि किसी देश की सेवा और पुलिस में भ्रष्टाचार आ घुसे तो उस देश का खुदा ही हाफिज है।

मेरा निवेदन है कि हमारे गृह-कार्य मंत्री महोदय को इन पुलिस वालों का अभ्यावेदन पढ़ना चाहिए और उनके साथ पूरी तरह सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। उन्हें आंतकित करने के स्थान पर उनका पूरा सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। संघ बनाने के लिए उन्हें दो वर्ष की कैद का डर नहीं दिखाया जाना चाहिए। जो यह विधान प्रस्तुत किया गया है यह बहुत ही खतरनाक है। इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं कि मैं कह सकूं कि यह बहुत ही खतरनाक है। इसके लिये मेरे पास शब्द नहीं कि मैं कह सकूं कि यह बहुत ही खतरनाक है। इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए। पुलिस वालों को दो वर्ष की सजा की व्यवस्था करना बहुत बड़ी सजा और बहुत बड़ा अन्याय है। अतः मेरा कहना है कि यह विधेयक बहुत प्रतिक्रियावादी है। मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas):

I donot support this Bill fully, but give my support to some of its portions. I feel that our Government are doing a fare treatment with Police Force. We should not be callously indifferent towards their demands I do feel that there should not be a union of border police and civil police, but we should see to their difficulties very seriously. There are so many petty demands which have not been met so far. The demands regarding their service conditions and uniform etc. should not be ignored altogether. Prices are rising very terribly and a police man gets only 110 rupees. They cannot make both ends meet in this amount. Then they have te look towards some corrupt means. This should be attended to.

I also want to urge that when the police man are posted at hard duties at some functions and fairs, they should be provided with food and given some time for rest. The difference that exists between the Central Government employees and the police employees should be done away with. If they are made to work for more than eight hours then adequate overtime should be paid. We should always remember the role played by the police in maintaining the law and order in the country. If this Section remains dissatisfied then the results can be very horrible. If these people also take to strike the situation would become completely uncontrolable. My suggestion is that for this problem Government should appoint an All party Committee and consider the petty demands of the police regarding uniform, quarters education of their children etc. With these words I support this Bill and urge that police men should not be investigated in any circumstances.

श्री श्याम लाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर)। मैं कार्मिक संघवाद समर्थक और दोषक रहा हूं। मेरी यह धारणा रही है कि हमारे सभी दिशाओं के कर्मचारियों की ठीक तरह से देखभाल हो और उनमें आत्म निर्भरता की भावना का निर्माण हो। हमें उन्हें यह समझना होगा कि उन्हें उनके अधिकार तो दिये ही जायेंगे, पर उन्हें अपना दायित्व भी पहिचानना होगा। केवल अधिकारों की ही बात करना और दायित्वों की उपेक्षा कर देना ठीक नहीं कहा जा सकता। पुलिस वालों को अपना कर्तव्य तो करना ही होगा। केवल पुलिस वालों को ही काम में कठिनाइयां नहीं आती, देश में और भी ऐसे वर्ग हैं जिन्हें बड़ी भीषण कठिनाइयों का सामना करना होता है।

मैं इस बात का पूरा समर्थक हूँ कि पुलिस वालों को कुछ लाभ दिया जाना चाहिए। उनकी सेवा शर्तों को सुधारना चाहिए, उन्हें अच्छा जीवन व्यतीत करने लायक पैसा दिया जाना चाहिये। यह भी ठीक है कि बड़े अधिकारी छोटे कर्मचारियों से अनुचित रूप से घरेलू काम करवाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पर मेरा निवेदन है कि आज देश जिस स्थिति से निकल रहा है उसमें पुलिस वालों को संघ बनाने की अनुमति देना खतरनाक है। आगे हीं हम देखते हैं कि सभी दिशाओं में अनुशानहीनता बढ़ रही है। यदि इन लोगों में भी उसी तरह का रोग फैल गया तो हमारी सुरक्षा खतरे में पड़ जायेगी। यदि नवम्बर के उस दिन जबकि गड़बड़ हुई, पुलिस अपना काम छोड़ देती तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। और बहुत कम लोग इस बात को मानते हैं कि सीमाओं पर क्या हो रहा हैं। हमारी रक्षा के लिए यह जरूरी है कि पुलिस वालों में अनुशासन रहे और उन्हें इस तरह के संघ बनाने की अनुमति न दी जाय।

मैं मंत्री महोदय से यह जरूर कहूंगा कि उन्हें इन लोगों की आवश्यकताओं और मांगों की ओर ध्यान देना चाहिए। उचित रूप से उनके वेतन बढ़ाये जाने चाहिए। उनकी सेवा शर्तों को सुविधाजनक बनाना चाहिए। यदि पुलिस वाले बाहर भेजे जाय तो उन्हें उचित खाने पीने और यात्रा का भत्ता दिया जाना चाहिए। बड़े अधिकारियों को छोटे कर्मचारियों से अच्छा व्यवहार करना होगा। परन्तु इन लोगों में अनुशासनहीनता ही और वह भी राजनीतिक अनुशासन हीनता की अनुमति नहीं दी जा सकती। अतः मेरा कहना है कि हमें इस विधेयक को पारित करना ही चाहिए और इन लोगों को पता लगना चाहिए कि उन्हें कहां और किस तरह काम करना है। हमारे पुलिस वालों ने हमारी सीमाओं पर बड़ा शानदार काम किया है और हम उन्हें भुला नहीं सकते। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं, पर साथ ही मेरा यह भी कहना है कि इन लोगों कि शिकायतों पर विचार किया जाना चाहिए।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) :

हमारी सरकार ने सतरह बरस के बाद इस विधेयक को प्रस्तुत किया है। इससे यह पता चलता है कि इस दिशा की समस्याओं की ओर सरकार की क्या नीति रही है। हमारा पुलिस बल जिन कठिनाइयों का देश में सामना करता रहा है उसको देखते हुए उनकी समस्याओं को बहुत पहले हल किया जाना चाहिए था। मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ कि संसद में प्रस्तुत हुए इस विधेयक के विरूद्ध पुलिस कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने इसके विरूद्ध आपत्ति की है। शायद गृह मंत्री इस बात को भूल गये कि कुछ दिन पहले हमने इस देश में राज्यों के मुख्य मंत्रियों को हड़ताले करते देखा है। यदि मुख्य मंत्री और मंत्री हड़ताले कर सकते हैं तो पुलिस वाले क्यों न हड़ताले करें? सचमुच यह बड़ी खेदजनक बात है कि पुलिस के कर्मचारियों को ऐसा पग उठाना पड़ा।

हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि देश की सुरक्षा के लिए पुलिस वाला एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रहरी है। सशस्त्र सेनाओं के बाद उसका स्थान है। बिना अनुशासन के स्वतन्त्रता जीवित नहीं रह सकती। यह बड़ा जरूरी है कि इन बलों के लोग देश की बाह्य और आन्तरिक सुरक्षा का कार्य करें। और इस कार्य को करते हुए पूर्ण रूप में अनुशासन में रहें। परन्तु साथ ही में इस बात की उपेक्षा नहीं कर सकता कि सरकार उनकी उचित मांगों की ओर ध्यान न दे। और केवल उनके लिए व्यापक संहिता ही बनाती रहे।

पुलिस वालों के बारे में विभिन्न समस्याओं पर विचार करने के लिए समय समय पर समितियां बनाई जाती रही है परन्तु इस दिशा में कोई रचनात्मक कार्य नहीं हो पाया । इन लोगों की समस्याओं की ओर सरकार प्रायः उपेक्षाभाव ही अपनाती रही है । यही कारण है कि आज पुलिस वाले हड़ताल करने और अपना संघ बनाने की मांग करते हुए हमें दिखायी दे रहे हैं । हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि एक पुलिस वाला कितना अल्प वेतन पाता है । जिस देश का पुलिस वाला केवल सौ रुपये मासिक पाता है उस देश में लोकतंत्रीय समाजवाद कैसे पनप सकता है ?

मुझे इस बात का पता है कि इन लोगों की मांगों पर विचार करने के लिए एक आयोग की स्थापना की गयी पर कुछ हुआ नहीं । हमारी सरकार अमीरी और गरीबी के अन्दर जो खायी है उसको दूर नहीं कर पायी । आज भी इन लोगों के वेतन इत्यादि वही है जो अंग्रेजों के ज़माने में थे । अब मैं असली प्रश्न की ओर आता हूं । प्रश्न यह है कि पुलिस वालों को संघ बनाने की अनुमति दी जाय अथवा नहीं ? अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत देश की व्यवस्था और नैतिकता के हित में कुछ उचित सीमा पर रोके लगायी जा सकती हैं । और उसी आधार पर यह विधेयक आज हमारे सामने हैं । मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि यदि एक बार इन लोगों को संघ बनाने का अधिकार दे दिया गया तो उन्हें हड़ताल करने का हक भी देना होगा । यह बहुत बुरी बात है, अतः इस दृष्टि से इस विधेयक पर सभा को बड़ी गम्भीरता से विचार करना चाहिए । संविधान द्वारा दिये गये मूल अधिकारों और देश की सुरक्षा की बात को सामने रख कर ही इस प्रश्न का फैसला करना होगा । यदि हमने सशस्त्र बलों और पुलिस वालों को संघ बनाने और हड़ताल करने की अनुमति दे दी तो सरकार का चलना असम्भव हो जायेगा । इसमें यह सवाल नहीं है कि सरकार किस पार्टी की होगी । ऐसी स्थिति पैदा हो जाय तो कोई भी सरकार, चाहे वह किसी भी दल की हो खतरे में पड़ सकती है । मेरा तो यही सुझाव है कि विटले परिषद की तरह की कोई परिषद् बनायी जानी चाहिये और उसे पुलिस वालों की मागों पर विचार करना चाहिये । मैं कह नहीं सकता कि सरकार क्या करेगी परन्तु फिर भी मैं इस विधेयक को अपना आनशिक समर्थन प्रदान करता हूं ।

श्री दी० च० शर्मा (गुरदास पुर) : मैं इस बात को स्वीकार करने में किसी से पीछे नहीं हूं कि पुलिस वालों ने देश की बड़ी सेवायें की हैं । अभी इस मास की 7 को ही पुलिस ने अपना महत्व स्थापित किया । यदि पुलिस वहां न होती तो पता नहीं क्या हो जाता शायद हमारी राजधानी की शक्ल ही बदल जाती । मुझे उन लोगों से पूरी सहानुभूति है । जब वे लोग विधि और व्यवस्था को बनाये रखने के लिए कभी लाठी और गोली का आश्रय लेते हैं तो विरोधी दल वाले 'न्यायिक जांच की मांग करने लगते हैं । इस बात से डर कर कई बार पुलिस वाले अपने कर्तव्य को करने में संकोच करने लगते है । मेरे विचार में विरोधी दलों वाले इन पुलिस दलों में भी अविश्वास के बीज बोने का प्रायास करते रहते हैं । उनके गौरव को नीचा करने का श्रेय भी इन्हीं लोगों को है । मैं चाहता हूं कि पुलिस वालों को भी यह महसूस होना चाहिए कि वह एक लोक कल्याणकारी राज्य में रह रहे हैं और देश की स्वतन्त्रा का लाभ उठाने का उनका भी वैसा ही हक है जैसा दूसरों का है ।

कोई व्यक्ति यह नहीं कहेगा कि उन्हें कोई लाभ नहीं मिलना चाहिए उन्हें मकानों की सुविधा भी मिलनी चाहिये । उन्हें पदोन्नतियां भी मिलनी चाहिए । किसी के साथ भेद भाव

और पक्षपात का व्यवहार नहीं होना चाहिए। देश का कोई भी सामान्य बुद्धि का व्यक्ति इन लोगों को दी जाने वाली इन बातों का विरोध नहीं कर सकता। और मुझे यह आशा है कि हमारे गृह-कार्य मंत्री उनकी इस प्रकार की मांगों पर विचार कर भी रहे हैं। मैं सीमा के जिले में रहता हूं और कई बार मैंने वहां की चौकियों पर काम करने वाले पुलिस कर्मचारियों की मांगों को अधिकारियों के सामने रखा है। सुरक्षा पुलिस में काम करने वाले की स्थिति और सेवा शर्तों में काफी सुधार भी किया गया है। अब उन्हें वेतन भी अच्छा दिया जाता है और उनकी यात्रा की सुविधायें में भी सुधार कर दिया गया है। उनके बच्चों की शिक्षा के बारे में काफी कुछ किया गया है।

यह सब ठीक है, पर मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूं कि देश की एकता और सुरक्षा को खतरे में डाल कर पुलिस वालों को संघ बनाने की अनुमति दी जाय। यह कार्मिक संघवाद पुलिस बल में नहीं आना चाहिए। इससे कई तरह की राजनीति और साम्प्रदायिकता इन वर्गों में फैल जायेगा जोकि बहुत ही खतरनाक है। मेरी प्रार्थना यह है कि ईश्वर के लिए पुलिस बल की एकता को नष्ट करने का प्रयास मत करो। इस दृष्टि से यह विधेयक किसी का विरोधी नहीं है, इसका केवल एक ही उद्देश्य है कि देश की एकता को कायम रखा जाय। इस विधेयक को उन लोगों का समर्थन भी मिल रहा है जोकि आयु भर कार्मिक संघवाद का प्रचार करते रहे हैं। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं पर इतना जरूर निवेदन करूंगा कि पुलिस वालों की शिकायतों को यथाशीघ्र दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad):

There is a great need to form the union of the police force. This is essential in order to safeguard the rights and interests of 15 to 16 thousand police men. It is true that duty of the police is to prevent crime. But it is a fact that police has not been able to prevent the organized types of crimes in this country. Sometimes innocent people are also made criminals. I feel that our Home Minister is perturbed because of this union, because this will bring forward some special types of crimes in the fore and they may be furnished to some extent.

Crimes committed by high officers are suppressed even if any person dares to reveal those crimes. But if any police union is formed, they will have the courage to reveal such crimes.

The policemen have to be on duty for twenty four hours in India whereas the duty in others countries is eight hours. In human treatment is meted out to them. This creates a tendency in the policaman to illtreat the public. The police officers are responsible for such state of affairs.

The salary of Inspector General of Police is 57 times the pay of an ordinary policemen. If other amenities given to Inspector-General are also taken into account the difference will be 100 times. No facilities are provided to an ordinary policeman. The purpose of forming a union is to ameliorate their condition which is in the interest of the whole nation.

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न प्रस्तावित विधि की संवैधानिक मान्यता या प्रशासनिक वांछनीयता का नहीं है। हमारा सब से अधिक सम्बन्ध सेवा की उन शर्तों से है जिनके कारण पुलिस सेवा रहित सभी सेवाओं का नैतिक स्तर आज इतना गिर गया है जितना हमारे देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था।

पुलिस बल के संगठन के लिये किसी प्रकार की संस्था बनाने का प्रश्न एक गम्भीर प्रश्न है क्योंकि इसका सम्बन्ध देश के पुलिस सिपाहियों के जीवन से गहरा है । एक साधारण पुलिस कर्मचारी का जीवन निर्वाह वर्तमान परिस्थितियों में कठिन हो गया है ।

यदि कुछ बातों का सेवाओं तथा पुलिस बल के नैतिक स्तर पर प्रभाव पड़ता है तो सरकार तथा सदन को उन पर शीघ्रातिशीघ्र ध्यान देना चाहिये । सेवाओं के नैतिक स्तर को उठाना बहुत अनिवार्य है । सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिये प्रयत्न करना चाहिये कि सेवायें देश की सेवा श्रेष्ठतम ढंग में करें ।

इस विधेयक द्वारा लगाये जा रहे प्रतिबन्ध विश्व के सभी उन्नत देशों में लगे हुए हैं । परन्तु जैसा की श्री कामत ने कहा है, उनकी शिकायतों को दूर करने के लिये तथा कष्टों के निवारण के लिए उसी प्रकार के सेवा के अन्दर संगठन होने चाहियें ग्रेट ब्रिटेन की पुलिस परिषद की भान्ति विकास बनाने के लिये विधेयक में उपबन्ध किया जाना चाहिये था ताकि पुलिस के कर्मचारी अपनी कठिनाइया वहां स्पष्ट कर सकते और उनका निवारण सहानुभूति पूर्वक किया जा सकता । यदि ऐसा नहीं होगा तो सेवाओं का तेजी से गिर रहा स्तर कहीं न कहीं फूट जायेगा और यह प्रजातन्त्र के हित में नहीं होगा । इस लिये, माननीय मंत्री को सभा को यह विश्वास दिलाना चाहिये कि कोई ऐसा विकास बनाया जायेगा जहां सेवा सम्बन्धी शिकायतें और कठिनाइयां रखी जा सकेंगी और उनका निवारण करने के लिए उचित और सहानुभूतिपूर्वक कार्यवाही की जायेगी ।

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : श्री कामत ने ठीक कहा है कि प्रथम पुलिस आयोग को कठिन समस्याओं का सामना था । उस आयोग में मेरे साथ एक उच्च साम्यवादी नेता थे जो अब मद्रास के यहां-अधिवक्ता हैं । उस आयोग ने निर्णय किया था कि पुलिस बल को किसी राजनैतिक संस्था या कर्मचारी संघ में सम्बद्ध न होने दिया जाये । ब्रिटेन में भी यह कानून है कि पुलिस बल राजनैतिक दलों में सम्बन्धित नहीं हो सकते । यह ठीक है कि राजनैतिक दलों पर प्रतिबन्ध लगाये जायें किन्तु कोई ऐसा संगठन होना चाहिये जिसके द्वारा मंत्री महोदय का ध्यान शिकायतों की ओर आकृष्ट किया जा सके और यदि आवश्यक हो तो यह शिकायतें संसद के समक्ष लाई जा सकें । यदि मंत्री महोदय यह स्पष्ट कर दें कि शिकायतों के बारे में सूचना देने के लिए सामान्य तरीकों का प्रयोग किया जावेगा और पुलिस बल के ऐसे संगठन होंगे जो कि राजनीतिक दलों से सम्बन्धित नहीं होंगे । तो इसका कोई विरोध नहीं होगा । परन्तु यदि उन पर प्रतिबन्ध लगा दिया जायेगा और वह प्रतिबन्ध ऐसा होगा कि शासक और शासित में सम्पर्क समाप्त हो जायेगा तो उसका कड़ा विरोध किया जायेगा ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti (Jhajjar):

Whenever any policeman meets me, he asks me what we are doing with regard to them. I urge the hon. Minister to look to the requirements of policemen. They may or may not be allowed to form an union but they should be provided with the means of maintenance.

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : यह बात बिलकुल गलत है कि सरकार को पुलिस बल में विश्वास नहीं रहा है या उनका सरकार में विश्वास नहीं रहा हैं । मैं उनके काम की प्रशंसा करता हूं । हमारा पहले की तरह अब भी विश्वास है और भविष्य में भी रहेगा । किन्तु उन तत्वों में अवश्य ही मुझे विश्वास नहीं रहा है जो पुलिस के कर्मचारियों की निष्ठा समाप्त करने

का प्रयत्न कर रहे हैं। यह बहुत ही प्रशंसनीय बात है कि पुलिस बल भड़काने के बावजूद भी निष्ठावान रहा है।

निस्सन्देह पुलिस कर्मचारियों को कुछ शिकायतें हैं। मैं सभा तथा दिल्ली के पुलिस कर्मचारियों को आश्वासन दिलाता हूं कि यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनकी शिकायतें दूर करने के लिए शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करूं।

[श्री श्याम लाल सर्राफ पीठासीन हुए
Shri Shayam Lal Saraf in the Chair]

यह विधेयक पुलिस बल के विरुद्ध नहीं परन्तु बाहर यह प्रचार किया गया है कि यह "काला कानून" है। इस विधेयक में विनियमित रूप से संगठन बनाने के लिये व्यवस्था की गई है। सरकार की पूर्व अनुमति से संघ अवश्य ही बनाये जा सकते हैं। किन्तु मैं यह नहीं चाहता कि पुलिस किसी राजनैतिक संघ या राजनैतिक प्रभाव से प्रभावित हों और न ही किसी मजदूर संघ का प्रभाव पुलिस संघों पर पड़ने दिया जाये। मैं मानता हूं कि पुलिस के लिये आवास और उनकी सेवा की शर्तों पर तुरन्त ध्यान देना आवश्यक है। इसी प्रयोजन से सरकार ने पुलिस आयोग नियुक्त किया है जो दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के पुलिस बल के अराजपत्रित सदस्यों की सेवा की शर्तों, उनके काम तथा रहन-सहन की जांच करेगा और उनकी कार्यकुशलता तथा कल्याण को प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यक उपाय सुझायेगा। आयोग के सामने विचार का क्षेत्र बहुत विस्तृत है।

इस विधेयक का प्रयोजन कोई अच्छी कार्यवाही बन्द करना नहीं है। इसका उद्देश्य यह है कि ऐसी कार्यवाही को काफी अच्छी तरह विनियमित किया जाये। हम निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में पहुंच गये हैं जबकि उन लोगों को अपना संघ बनाने की आवश्यकता है। इस विधेयक का प्रयोजन पुलिस के कल्याण को रोकना नहीं है बल्कि उसको न्यायपूर्ण तथा उचित ढंग से बढ़ावा देना है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त कतिपय अधिकारों को, उन बल सदस्यों को, जो लोक व्यवस्था बनाये रखने का भार-साधन करते हैं, लागू होने के सम्बन्ध में इस प्रकार निर्बन्धित करने के लिये कि उनके कर्त्तव्यों का समुचित निर्वहन और उनमें अनुशासन बनाये रखना सुनिश्चित किया जा सके, उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य-सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was Adopted

सभापति महोदय : जब विधेयक पर खण्डशः चर्चा होगी, क्या कोई सदस्य खण्ड 2 पर अपने संशोधन प्रस्तुत करना चाहता है।

श्री नम्बियार : मैं संशोधन संख्या 6 प्रस्तुत करता हूं। मैंने अपने भाषण में पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि इस बात से कोई अन्तर नहीं पड़ता कि शब्द "एसोसिएशन" का प्रयोग किया जाये अथवा "यूनियन" का। पुलिस बल संघ आकाश में तो बन नहीं सकते। इसे भूमि पर उसका संगठन किया जाना है। इस विकास के उद्देश्य के लिये "पुलिस बल का सदस्य" का अर्थ कम से कम वह व्यक्ति होना चाहिये जो हैड-कान्सटेबल से ऊपर हो। इस प्रकार एक हैड-

कान्सटेबल को संघ बनाने की अनुमति दी जाये और जब वह संघ बन जाता है तो सरकार उस संघ से सम्पर्क स्थापित कर सकती है और उनकी समस्याओं पर विचार कर सकती है। इस अधिकार पर पहले कोई शर्त नहीं लगानी चाहिये अन्यथा कोई वास्तविक संघ कभी नहीं बन सकेगा।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : शब्द "एसोसिएशन" तथा "यूनियन" में अन्तर है। एसोसिएशन बनाने का अधिकार दिया जा सकता है परन्तु वह केवल एक सामाजिक, मनोरंजक, शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक सस्था हो सकती है। उसके राजनैतिक तथा कार्मिक संघ के उद्देश्य नहीं हो सकते।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यह विधेयक पुलिस बल के एसोसिएशन बनाने के अधिकार में बाधा नहीं है। यदि आवश्यक हुआ तो मैं उस संघ के विधान का नमूना प्रस्तुत कर सकता हूं और उसे पुलिस बल में परिचालित कर सकता हूं। पुलिस बल उसे आधार पर एक संगठन बना सकता है। यदि माननीय सदस्य का संशोधन स्वीकार कर लिया जाये तो इससे विधेयक का आधार समाप्त हो जाता है। इसलिये मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।

सभापति महोदय : अब मैं श्री नम्बियार द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 6 सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 6 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 6 was put and nagatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : "कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खन्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 2—एसोसिएशन बनाने, भाषण की स्वतन्त्रता आदि के अधिकार सम्बन्धी प्रतिबन्ध।

श्री नम्बियार : मैं संशोधन संख्या 7 से 9 प्रस्तुत करता हूं।

खण्ड 3 (1) के उप-खण्ड के अन्त में "अपनी दशा सुधारने के लिये अपने संघ के अतिरिक्त शब्दों को जोड़ा जाना चाहिये। इस खण्ड के बिना उप-खण्ड उपहासजनक लगता है और उसकी शक्तियां बहुत व्यापक लगती हैं। पुलिस बल के सदस्यों को एक ऐसे संघ के साथ सम्बद्ध होने का अधिकार मिलना चाहिये जो उनका अपना संघ है।

विधेयक का उद्देश्य यह है कि इस बात पर ध्यान रखा जाये की पुलिस बल राजनैतिक कार्यवाहियों में न पड़े। खण्ड (3) के उप-खण्ड (2) में "अथवा ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिये जो विदित हों" शब्द अनावश्यक है और वह हटा दिये जाने चाहियें।

मंत्री महोदय ने कहा है कि मंत्रालय आदेश संविधान दे सकता है। सभा को यह आश्वासन दिया जाये कि इस अधिनियम के पश्चात गृह-कार्य मंत्री एक परिपत्र जारी करेगा

जिसमें यह स्पष्ट किया जायेगा कि संघ किस प्रकार बनाया जा सकता है। जब एक बार संघ का संविधान स्वीकृत हो जाता है और मंत्रालय को भेज दिया जाता है तो मंत्रालय को उसे अवश्य मान्यता देनी चाहिये।

श्री स० मो बनर्जी (कानपुर) : इस विधेयक में एसोसिएशन बनाने का अधिकार नहीं दिया गया है। कल जब यह विधेयक प्रस्तुत किया गया था तो मैने कहा था कि पुलिस कर्मचारी भी इसी देश में पैदा हुए हैं। संघ बनाना उनका मूलभूत अधिकार है। पुलिस बल के सदस्यों को अपने संघ का सदस्य बनने का अधिकार दिया जाना चाहिये। खण्ड (3) का संशोधन उचित रूप से किया जाना चाहिये। यदि उन्हें संघ बनाने का अधिकार न मिला तो स्वाभाविक ही देश में उसका गहरा प्रभाव पड़ेगा जो कि देश के हित में नहीं होगा।

श्री कु० कृ० वर्मा (सुल्तानपुर) : यह संशोधन बिलकुल निरर्थक है और इस विधेयक के खण्ड (3) के शब्द ठीक हैं। इसमें किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। संशोधन करके इस खण्ड का कार्य-क्षेत्र सीमित नहीं किया जाना चाहिये। यदि पुलिस बल को प्रदर्शनों में भाग लेने की अनुमति दी गई तो हमारा लोकतन्त्र तथा समूचा प्रशासन अस्त-व्यस्त हो जायेगा और इससे अव्यवस्था फैलेगी।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : पुलिस बल के किसी प्रदर्शन में भाग लेने पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये और उसे किसी ऐसे संघ में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये जो निर्दोष दिखाई देता हो परन्तु वास्तव में अवांछित कामों में संलग्न रहता हो। यह खण्ड उसी रूप में रहना चाहिये जिसमें प्रस्तुत किया जायेगा।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह बात विधेयक में बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि पुलिस बल के किसी संघ का स्वरुप विशुद्ध सामाजिक मनोरंजक अथवा धार्मिक है तो उसे काम करने की अनुमति दी जायेगी। हम यह नहीं चाहते की पुलिस दल किसी राजनैतिक संघ अथवा प्रदर्शन का किसी कर्मचारी संघ के आन्दोलन या ऐसे मामले में शामिल हो जिससे पुलिस का कोई सम्बन्ध न हो।

सभापति महोदय : अब मैं श्री नम्बियार के संशोधन संख्या 7 से 9 सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 7 से 9 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

Amendments No 7 to 9 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : "कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 3 was added to the Bill

खण्ड 4

श्री नम्बियार : मैं इस समूचे खण्ड का विरोध करता हूं। इसे निकाल दिया जाना चाहिये यह दण्ड देने का खण्ड है। यह संविधान के विरुद्ध है। दो वर्ष का कारावास देना नहीं चाहिये

परन्तु आप किसी को पद च्युत कर सकते हैं अथवा दण्ड दे सकते हैं। इसे हास्यास्पद विधि नहीं बनाया जाना चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं इस खण्ड का विरोध करता हूं और श्री नम्बियार का पूर्ण समर्थन करता हूं। यह खण्ड बहुत कठोर है। यदि इसे विधेयक में रहने दिया गया तो यह पुलिस बल को विधि का उल्लंघन करने के लिए बाध्य करेगा। यह खण्ड हटा दिया जाना चाहिये।

श्री शिंकरे (मारमागोआ) : मेरे प्रश्न का उत्तर देते हुए माननीय गृह-कार्य मंत्री ने कहा था कि इस विधेयक का खण्ड 4 नौसेना अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार है। पुलिस बल सशस्त्र सेनाओं का भाग नहीं है। यह एक असैनिक दल है और इसका क्षेत्राधिकार केवल सिविल है। कारावास के साथ दण्ड को न मिलाने के लिये खण्ड 4 में संशोधन किया जाना चाहिये।

श्री दी० चं० शर्मा : इस खण्ड में अधिकतम दण्ड की व्यवस्था है। न्यायालय इस बात के लिये बाध्य नहीं है कि वह 2 वर्षों के लिये कारावास दे या 2,000 रुपये दण्ड दे। यह बात भी नहीं है कि पुलिस बल के किसी सदस्य को दोनों ही सजायें दी जायेंगी।

न्यायालय के लिये कुछ भी अनिवार्य नहीं है। मामला न्यायालयों के विवेक पर छोड़ दिया गया है। न्यायालय उचित दण्ड देगें।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : यदि खण्ड 4 को खण्ड 3 के साथ मिलाकर पढ़ा जाये तो उससे कुछ भ्रम पैदा होते हैं। खण्ड 3 के स्पष्टीकरण के अनुसार केन्द्रीय सरकार से यह निर्णय करने का अधिकार होगा कि क्या कोई संस्था, जिसमें पुलिस के कर्मचारी शामिल हों, विधि के अनुसार है अथवा नहीं : इस कार्य के लिये इङ्गलैंड की भांति कोई स्वतन्त्र प्राधिकार होना चाहिये।

श्री नारायण पाण्डेकर (गोंडा) : अनुच्छेद 33 में पुलिस बल के मौलिक अधिकारों के एक अंश पर प्रतिबन्ध लगाने अथवा उसे रद्द करने की अनुमति दी गई है। किसी अपराध की परिभाषा नहीं दी गई है और जो परिभाषा दी गई है वह यह है कि पुलिस बल का कोई भी सदस्य, केन्द्रीय सरकार अथवा निर्धारित अधिकारी की स्पष्ट मंजूरी के बिना कुछ विशेष संगठनों का सदस्य नहीं बन सकेगा। सरकार को मौलिक अधिकारों को कम करने की शक्ति प्राप्त है और मैं इस बात से सहमतहूँ कि अधिकारों के संक्षेपण के उल्लंघन किये जाने पर किसी न किसी प्रकार की कार्यवाही करना जरूरी है। किन्तु कार्यवाही की जाने से पहले संक्षेपण के उल्लंघन को अपराध की संज्ञा दी जानी चाहिये जिससे कि केन्द्रीय सरकार यह निश्चय कर सके कि क्या अपराध किया गया है अथवा नहीं। उसके बाद दण्डाधिकारी परिस्थितियों पर विचार करके उसे थोड़ा आर्थिक दण्ड अथवा अल्पकालीन कारावास या दोनों दण्ड दे सकता है।

इस सम्बन्ध में मुझे केवल इतना ही कहना है कि किसी अधिकारी के संक्षेपण को उस संक्षेपण के उल्लंघन के लिये अपराध में नहीं बदला जा सकता।

Shri Bade (Khargon) : The provision of double punishment in clauses 3 & 4 to a person found guilty of infringement of this law is not proper. According to these provisions, such a person will not only be liable to dismissal from service but also to a fine or imprisonment or both being imposed on him.

The question whether any society, association or organisation is of a purely social

or religious nature should be decided by the court. It should not be left to the Government to take a decision on this matter.

I will, therefore; request the Home Minister to delete the explanation given in clause three and the doors of courts should be kept open.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने श्री दाण्डेकर तथा श्री कामत के साखान तर्कों को समझा है और उन पर विचार किया है। प्रश्न यह पूछा गया है कि क्या अधिकारों के संक्षेपण से अपराध बन जाता है ? अधिकारों के संक्षेपण से पुलिस बल के सदस्यों की कुछ विशेष जिम्मेदारियां पैदा हो जाती हैं और उन जिम्मेदारियों को न निभाने के लिये कुछ दण्ड देना जरूरी होता है। श्री कामत ने व्याख्या के सम्बन्ध में कुछ सन्देह व्यक्त किये हैं। मैं व्यक्ति गत रूप से महसूस करता हूं कि यह व्याख्या किसी संस्था को मान्यता देते समय के लिये रखी गई है। अन्य विभागीय कार्यवाही की जा सकती है। ऐसी कोई बात नहीं है जिससे ऐसे सन्देह पैदा हों। यदि पुलिस बल द्वारा कभी संयुक्त अथवा संगठित रूप से अवज्ञा की गई तो उससे उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिये विधेयक में ऐसी व्यवस्था की गई है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है "कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ :
Lok Sabha Divided
पक्ष में 79, विपक्ष में 20
Ayes 79 Noes 20
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :
The Motion was Adopted
खण्ड 4 विधेयक में जोड़ा गया :
Clause 4 was added to the Bill
खण्ड 5 विधेयक में जोड़ा गया :
Clause 5 was added to the Bill

खण्ड 6

श्री हरि विष्णु कामत : खण्ड 6 के अधीन संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह नियमों में संशोधन रूपभेद कर सकती है अथवा उन्हें अस्वीकृत कर सकती है। किन्तु वर्तमान लोकसभा को, जिसकी अवधि समाप्त होने को है, उन पर विचार करने का अवसर नहीं मिलेगा। अतः गृह मंत्री को यह आश्वासन देना चाहिये कि इस अधिनियमों के अधीन बनाये गये किसी भी नियम को तब तक लागू नहीं किया जायेगा जब तक कि चौथी लोक सभा को उनकी जांच करने तथा उनमें इस ढंग से जैसा कि वह उचित समझे, रूपभेद करने का अवसर न मिले।

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं ऐसा आश्वासन नहीं दे सकता।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है "कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :
The motion was adopted.
खन्ड 6 विधेयक में जोड़ा गया।
Clause 6 was added to the Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : "कि अनुसूची विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

The motion was adopted.

अनुसूचि विधेयक में जोड़ी गई ।

The Schedule was added to the Bill.

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 1, the Enacting Formula and The Title were added to the Bill.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है "कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

गोआ, दमण और दीव (अभिमत संग्रह) विधेयक

GOA, DAMAN AND DIU (OPINION POLL) BILL.

गृह कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : श्री मान मैं भी यशवन्तराव चव्हाण की ओर से प्रस्ताव करता हूं ।

"कि गोवा, दमण और दीव की भावी संस्थिति के विषय में वहां के निर्वाचकों की इच्छा जानने के लिये अभियत संग्रह तत्संसक्त विषयों के लिये उपबन्धक रहने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

श्री हरिविष्णु कामत (होशंगाबाद) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं इस महत्वपूर्ण विधेयक के पारित किये जाने में विलम्ब करने अथवा बाधा डालने का इच्छुक नहीं हूं किन्तु मैं आतुर इस बात के लिये हूं कि इस सभा में जो भी कार्य निस्पादित किया जाता है वह संविधान तथा प्रक्रिया-नियमों के अनुसार होना ज़रुरी है ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये ।
Mr. Speaker in the Chair.]

इस सम्बन्ध में मैं नियम 76 की ओर सभा का ध्यान दिलाता हूं जिसके अनुसार मंत्री को पर्याप्त कारण बताने जरुरी हैं कि वह विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत क्यों नहीं कर सकता । कार्य सूचि में दिखाया गया है कि श्री यशवन्तराव चव्हाण उक्त विधेयक पर विचार किये जाने का प्रस्ताव पेश करेंगे जबकि मंत्री महोदय ऐन मौके पर सभा से गायब हैं । उनके लिये इस अवसर पर यहां उपस्थित रहना जरुरी था । इसलिये पहले मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय ने इस सम्बन्ध में पर्याप्त कारण दिये हैं कि वह इस विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव क्यों नहीं प्रस्तुत कर सकते यदि वे पर्याप्त नहीं हैं तो फिर, अलबत्ता, आपको निर्णय लेना पड़ेगा, यदि कारण पर्याप्त हैं तो मामला यहीं पर समाप्त हो जाता है ।

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : नियम 76 के अनुसार जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वयं कहा है, "विधेयक के भार साधक सदस्य" का अभिप्राय उस

सदस्य से है जो विधेयक को पुनः स्थापित करता है और सरकारी विधेयक के मामले में कोई मंत्री, मंत्री-परिषद का एक सदस्य होता है, जिसमें राज्य-मंत्री, उप-मंत्री अथवा संसदीय सचिव शामिल हैं। अतः इनमें से कोई भी विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव रख सकता है। "की ओर से" वास्तव में एक औपचारिकता है।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : श्री कामत ने व्यवस्था का जो प्रश्न उठाया है उसके विरोध में हमारे पास अनेक पूर्वोदाहरण हैं इसलिये मैं समझता हूं कि हमें विधेयक पर आगे विचार करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री नाथपाई की बात से सहमत हूं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, यह एक छोटा सा विधेयक है जिसमें गोवा, दमण और दीव के लोगों की उस संघ राज्य क्षेत्र के भावी दर्जे के बारे में राय जानने की व्यवस्था है।

जैसा कि सर्वविदित है, हमने संविधान (संशोधन) विधेयक पारित किया और गोवा, दमण और दीव को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया था। दिसम्बर, 1963 में इस संघ राज्य क्षेत्र में एक विधान मंडल और मंत्री परिषद् की स्थापना की गई थी, तब से वहां विभिन्न वर्गों के लोगों की यह मांग रही है कि गोवा को महाराष्ट्र में मिला दिया जाये और कुछ वर्गों के लोग यह मांग कर रहे हैं कि वहां यथापूर्व स्थिति कायम रहने दी जाये। सरकार इस मामले पर विचार कर रही है और वह इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इस मामले में शीघ्र निर्णय किया जाना चाहिये क्योंकि यदि इस राज्य क्षेत्र का भविष्य अनिश्चित रहेगा तो वहां के विकास कार्य में बाधा पड़ेगी और उसको हानि पहुंचेगी। इस सम्बन्ध में कई सुझाव आये हैं किन्तु अन्त में हमने यह निर्णय किया है कि लोगों की राय जानने का सर्वोत्तम साधन 'राय सम्बन्धी मतदान' रहेगा क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न यदि आम चुनाव अथवा किसी उप-चुनाव के दौरान उठाया जायेगा तो लोगों के मतदान करने के ढंग का प्रभाव केवल इस मसले पर ही नहीं अपितु चुनाव लड़ने वाले लोगों के व्यक्तित्व पर भी पड़ेगा इसलिये इस सम्बन्ध में लोगों की विशुद्ध राय जानने के प्रयोजन से यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

गोवा में राय सम्बन्धी मतदान करने के निर्णय की घोषणा 2 नवम्बर, 1966 को की गई थी और उसी निर्णय के अनुसरण में यह विधेयक पुनः स्थापित किया गया है।

खण्ड 3, जिसमें विवाद का उल्लेख है, विधेयक का मुख्य खण्ड है और इसमें की गई व्यवस्था के आधार पर यह राय मतदान होगा। हमारा इरादा है कि राय-मतदान आम चुनावों से कुछ पहले आयोजित किया जाना चाहिए। इसलिए खण्ड 15 में उपबन्ध है कि मत प्रकट करने की तिथि राष्ट्रपति द्वारा निश्चित की जायेगी।

विधेयक के खण्ड 4 में यह व्यवस्था है कि गोवा में विधान सभानिर्वाचन-क्षेत्रों के निर्वाचक उसी क्षेत्र में मतदान देंगे और दमण तथा दीव के निर्वाचक अपने क्षेत्रों में मतदान करेंगे। इसके साथ साथ प्रत्येक बालिग़ के, जो कानूनी तौर पर मतदान में भाग लेने का हकदार है, नाम को उसके क्षेत्र के मतदाताओं की सूची में दर्ज कराने की उचित व्यवस्था की गई है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि राय-मतदान निष्पक्ष तरीके हों, हमने इस राय सम्बन्धी मतदान को मुख्य चुनाव आयुक्त की देख-रेख, निदेश एवं नियंत्रण में आयोजित करने का निश्चय किया है।

खण्ड 10 में विभिन्न स्थानों पर मतदान के केन्द्र स्थापित करने की व्यवस्था है और खण्ड 11 में प्रेजाइडिंग अफसरों तथा पोलिंग अफसरों की नियुक्ति करने का उपबन्ध है। खण्ड 16 में मतदान के घण्टों को मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा निर्धारित किये जाने की व्यवस्था है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में उल्लिखित निर्वाचन सम्बन्धी अपराधों तथा चुनावों के लिए परिसरों गाड़ियों आदि के अधिग्रहण सम्बन्धी उपबन्धों को भी खण्ड 29 तथा 30 के अन्तर्गत इस राय-मतदान पर लागू करने का विचार है।

संक्षिप्त में, हम जिस प्रक्रिया का इस राय–मतदान के मामले में अनुसरण करना चाहते हैं वह उसी प्रक्रिया के अनुकूल है जिसका हम राज्य विधान मण्डलों एवं संसद के चुनावों में अनुसरण करते हैं अन्तर केवल यह है कि यह मतदान विधेयक के खण्ड 3 में उल्लिखित मामलों के लिए आयोजित किया जायेगा न कि किसी उम्मीदवार के पक्ष में।

मुझे आशा है कि प्रस्तुत विधेयक को सभा का पूर्ण समर्थन प्राप्त होगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है जो पहले की अपेक्षा अधिक व्यापक है और जिसे मैं प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के अधीन नहीं बल्कि संविधान के अन्तर्गत उठा रहा हूँ। इस स्वरूप का विधेयक स्वतन्त्र भारत में पहली ही बार आज प्रस्तुत हुआ है। अन्य सदस्यों की भांति मेरी भी तीव्र इच्छा यही है कि प्रस्तुत विधेयक, जितनी भी जल्दी हो सके, पारित हो जाये। किन्तु जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था, तब संशोधन रखा था कि कुछ विशेष मामलों पर संविधान में जनमत संग्रह करने की व्यवस्था सम्बन्धी उपबन्ध रखा जाये किन्तु उसे स्वीकृत नहीं किया गया। यदि उस संशोधन को उस समय स्वीकृत कर लिया जाता तो सभा के समक्ष इस प्रकार के विधेयक को लाने में कोई कठिनाई नहीं होती।

वस्तुतः प्रस्तुत विधेयक में जनमत संग्रह करने की व्यवस्था है जिसे राय मतदान की संज्ञा दी गई है। हमारे संविधान में जनमत संग्रह करने अथवा राय सम्बन्धी मतदान आयोजित करने का कोई उपबन्ध नहीं है अतः प्रस्तुत विधेयक संविधान के क्षेत्राधिकार से बाहर है और संसद किसी ऐसे विधेयक पर विचार नहीं कर सकती जो स्पष्टतः संविधान के कार्य-क्षेत्र से बाहर हो। इसके अतिरिक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त पर ऐसे कृत्यों का भार नहीं लादा जा सकता, जो उसे संविधान के अनुच्छेद 324 तथा अन्य उन अनुच्छेदों के अधीन, जो कि निर्वाचन आयोग की स्थापना, तथा निर्वाचन आयोग के संवैधानिक कृत्यों, प्राधिकार और शक्तियों से सम्बन्धित हैं, विशेष रूप से नही सौंपे गये हैं।

औचित्य प्रश्न का दूसरा पहलू यह है कि प्रस्तुत विधेयक में इस विषय पर जन-मत जानने की व्यवस्था है कि क्या राज्य-क्षेत्र अपना-अपना विलय चाहता है और यदि चाहता है तो क्या गोवा महाराष्ट्र के साथ मिल जायेगा और दमण और दीव गुजरात के साथ मिल जायेंगे या फिर वे यथापूर्व स्थिति कायम रखना चाहेंगे। यदि दोनों ने यथापूर्व स्थिति के लिए मतदान दिया तो कठिनाई नहीं होगी किन्तु यदि दोनों में से किसी ने अथवा दोनों ने विलय के पक्ष में मतदान दिया तो उस स्थिति में संविधान के 1–3 अनुच्छेद लागू होंगे क्योंकि इन क्षेत्रों का विलय तुरन्त नहीं किया जा सकता। इसलिए संविधान का संशोधन करने के लिए एक विधेयक लाना पड़ेगा जिसमें उन संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य क्षेत्र के रूप में दिखाना पड़ेगा।

यदि मतदान इन क्षेत्रों के महाराष्ट्र तथा गुजरात में विलय के पक्ष में होता है तो क्या सरकार आप यह वचन देने को तैयार हैं कि संविधान में इस उद्देश्य हेतु संशोधन करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जायेगा । जब तक ऐसा विधेयक पास नहीं किया जाता इन क्षेत्रों का आम चुनाव के लिए महाराष्ट्र तथा गुजरात में विलय नहीं किया जा सकता ।

श्री नाथपाई (राजापुर) : किसी दल अथवा पक्ष को विधान की असंवैधानिकता के बारे में उच्चतम न्यायालय में आपत्ति उठानी चाहिए । संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार किसी भी मामले के बारे में, जो समवर्ती अथवा राज्य सूची में न दिया गया हो, संसद को कानून बनाने का अधिकार है ।

श्री नि० च० चटर्जी (बर्दवान) : संविधान में संसद को अवशिष्ट शक्तियां दे रखी हैं । संविधान के अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद को तथा अनुच्छेद 246 के अन्तर्गत राज्य विधान मण्डलों को शक्तियां दे रखी हैं । यदि किसी मामले का समवर्ती तथा राज्य की सूची में उल्लेख नहीं है तो उस बारे में संसद को कानून बनाने का अधिकार है । यह शक्ति संसद को संविधान के अनुच्छेद 248 के अन्तर्गत प्राप्त है । इसलिए संसद को अवशिष्ट शक्तियों के अधीन कोई भी कानून बनाने का अधिकार है । केन्द्र सरकार किसी भी राज्य का क्षेत्र कम अथवा बढ़ा सकती है अर्थात उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है ।

Shri Bade : May I know whether we can give such powers to the Election Commission by passing this Bill, which are not vested in the Commission ?

श्री नारायण पाण्डेकर (गोंडा) : मैं श्री चटर्जी से इस बात में सहमत हूं कि यह मामला अनुच्छेद 148 के अन्तर्गत आता है । सातवीं अनुसूची की सूची के मद 97 में कहा गया है कि किसी "ऐसे कर के सहित जिसका उन सूचियों में उल्लेख न किया गया हो और अन्य कोई मामला जो सूची 2 या सूची 3 में न दिया गया हो," इसलिये मेरे विचार में दोनों सदन इस प्रकार का कानून बनाने में सक्षय हैं ।

मैं स्वयं भी इस बात को नहीं समझ सका कि मुख्य चुनाव आयुक्त लेखा कार्य कैसे सौंपा जा सकता है जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है ।यदि ऐसा किया जा सकता हैं तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति को तम्बाकू की दुकान चलाने के लिये भी कहा जा सकता है । संविधान में चुनाव आयोग के कार्यों का स्पष्ट वर्णन है ।

इस कारण एक अनोखी स्थिति पैदा हो जायेगी यदि मतदान विलय के पक्ष में होता है और फिर होने वाले चुनावों में विलय विरोधी सरकार का चुनाव हो जाता है । ऐसी अवस्था में उसे राज्य के शासनाध्यक्ष की शक्ति से परे विलय के सम्बन्ध में कोई कानून बनाना होगा ।

यदि विलय के पक्ष में निर्णय नहीं होता तब तो कोई कठिनाई नहीं होगी, परन्तु यदि विलय का निर्णय हो जाता है और चुनाव क्षेत्र आम चुनाव से पूर्व नहीं बनते तब समझ मे नहीं आता कि इस अनोखी स्थिति पर किस प्रकार काबू पाया जायेगा ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : मेरे विचार में भी कुछ कठिनाइयां उत्पन्न होगी अत: श्री कामत द्वारा उठाये गये प्रश्नों के बारे में, सरकार को कुछ आश्वासन देना चाहिए ।

श्री कामत का यह कहना पूर्णतया ठीक नहीं है कि चूंकि संविधान सभा ने जनमत-संग्रह

का विचार रद्द कर दिया था इसलिये लोक सभा भी इस प्रकार का कोई कानून नहीं बना सकती।

चुनाव आयोग को हम अत्यधिक महत्व देते हैं। इनका दर्जा उच्चतम न्यायालय तथा लोक सेवा आयोग के समान है। इसे प्रशासन का ही एक अंग समझना उचित नहीं है। चुनाव आयोग को ऐसा कार्य करने के लिये कहना जो संविधान के अन्तर्गत उसे न सौंपा गया हो उचित नहीं है। सरकार को इस बात का आश्वासन देना चाहिए कि इस मत-संग्रह के निर्णय को कानूनी रूप दिया जायेगा। अन्यथा मत संग्रह कराने का कोई लाभ नहीं है और ऐसा करना देश के समय का गलत प्रयोग करना होगा।

श्री शिंकरे (मरमागोआ) : यद्यपि श्री पाण्डेकर द्वारा उठाई गई आपत्तियां प्रत्यक्ष रूप से ठीक ही लगती हैं तथापि वह मामले की तह तक नहीं गये हैं। चुनाव प्रयोजनों के लिये ही संविधान के अन्तर्गत देश में निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। इसलिये विधेयक के उप-बन्धों में, प्रत्येक प्रकार से, चुनाव समाविष्ट हैं। संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग को कोई चुनाव सम्बन्धी कार्य सौंपे जाने के बारे में प्रतिबन्ध नहीं है। इसलिये मेरे विचार में श्री पाण्डेकर की आपत्तियां उचित नहीं हैं।

श्री अल्वारेस (पंजिम) : श्री पाण्डेकर द्वारा उठाये गये प्रश्नों की व्याख्या कर देता हूँ ताकि कोई भ्रम न रहे। इस विधेयक के लिए दो भाग खुले हैं। एक है वर्तमान स्थिति को बनाये रखने के लिए मत देना तथा दूसरा विलय के लिए मत देना। यदि मतदान विलय के पक्ष में जाता है तब सरकार को संविधान में संशोधन के लिए विधेयक प्रस्तुत करना होगा। ऐसा विधेयक अगले अधिवेशन अथवा उसके भी पश्चात प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि मतदान वर्तमान स्थिति को बनाये रखने के पक्ष में जाता है तो फिर कोई कठिनाई ही नहीं है।

चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन के पश्चात गोवा के विलय की व्यवस्था के बाद पृथक से चुनाव कराया जा सकता है और यदि मत-संग्रह वर्तमान स्थिति की पुष्टि करता है तब संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम के अन्तर्गत 28 स्थानों की व्यवस्था की जायेगी और ऐसी परिस्थितियो में गोवा क्षेत्र के लिए चुनाव किया जा सकेगा।

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कोरपल) : यदि संविधान में संशोधन नहीं किया जाता हमारा समस्त कार्य बेकार जायेगा। संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए जिससे मतसंग्रह का कार्य मुख्य चुनाव आयुक्त को सोंपा जा सकेगा। सविधान में संशोधन होने के पश्चात ही यह विधेयक विधिमान्य होगा।

श्री बासप्पा (तिपतूर) : यदि मत-संग्रह आम चुनाव के साथ-साथ किया जाता है तो लोगों के दिल में भ्रम उत्पन्न हो जायेगा दोनों चुनाव पृथक-पृथक होने चाहिए और अलग अलग समय होना पाहिए ताकि मतदाता अच्छी प्रकार जान सकें कि उनके किस विषय पर मत देना है।

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : हमने मुख्य चुनाव आयुक्त से यह कार्य हाथ में लेने को कहा गया है न कि चुनाव आयोग को। इस मत संग्रह के पश्चात केवल संसदीय चुनाव क्षेत्रों के लिए ही चुनाव होगा। गोवा की विधान सभा का चुनाव नहीं किया जायेगा। इसलिए श्री दाण्डेकर ने जिस भ्रम की आशंका प्रगट की है उसके उत्पन्न होने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री नाथपाई (राजापुर) : मुख्य चुनाव आयुक्त को ऐसे सभी कार्य सौंपे जा सकते हैं जो संविधान में स्पष्ट रूप से निर्धारित कार्यों के सदृश हों। चुनाव में भी हम लोगों की इच्छायें जानने का प्रयत्न करते हैं। अब मत-संग्रह भी एक विशिष्ट मामले पर लोगों की इच्छा जानना ही है। मेरे विचार में दोनों कार्य अलग-अलग हैं। दोनों कार्य एक जैसे हैं इसलिए संविधान अनुच्छेद 324 में मुख्य चुनाव आयुक्त पर कोई रोक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : कई प्रश्न उठाये गये हैं। परन्तु जहां तक अवशिष्ट शक्तियों का सम्बन्ध है वे संसद में निहित हैं और संसद इसके अन्तर्गत कोई भी कानून पारित कर सकता है। मद 91 में भी इसका उल्लेख है। इसलिये इसमें कोई सन्देह नहीं कि हम वर्तमान विधान को बनाने में सक्षम हैं।

ऐसा कहा गया है कि हमसे भ्रम, कठिनाइयां तथा जटिलताएं होंगी। इस समय उनसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। इस बारे में सरकार को विचार करना चाहिए कि उन्हें किन कठिनाइयों का सामना होगा और उन पर काबू पाने के लिये उन्हें क्या कानून बनाना है। इस समय हमें केवल यह देखना है कि हम वर्तमान विधान बना सकते है अथवा नहीं।

श्री कामत ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 324 के अन्तर्गत जनमत-संग्रह की कोई व्यवस्था नहीं है और इसलिये यह कार्य चुनाव आयोग को नहीं सौंपा जा सकता। परन्तु मेरा विचार यह है कि इस अनुच्छेद में यह दिया गया है कि चुनाव कराने का कार्य केवल चुनाव आयोग को ही दिया जा सकता है और चुनाव कराने के लिये सरकार कोई अन्य व्यवस्था नहीं कर सकती। परन्तु यदि सरकार जनमत-संग्रह के लिये कोई अन्य व्यवस्था करना चाहती है तो वह ऐसा करने में स्वतंत्र है। परन्तु यदि सरकार इस कार्य को भी मुख्य चुनाव आयुक्त को ही सौंपना चाहती है और वह इस कार्य को अपने हाथ में लेने को तैयार है तो संविधान ऐसा कोई उपबन्ध नहीं जो ऐसा करने पर रोक लगा सके।

श्री आल्वारेस (पंजिम) : मैं मंत्री महोदय से सहमत हूँ कि यह एक छोटा सा विधेयक है परन्तु महत्वपूर्ण विधेयक है। वास्तव में विधेयक में इतिहास की एक विपरीत प्रक्रिया को सारांश में कहने की मांग की गई है। यदि पुर्तगाल उपनिवेशवाद की एक शक्ति के रूप में गोवा में विद्यमान न होता तो गोवा तथा महाराष्ट्र के लोग सम्मिलित रूप से विकास करने में प्रयत्नशील होते। इस विधेयक में गोवा के लोगों को एक बार फिर अवसर दिया गया है कि क्या वे अपने पुराने सम्बन्ध को बनाना चाहते हैं अथवा अलग रहना चाहते हैं। इस दृष्टिकोण से यह विधेयक महत्वपूर्ण है और सभा को इसे स्वीकार करना चाहिए। मैंने और मेरे मित्र श्री शिंकरे ने इस विषय के प्रश्न को लेकर ही संसद का चुनाव लड़ा था। गोवा विधान सभा के चुनाव भी इसी विषय को लेकर हुए थे। यद्यपि हम इस स्थिति पर दृढ़ थे कि 1963 दिसम्बर के चुनाव इस विषय को लेकर ही लड़े गये थे तथापि हमने स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री शास्त्री के मदयावधि चुनाव कराना स्वीकार कर लिया था। परन्तु पता नहीं इस बीच क्या हुआ कि मत संग्रह का यह विधेयक हमारे समक्ष आ गया।

इस मत-संग्रह के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार की बातें विलय का पक्ष करने वालों के लिये अच्छी नहीं हैं और जो लोग महाराष्ट्र के साथ गोवा के विलय के पक्ष में थे वह सरकार के प्रति ईमानदार नहीं रहे। आज समाचार पत्र में पढ़ा है कि गोवा के मुख्य मंत्री

ने राज्यपाल को अपना त्यागपत्र दे दिया है। त्यागपत्र इस लिये दिलवाया गया है ताकि मतदान निष्पक्ष रूप से हो सके। जबकि सरकार अन्य राज्यों के मुख्य मंत्रियों पर विश्वास रखती है फिर वह गोवा के मुख्य मंत्री पर विश्वास क्यों नहीं कर सकी। सरकार के लिये गोवा के मुख्य मंत्री से त्यागपत्र मांगना एक अनुचित बात है।

सरकार को गोवा की विधान सभा को भी विकरित नहीं करना चाहिए। यदि पंजाब विधान सभा बनी रह सकती है तो गोवा को विधान सभा क्यों नहीं। कांग्रेस तथा गैर कांग्रेस सरकारों के लिये भिन्न-भिन्न सिद्धान्त नहीं होने चाहिए। इसलिये इसे पंजाब विधान सभा की तरह जब तक मतसंग्रह के परिणाम नहीं आ जाते, इसे सजीवरूप में विलम्बित किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

आधे घण्टे की चर्चा
HALF AN HOUR DISCUSSION

कलकत्ता में प्राथमिक शिक्षा के बारे में :

Primary Education in Calcutta.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I would like to raise the prevailing condition of the primary education in Calcutta which is in a very deplorable condition. It is a matter for shame for West Bengal and Central Government that such a deplorable condition in education prevails there in Calcutta which is the biggest city in India.

Shri N. P. Yadab (Sitawadi) : There is no quorum in the House.

Mr. Speaker : The House is adjoined because there is no quorum in the House.

इसके पश्चात लोक सभा 1 दिसम्बर, 1966/10 अग्रहायण, 1888 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha adjoined till eleven of the clock on Thursday, the 1st December, 1966/Agrahayan, 10, 1888 (Saka).